PLUTUS IAS
UPSC / PCS

PLUTUS IAS

मासिक करेंट अफेयर्स
जून - जुलाई 2025

Phone: +91 8448440231
Email: info@plutusias.com
Web: www.plutusias.com

2025 का समसामयिक
सफलता के सूत्र
अभ्यास ही सफलता
की कुंजी है.



मुख्य आकर्षण :

1. भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध
4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
5. भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति
6. भारतीय अर्थव्यवस्था

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/Online/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Mukherjee Nagar/Chandigarh



Experienced Renowned Faculties



Personalized Mentorship Programme



Notes Making & Answer Writing



Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

Foreword

Dear Aspirants,

This magazine by the Plutus IAS team is designed in such a fashion that it holistically covers all the relevant and important topics for the Civil Services Exam to make aspirants exam-ready. Plutus IAS Current Affairs Magazine is a secondary source of information; the newspaper will remain the primary source for the preparation of Current Affairs.

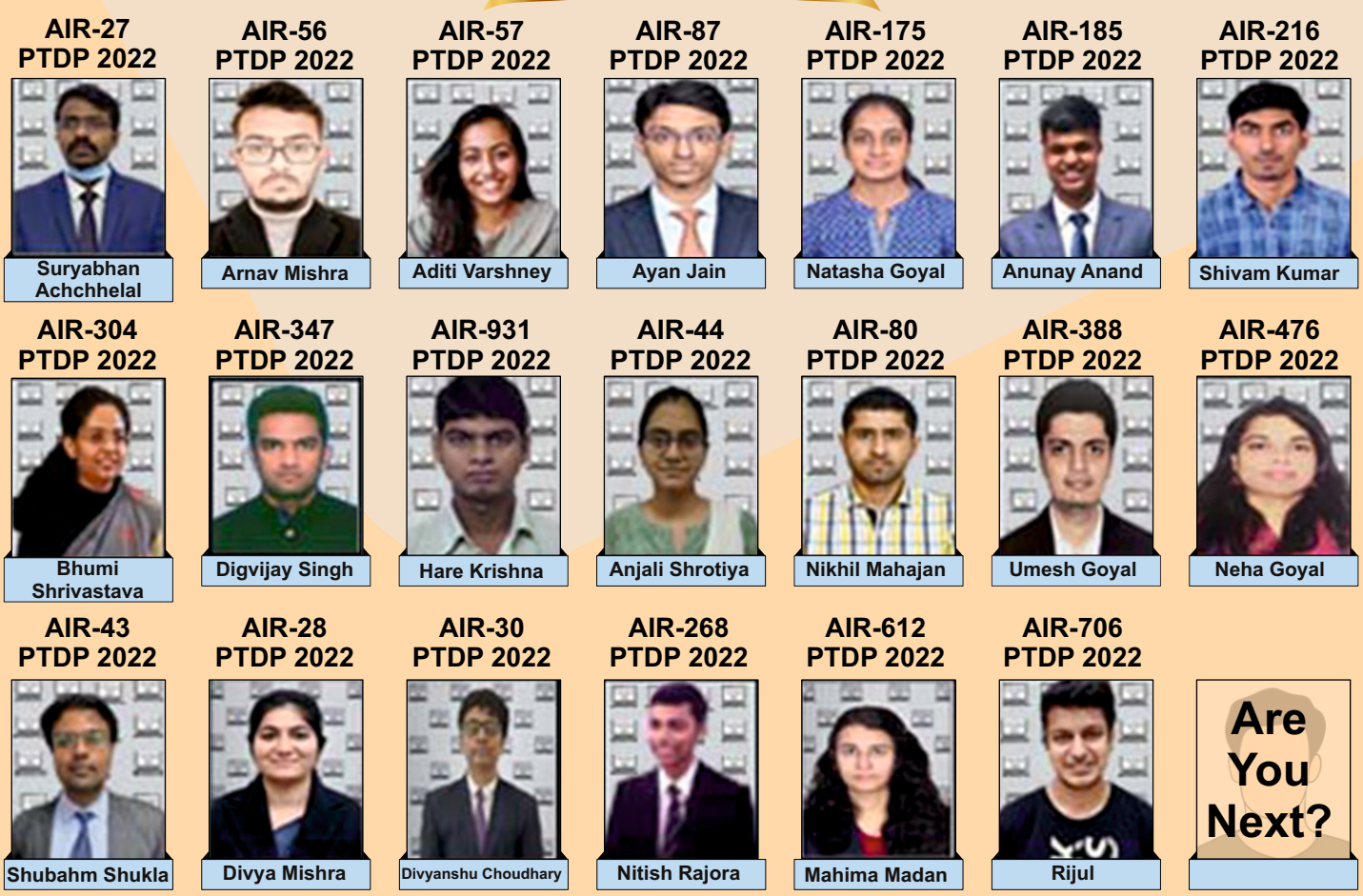
Now, Current Affairs are no longer merely current; they are Contemporary Affairs. Questions asked in both Prelims as well as the Mains assess the conceptual clarity of an aspirant. This magazine is prepared with the aim of helping you understand the interlinkages of both Static and Dynamic news events and internalize the concepts required to crack this examination.

The Plutus IAS team wishes you all the best. Prepare for the UPSC Civil Services Examination with a calm, composed, or serene mind and some patience to crack this examination in one go.

Team
Plutus IAS

Sources:
The Hindu | The Indian Express | The Economic Times | Press Information Bureau | PRS Legislative Research | IDSA: Institute for Defense Studies and Analysis | Yojana and Kurukshetra | Lok Sabha and Rajya Sabha Debates.

OUR TOP RANKERS



Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.



जून - जुलाई 2025
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था (Indian Politics and Government):

- राष्ट्रपति का न्यायिक प्रश्न : संविधान के अनुच्छेद 143 की शक्ति और सीमाएं.....1
- भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या और उसका समाधान.....6
- समाजवादी और पंथनिरपेक्ष : भारतीय संविधान की संरचना के अविभाज्य स्तंभ.....9
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का अनिवार्य पंजीकरण बनाम फर्जी मुठभेड़ मामला.....11
- भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास.....14

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology):

- इसरो की विश्वसनीयता की परीक्षा : PSLV-C61 मिशन की असफल उड़ान.....18
- शहरी वनों का अस्तित्व दांव पर : कानूनी, पर्यावरणीय और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य.....20
- AMCA परियोजना : भारतीय वायु शक्ति के भविष्य का गगनगामी छलांग.....23
- सोलर लीप से सौर शक्ति का नवोन्मेष : स्मार्ट सामग्री से अक्षय ऊर्जा क्रांति तक.....26
- एक्सिओम - 4 और भारत : भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा.....29
- आईएनएस अर्णाला बेड़े में शामिल : नौसेना युद्ध में आत्मनिर्भरता को बल.....32
- कीट-आधारित आहार : रोगाणुरोधी के खिलाफ एक टिकाऊ एवं स्थायी समाधान.....34

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International relations):

- भारत - अफ्रीका डिजिटल समझौता : शून्य से सशक्तिकरण तक.....38
- भारत - यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंध : एक स्थायी वैश्विक साझेदारी की ओर.....41
- कूटनीति पर दबाव : भारत, कनाडा और G-7 आमंत्रण का रणनीतिक पहलू.....43
- भारत और साइप्रस : बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में मजबूत होते संबंध.....47
- G7 समूह देशों का 51 वाँ शिखर सम्मेलन.....50
- एससीओ में भारत : शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की एक सुनियोजित कोशिश.....54

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy):

- अमृत भारत स्टेशन योजना : भारतीय रेल अवसंरचना का एक नया युग.....58
- RODTEP का पुनरुद्धार : भारत के निर्यात - आधारित भविष्य की नई उड़ान.....60
- विकसित भारत @ 2047 : वैश्विक विमानन के क्षेत्र में भारत एक उभरता सितारा.....63
- FPI और 2025 का भारतीय IPO : बाजार के विश्वास की परीक्षा का नया अध्याय.....67
- हरित क्रांति 2.0 : आधुनिक भारतीय किसान को सशक्त बना ना.....69
- तकनीकी वस्त्रों से भारत को सशक्त बनाना : मेक इन इंडिया की

सफलता की कहानी.....72

- विकसित कृषि संकल्प अभियान.....76
- मई में भारत का निर्यात 2.77% बढ़कर 71.12 अरब डॉलर पर पहुंचा व्यापार घाटा कम हुआ.....78

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

- अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 2025 : प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास.....82
- जहाजों से समुद्री प्रदूषण : समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक उभरता खतरा.....85
- विश्व पर्यावरण दिवस 2025.....88
- पृथ्वी को स्वस्थ बनाना : 2025 में मरुस्थलीकरण पर कार्रवाई का आह्वान.....91
- बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 : विकासशील देशों की मांगों पर गति रोध.....94

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति (INDIAN HISTORY, ART AND CULTURE):

- भारत लौटे बुद्ध के अवशेष : बौद्ध धरोहर और भारत - वियतनाम का नव संवाद.....98
- पवित्र यात्रा शुरू : कैलाश मानसरोवर पवित्र यात्रा 2025 का शुभा रंभ.....101
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 : एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग.....104



राष्ट्रपति का न्यायिक प्रश्न : संविधान के अनुच्छेद 143 की शक्ति और सीमाएं

खबरों में क्यों?



- हाल ही में मई 2025 में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से एक अहम परामर्श मांगा। इस संदर्भ में कुल 14 संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह की अपेक्षा की गई है।
- यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उस हालिया निर्णय के मद्देनज़र सामने आया, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर मंज़ूरी देने की समय-सीमा तय करने की बात कही गई थी।
- इस पर सर्वोच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या ऐसी समय-सीमाएँ न्यायिक रूप से बाध्यकारी बनाई जा सकती हैं, और क्या अनुच्छेद 200, 201 व 142 के अंतर्गत की गई कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ संवैधानिक दृष्टि से वैध ठहराता हैं।
- यह पूरा मामला भारत के संघीय ढांचे, सत्ता के विभाजन और संवैधानिक परंपराओं की पुनः व्याख्या की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- यह घटनाक्रम न केवल भारत के संघीय ढांचे और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन की संवेदनशीलता को उजागर करता है, बल्कि संवैधानिक परंपराओं की बदलती व्याख्या पर भी गंभीर विमर्श को जन्म देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 : राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति :

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी या तथ्यात्मक मसले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकें। इस अनुच्छेद के दो मुख्य भाग हैं:

  (1) यह भाग राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे कानूनी प्रश्न या तथ्य को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजने की अनुमति देता है, जो सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण हो और जिस पर न्यायालय की राय आवश्यक हो।

  (2) यह भाग राष्ट्रपति को उन विवादों पर भी सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है जो संविधान के लागू होने से पहले की संधियों, समझौतों या प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न हुए हों।

अनुच्छेद 143 से संबंधित प्रमुख तथ्य :

- **सलाहकारी प्रकृति :** अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल सलाह होती है और राष्ट्रपति के लिए इसे मानना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इस सलाह का महत्व बहुत अधिक होता है और आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका सम्मान करती हैं।
- **न्यायिक अधिकार :** सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। उदाहरण के लिए, 1993 में, न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर राय देने से मना कर दिया था, क्योंकि यह मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन था और इसलिए, सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।
- **ऐतिहासिक प्रयोग :** भारत में सन 1950 के बाद से ही , जटिल संवैधानिक मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 का कई बार उपयोग किया गया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं:

- **दिल्ली विधि अधिनियम मामला (1951) :** इसमें विधायी शक्तियों के हस्तांतरण की सीमाओं पर विचार किया गया था।
- **केरल शिक्षा विधेयक (1958) :** इस मामले में शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जांच की गई थी।
- **बेरुबारी यूनियन केस (1960) :** इस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा।
- **विशेष न्यायालय विधेयक (1978) :** इस मामले में राजनेताओं के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की वैधता को स्पष्ट किया गया था।
- **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) :** इस मामले में न्यायिक नियुक्तियों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे, जिससे कॉलेजियम प्रणाली और मजबूत हुई।

वर्तमान घटनाक्रम (2025) :

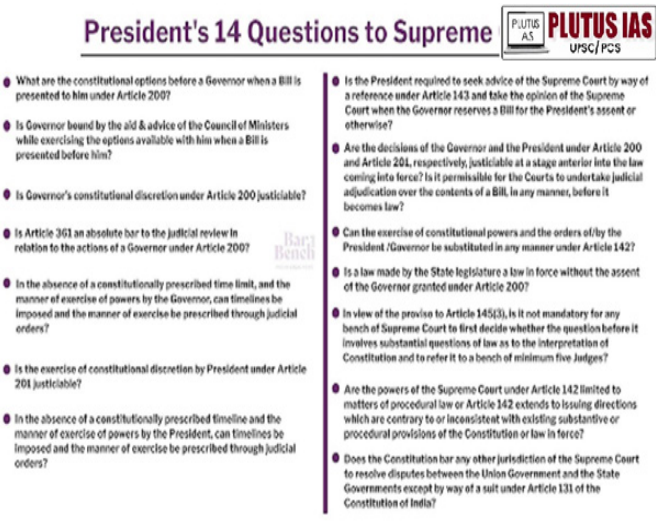
- **अप्रैल 2025 :** सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोकने के लिए ठोस कारण बताने होंगे, खासकर अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से सलाह लेने के बाद।
- **मई 2025 :** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 (1) का उपयोग करते हुए, राज्य के कानूनों को मंजूरी देने की समय सीमा से जुड़े 14 संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांगी।

भारत में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की मुख्य भूमिका :

- **राष्ट्रपति की विशेष शक्ति :** अनुच्छेद 143 का उपयोग करने का विशेष अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। यह प्रावधान राष्ट्रपति की निष्पक्षता की संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। न तो संसद और न ही प्रधानमंत्री सीधे इस अनुच्छेद का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निष्पक्ष कड़ी के रूप में कार्य करें।
- **मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई :** संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। इसलिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया कोई भी कदम एक राजनीतिक निर्णय होता है, भले ही यह संवैधानिक पद के माध्यम से किया जाता है।
- **राज्यपाल की अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका :** राज्यपाल सीधे तौर पर अनुच्छेद 143 का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों के कारण अक्सर इस अनुच्छेद का प्रयोग होता है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत किसी विधेयक को स्वीकृति देने में देरी से कई बार कानूनी अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए संदर्भ भेजना पड़ता है।

उदाहरण :

- **2024 राष्ट्रपति संदर्भ :** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए समय सीमा से संबंधित मामले में अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ दिया था। यह कदम तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों द्वारा विधेयकों की मंजूरी में हो रही देरी पर बार-बार चिंता व्यक्त करने के बाद उठाया गया था।
- **विलंबित स्वीकृति और संघीय तनाव :** तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक (2022) को राज्यपाल द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के अपने फैसले में इसका उल्लेख करते हुए राज्यपालों द्वारा संवैधानिक नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया था।
- **ऐतिहासिक मामला - केरल शिक्षा विधेयक (1958) :** इस मामले में, राज्यपाल ने विधेयक पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ भेजा गया। इससे पता चलता है कि राज्यपाल का निर्णय लेने में विलंब अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 143 को कैसे सक्रिय कर सकता है।
- **सरकारी स्रोतों में कानूनी आधार :** द हिंदू में मार्च 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं द्वारा राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही देरी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने के बाद आया था। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की एक प्रेस विज्ञप्ति में भी यह उल्लेख किया गया था कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की सलाह दी। इस कदम को व्यापक रूप से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में बढ़ते कार्यपालिका-विधायिका गतिरोध को हल करने के प्रयास के रूप में देखा गया था।



PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली : विकास, प्रभाव और संवैधानिक महत्व : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लें। इस प्रक्रिया ने समय-समय पर न केवल संवैधानिक व्यवस्था को दिशा दी है, बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य संतुलन भी स्थापित किया है। निम्नलिखित सारणी राष्ट्रपति द्वारा किए गए प्रमुख संदर्भों के क्रमिक विकास और उनके संवैधानिक प्रभाव को दर्शाती है:

प्रमुख राष्ट्रपति संदर्भ: एक कालानुक्रमिक अवलोकन :

क्रम	वर्ष	मामला/प्रश्न	मुख्य कानूनी मुद्दा	सर्वोच्च न्यायालय की राय	स्रोत
1	1951	दिल्ली विधि अधिनियम	विधायी अधिकारों का प्रत्यायोजन	अनुच्छेद 245 के भीतर वैध	SC वेबसाइट, हिंदू अभिलेख
2	1958	केरल शिक्षा विधेयक	अल्पसंख्यक अधिकार बनाम राज्य की नीति	आंशिक मान्यता, निर्देशक सिद्धांतों से संतुलन	एआईआर 1959 SC 956
3	1960	बेरुबारी मामला	क्षेत्रीय हस्तांतरण की वैधता	संविधान संशोधन आवश्यक (अनु. 368)	SC जजमेंट डेटाबेस
4	1965	केशव सिंह मामला	संसद विशेषाधिकार बनाम न्यायिक समीक्षा	न्यायिक नियंत्रण की पुष्टि	इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट
5	1974	राष्ट्रपति चुनाव विवाद	क्या अधूरी विधानसभाएं चुनाव रोक सकती हैं?	चुनाव संभव, लेकिन कानूनी जांच के अधीन	पीआईबी समीक्षा
6	1978	विशेष न्यायालय विधेयक	विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अदालतें	वैध, पर अस्पष्टता नहीं चलेगी	द हिंदू संपादकीय
7	1998	तृतीय न्यायाधीश मामला	कॉलेजियम प्रणाली की स्पष्टता	मानदंड स्थिर; वस्तुतः बाध्यकारी	पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस
8	2004	9वीं अनुसूची	मूल ढांचे की सीमा में विधेयकों की वैधता	समीक्षा संभव यदि मूल संरचना से टकराव हो	SC फैसला, द हिंदू
9	2012	2G निरस्तीकरण	कार्यपालिका बनाम न्यायिक हस्तक्षेप	नीति में न्यायिक दखल की सीमाएं स्पष्ट	एक्सप्रेस अभिलेखागार
10	2015	समान नागरिक संहिता	विधायी क्षेत्र की सीमा	सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से इनकार किया	द हिंदू
11	2017	जल्लीकट्टू अध्यादेश	सांस्कृतिक परंपरा बनाम पशु कल्याण	कोई राय नहीं, मामला लौटा	पीआईबी
12	2019	कश्मीर पुनर्गठन	जम्मू-कश्मीर पुनर्संरचना की वैधता	मामला विचाराधीन, राय लंबित	गृह मंत्रालय दस्तावेज
13	2020	कृषि कानून	संघ बनाम राज्य की भूमिका	स्पष्ट राय से परहेज, विरोध को वैध ठहराया	पीआईबी
14	2022	चुनावी बांड	पारदर्शिता बनाम गोपनीयता	लंबित	द हिंदू लीगल डेस्क
15	2023	राज्यपालों की देरी	अनुच्छेद 200/201 के दायित्व	अनुच्छेद 143 के तहत स्पष्टता जरूरी	पीआईबी
16	2024	विधेयक स्वीकृति समयसीमा	राष्ट्रपति/राज्यपाल की स्वीकृति में देरी	सुप्रीम कोर्ट की राय मई 2025 तक लंबित	द हिंदू, पीआईबी

संघवाद और सरकारों के बीच तनाव का हालिया संदर्भ :

- **संघीय तनाव का प्रतीक :** मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल की विधेयक-स्वीकृति में देरी पर स्पष्टीकरण मांगा गया। यह कदम तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 14 विधेयकों की स्वीकृति में राज्यपाल की अनावश्यक देरी पर कोर्ट की आलोचना के बाद उठाया गया। इसे केंद्र बनाम राज्य अधिकारों के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है।
- **राजनीतिक प्रतिक्रिया और आरोप :** अनुच्छेद 143 के इस प्रयोग ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रपति का इस्तेमाल करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटना चाहती है और राज्यपाल द्वारा राज्य के कानूनों को मंजूरी देने में की जा रही देरी को सही ठहराना चाहती है। उन्होंने गैर-भाजपा शासित राज्यों से संविधान और राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
- **शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायपालिका का मत :** भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने संविधान के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की समान स्थिति पर जोर दिया और कहा कि केवल संविधान ही सर्वोच्च है। उनका यह बयान सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **समय सीमा पर संवैधानिक बहस :** राष्ट्रपति के इस संदर्भ ने इस बात पर कानूनी चर्चा छेड़ दी है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों को मंजूरी देने की कोई समय-सीमा तय कर सकती है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी समय-सीमाएँ कार्यकुशलता बढ़ाएंगी और अनावश्यक देरी को रोकेंगी, जबकि अन्य का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है, जिससे विवेकाधिकार की गुंजाइश बनी रहती है।
- **अनुच्छेद 143 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :** स्वतंत्रता के बाद से, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने के लिए अनुच्छेद 143 का लगभग 14 बार उपयोग किया गया है। इन संदर्भों ने संवैधानिक सिद्धांतों को आकार देने और विभिन्न सरकारी अंगों के बीच विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **सलाहकारी राय की प्रकृति :** यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल सलाह होती है और यह कानूनी रूप से राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। हालांकि, इस सलाह का बहुत अधिक महत्व होता है और आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका सम्मान करती हैं। सैद्धांतिक रूप से, राष्ट्रपति या संसद न्यायालय की इस सलाह को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से संवैधानिक संकट और राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने का खतरा रहता है।
- **संघवाद के लिए निहितार्थ :** हालिया घटनाएं दर्शाती हैं कि अनुच्छेद 143 का प्रयोग संघीय व्यवस्था में तनावों के समाधान हेतु एक वैधानिक सेतु बन सकता है। राज्यपालों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों के संदर्भ में अनुच्छेद 143 का हालिया उपयोग भारत के संघीय ढांचे में मौजूद तनाव को उजागर करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय का परिणाम भारत की संघीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

भारत में अनुच्छेद 143 की सीमाएं और मुख्य चुनौतियाँ :

- **सलाह की गैर-बाध्यकारी प्रकृति :** अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह पूर्णतः परामर्शात्मक होती है, इसका पालन करना राष्ट्रपति या सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यपाल की विधेयक-स्वीकृति में देरी के संदर्भ में मांगी गई राय भी इसी श्रेणी में आती है, जिसका उद्देश्य मार्गदर्शन देना था, न कि उसे कानूनी आदेश बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी राय नैतिक प्रभाव तो रखती है, पर उसे लागू कराने का कोई संवैधानिक तंत्र नहीं है।
- **राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनने का खतरा :** देश में जब-जब अनुच्छेद 143 का उपयोग राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर हुआ है, तब-तब इसके राजनीतिक हथियार बनने की आशंका उठी है। 2025 में दिया गया संदर्भ कई विश्लेषकों द्वारा केंद्र सरकार के न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने और राज्यपालों के विवादास्पद निर्णयों को वैध ठहराने के प्रयास के रूप में देखा गया है।
- **न्यायालय की विवेकाधीन सीमा :** सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी राष्ट्रपति संदर्भ को अस्वीकार कर सकता है, खासकर तब जब प्रश्न अस्पष्ट, अत्यधिक राजनीतिक, या विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाला हो। विशेष न्यायालय विधेयक (1978) मामले में न्यायालय ने इसी आधार पर संयम बरतने का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
- **सलाहकारी राय के व्यावहारिक अनुपालन की समस्या :** यदि सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार राय देता भी है, तो उसे लागू करवाने के लिए कोई विशेष तंत्र मौजूद नहीं है। यह सीमा 2025 के संदर्भ के बाद स्पष्ट हुई, जहाँ राज्यपाल की सहमति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर न्यायालय की राय के बावजूद तत्काल कोई विधायी या कार्यकारी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सलाहकार राय के सीमित व्यावहारिक प्रभाव पर प्रकाश पड़ता है।
- **न्यायिक संस्थान की विश्वसनीयता पर असर :** यदि कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट से राय लेकर उसे अमल में नहीं लाती, तो इससे न्यायालय की संवैधानिक प्रतिष्ठा और मार्गदर्शक भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। बार-बार और रणनीतिक उद्देश्यों के तहत अनुच्छेद 143 का प्रयोग न्यायपालिका की शक्ति को क्षीण कर सकता है।
- **अस्पष्ट संवैधानिक दिशा-निर्देश :** संविधान में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए, जिससे अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती है। इस स्पष्टता की कमी के कारण अनुच्छेद 143 का असंगत उपयोग हो सकता है, जहाँ निर्णय संवैधानिक आवश्यकता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं।

- **तत्काल मुद्दों के समाधान की सीमित क्षमता :** अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय मांगने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिससे यह तत्काल संवैधानिक संकटों को संबोधित करने के लिए कम प्रभावी हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जहाँ त्वरित समाधान की आवश्यकता होती है, इस प्रक्रिया में होने वाली देरी सलाहकार राय को कम प्रासंगिक या अप्रचलित बना सकती है।

न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण के बीच संतुलन :

- **राष्ट्रपति की स्वीकृति पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश :** अप्रैल 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अपनी सहमति न देने के लिए स्पष्ट और वैध कारण बताने होंगे, खासकर अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से सलाह लेने के बाद। यह निर्णय जवाबदेही पर जोर देता है और इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी भी न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं हैं।

- **कार्यकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा :** न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे कार्यकारी अधिकारी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हैं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विधेयकों पर सहमति जैसे कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, जिससे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे।

- **स्वीकृति के लिए समय-सीमा का निर्धारण :** राज्यपालों द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने में होने वाली देरी के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की। इस कदम का उद्देश्य स्वीकृति को अनिश्चित काल तक रोके रखने की प्रथा को समाप्त करना है, ताकि विधायी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

- **अनुच्छेद 143 के उपयोग को प्रोत्साहन :** न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक होने के आधार पर अपने पास रखता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय की राय लेनी चाहिए। यह सिफारिश संवैधानिक अस्पष्टताओं को दूर करने में न्यायपालिका को सक्रिय रूप से शामिल करने का प्रयास करती है।

- **तुलनात्मक संवैधानिक प्रथाएं :** अन्य लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि किरिबाती गणराज्य में, राष्ट्राध्यक्ष को संभावित रूप से असंवैधानिक विधेयकों को न्यायपालिका के पास भेजना आवश्यक है। इस प्रकार की तुलनाएँ विधायी प्रक्रियाओं में न्यायिक निगरानी के वैश्विक महत्व को दर्शाती हैं।

- **न्यायिक सक्रियता पर प्रतिक्रियाएँ :** उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की सक्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करना कार्यपालिका की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। यह टिप्पणी भारत की तीनों संवैधानिक अंगों के बीच सीमाओं और संतुलन की बहस को दर्शाती है।

- **संघीय संरचना पर प्रभाव :** अनुच्छेद 143 के माध्यम से प्राप्त रायें न केवल संवैधानिक व्याख्या को स्पष्ट करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि राज्य सरकारों के अधिकारों का सम्मान हो। इससे भारत की संघीय संरचना मजबूत होती है और राज्यपालों की स्वीकृति में विलंब जैसी समस्याओं का समाधान निकलता है।

निष्कर्ष :

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान की एक विशिष्ट व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संविधानसम्मत संवाद का सेतु बनाता है। भले ही इसकी प्रकृति गैर-बाध्यकारी हो, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी रायों ने भारतीय संवैधानिक ढांचे को दिशा देने, विवादित विधिक प्रश्नों को सुलझाने, और संस्थानों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- वर्तमान समय में, जब केंद्र और राज्यों के बीच संघीय तनाव बढ़ते जा रहे हैं, अनुच्छेद 143 के माध्यम से ली गई न्यायिक सलाह संवैधानिक स्पष्टता और संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का सशक्त साधन बन सकती है। यह केवल विधिक जटिलताओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को भी सुदृढ़ करती है।

- हाल के संदर्भों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनुच्छेद 143 न केवल संवैधानिक व्याख्या का मंच है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला उपकरण भी है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस स्तर की संवैधानिक प्रतिबद्धता, संस्थागत गरिमा और राजनीतिक निरपेक्षता के साथ अपनाया और लागू किया जाता है।

- अतः अनुच्छेद 143 न केवल एक परामर्श प्रक्रिया है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संवाद, संतुलन और समाधान की संस्कृति को पुष्ट करने वाला संवैधानिक आधार स्तंभ भी है। हालिया संदर्भ इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि अनुच्छेद 143 संविधान के भीतर न्यायिक सलाह और संघीय सहमति का एक संवैधानिक मंच है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 को लागू करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
2. ऐसे संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय की राय भारत सरकार पर बाध्यकारी है।
3. अनुच्छेद 143 के किसी भी संदर्भ की सुनवाई करने वाली पीठ में कम से कम पांच न्यायाधीश होने चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि हाल ही में राष्ट्रपति को संदर्भित मामलों, विशेषकर राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति में देरी की स्थिति में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 की संवैधानिक और कार्यात्मक प्रासंगिकता क्या है, और यह तंत्र भारत के संघीय ढांचे की रक्षा किस प्रकार करता है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या और उसका समाधान

खबरों में क्यों?



- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए अपनाए जा रहे अपर्याप्त उपायों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11,000 टन ठोस कचरे में से लगभग 3,800 टन का उचित निपटान नहीं किया जाता है। इस अनुपचारित अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जमा हो रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे राजनीतिक संघर्षों से दूर रखते हुए तत्काल समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
- वर्त्तमान समय में इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यापक रूप से संबोधित करने का निर्णय लिया है और जल्द ही इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होने वाली है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई इस प्रकार की चिंताएँ और आलोचनाएँ यह बताता हैं कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका समाधान न केवल तकनीकी बल्कि प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर भी होना आवश्यक है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्याएं :



भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं -

1. **अपशिष्ट प्रबंधन** - नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन : अधिकांश महानगरों में कूड़ेदानों की स्थिति खराब है, जो या तो पुराने हैं, क्षतिग्रस्त हैं या फिर ठोस अपशिष्ट के लिए अपर्याप्त हैं।
2. **स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण की कमी :** इसके कारण असंसाधित मिश्रित अपशिष्ट लैंडफिल में जा रहा है, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन है।

3. **अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं का अभाव :** कुछ क्षेत्रों में नियमित अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं नहीं हैं, जिससे कूड़ा-कचरा फैल जाता है।

4. **डंपिंग साइट्स की समस्या :** भूमि की कमी के कारण महानगरों में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को समस्या होती है, जिससे अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है।

5. **डेटा संग्रहण तंत्र का अभाव :** भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक डेटा की कमी के कारण, निजी कंपनियां अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की संभावित लागत और लाभों का सही ढंग से आकलन नहीं कर पातीं है।

6. **औपचारिक और अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली :** निम्न आय वाले समुदायों में अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं की कमी होती है, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है।

7. **जन - जागरूकता का अभाव :** सामान्यतः जन जागरूकता की कमी और उचित अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों का अभाव अनुचित निपटान प्रथाओं में वृद्धि करता है।

8. **अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी :** इन समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों का सख्ती से पालन, जन-जागरूकता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति :

- भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या है और यह वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट का 12% हिस्सा उत्पन्न करता है। इसमें सड़कों की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई गाद, बागवानी का कचरा, कृषि और डेयरी का अपशिष्ट, उपचारित बायोमेडिकल अपशिष्ट (औद्योगिक, जैव-चिकित्सा और ई-कचरे को छोड़कर), बैटरी और रेडियोधर्मी कचरा शामिल है।
- द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है। इसमें से लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्रित किया जाता है, जिसमें से केवल 12 मिलियन टन का ही सही तरीके से निपटान होता है और बाकी 31 मिलियन टन को लैंडफिल साइट्स पर डाल दिया जाता है।
- उपभोग के बदलते पैटर्न और तेजी से आर्थिक विकास के साथ, अनुमान है कि 2030 तक शहरी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगी।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की मुख्य विशेषताएं :

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जिन्होंने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2000 का स्थान लिया है। वह कचरे के प्रबंधन के लिए नए ढांचे और दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे के मुख्य स्रोत के स्तर पर ही उसके पृथक्करण, स्वच्छता और पैकेजिंग के साथ-साथ निपटान के लिए निर्माता और थोक उत्पादकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है, ताकि उपयोग-कर्ता शुल्क के माध्यम से संग्रह, निपटान और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा सके।**



1. **अपशिष्ट विभाजन :** अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट को तीन श्रेणियों - गीला (जैव निम्नीकरण), सूखा (प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी आदि), और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डायपर, नैपकिन, सफाई एजेंटों के खाली कंटेनर, मच्छर प्रतिरोधी आदि) में विभाजित करने की जिम्मेदारी है।

2. **अपशिष्ट संग्रह :** पृथक किए गए अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट एकत्रित करने वालों, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकायों को सौंपना चाहिए।

3. **शुल्क और जुर्माना :** अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के लिए 'उपयोगकर्ता शुल्क' और अपशिष्ट फैलाने या पृथक न करने पर 'स्पॉट फाइन' का भुगतान करना होगा।

4. **जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन :** जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जहाँ संभव हो, परिसर के भीतर कंपोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटाया जाना चाहिए।

5. **निर्माता और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारियां :** टिन, काँच और प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे डिस्पोज़ेबल उत्पादों के निर्माताओं और ब्रांड मालिकों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में स्थानीय अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये नियम भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार और सतत ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख पहल :



1. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी इन नियमों के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादकों को प्लास्टिक के कचरे के उत्पादन को सीमित करने, इसके प्रसार को नियंत्रित करने और स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग करके भंडारण करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है। फरवरी 2022 में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया गया।

2. **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :** भारत में इन नियमों का मुख्य उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से निकलने वाले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन करना है।

3. **अपशिष्ट से धन पोर्टल :** भारत में इस पोर्टल का लक्ष्य अपशिष्ट के उपचार के लिए नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, जिससे ऊर्जा उत्पादन, सामग्री का पुनर्चक्रण, और मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण संभव हो सके।

4. **अपशिष्ट से ऊर्जा ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी यह पहल नगरपालिका और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को विद्युत या ताप में परिवर्तित करने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग करती है।

5. **प्रोजेक्ट रीप्लान :** भारत में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को कपास फाइबर के कपड़ों के साथ 20:80 के अनुपात में मिलाकर कैरी बैग बनाना है।

समाधान / आगे की राह :

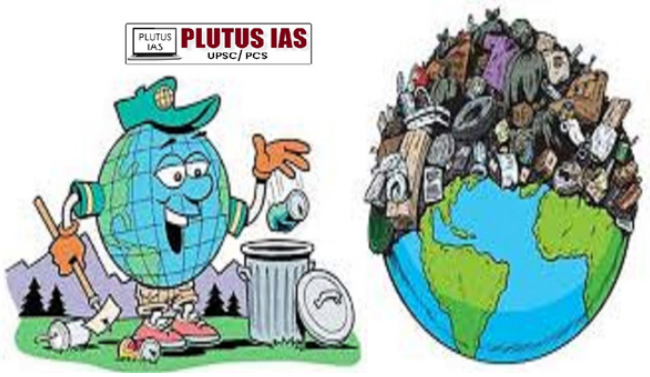
1. **अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करना :** भारत में नगरपालिकाएं भविष्य में देश में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के अनुसार शहरी योजना बनाते समय बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद और बायोगैस उत्पादन को प्राथमिकता दें। इसके लिए, हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए, उन्हें उपयुक्त स्थानों की पहचान करनी चाहिए और वहां पर अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए।

2. **अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रिफ्यूज़-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) जैसे गैर-पुनर्चक्रण योग्य सूखे कचरे का उच्च ऊष्मीय मूल्य होता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं में किया जा सकता है।

3. **विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा देना :** दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्रों में खाद सुविधाएँ स्थापित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग आवश्यक है। इससे जैविक खाद के बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा।

4. **माइक्रो - कम्पोस्टिंग केंद्र (MCC) और सूखा कचरा संग्रह केंद्र (DWCC) की स्थापना करना :** भारत के अन्य राज्यों में भी, तमिलनाडु और केरल की तर्ज पर, प्रत्येक वार्ड में 5 TPD क्षमता वाले MCC और बंगलूरू से प्रेरित 2 TPD क्षमता वाले DWCC स्थापित किए जा सकते हैं।

5. **एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना :** भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ - साथ विकेंद्रीकृत विकल्पों का संयोजन करके सभी प्रकार के कचरे का उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।



स्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(UPSC - 2019)

1. भारत वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट का 12% हिस्सा उत्पन्न करता है।
2. प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट को कपास फाइबर के कपड़ों के साथ 20 : 80 के अनुपात में मिलाकर कैरी बैग बनाना है।
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 कचरे के प्रबंधन के लिए नया ढ़ांचा और गाइडलाइन जारी करता है।
4. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2 , 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

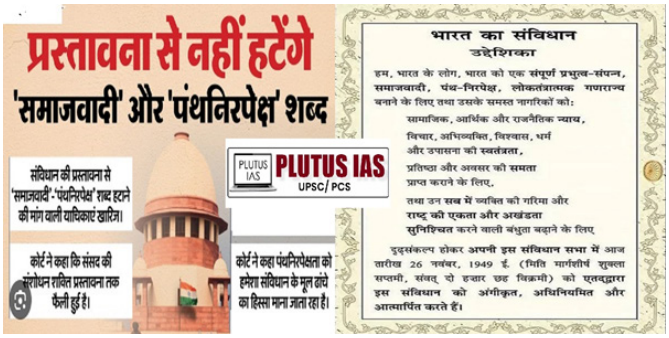
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

समाजवादी और पंथनिरपेक्ष : भारतीय संविधान की संरचना के अविभाज्य स्तंभ

खबरों में क्यों?



- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना में ' पंथनिरपेक्ष ' और 'समाजवादी' शब्दों को जोड़ने के फैसले को सही ठहराया और उन्हें संविधान की संरचना का अनिवार्य हिस्सा माना है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए यह निर्णय 2020 में दाखिल की गई उन याचिकाओं को के संदर्भ में आया है, जिनमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत इन शब्दों को संविधान में शामिल किए जाने को चुनौती दी गई थी।
- याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि ये शब्द भारत के मूल संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे और इससे भारत की आर्थिक नीतियों पर प्रतिबंध लगाते हैं और इसके साथ ही यह संविधान सभा के मूल उद्देश्य के विपरीत हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को मान्यता दी और इसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा, जो सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप विकसित होता है।

समाजवादी अवधारणा क्या है ?

- समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, जो समता और न्याय की स्थापना के लिए प्रयासरत रहती है।
- यह अवधारणा एक ऐसे गणराज्य का समर्थन करती है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है।
- समाजवाद का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना है—चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्तर पर हो।
- इसमें एक लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता निहित होती है, जहाँ हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से समान संसाधनों और अवसरों का लाभ मिल सके।

भारत में समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं :



1. **लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक :** भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करने का संकल्प करता है, जो सभी नागरिकों के सामाजिक न्याय और उत्थान को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है।
2. **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना में सहायक होना :** भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण करता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है। यह मॉडल आर्थिक विकास के लिए दोनों क्षेत्रों की भूमिका को संतुलित करता है, जिससे देश की समग्र उन्नति संभव होती है।
3. **समानता और न्याय पर आधारित राज्य की शासन व्यवस्था का समर्थक होना :** समाजवाद का मूल सिद्धांत आर्थिक और

सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना है। यह सभी प्रकार के शोषण को खत्म करने और समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है, ताकि हर नागरिक को न्याय मिल सके।

4. **लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर आधारित होना :** भारत में समाजवाद का पालन सख्त मार्क्सवादी विचारधारा के बजाय लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में होता है। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उद्यम की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करना है।

5. **बदलती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करना :** "समाजवादी" शब्द किसी विशेष आर्थिक प्रणाली का पालन करने का आदेश नहीं देता, बल्कि यह सरकारों को समय-समय पर बदलती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाने की स्वतंत्रता देता है।

भारत में समाजवाद का महत्व :

1. **सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना :** समाजवाद अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने पर जोर देता है। उदाहरण के रूप में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, जो आय असमानताओं को कम करके ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करता है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जो हाशिए पर मौजूद समूहों को शोषण से बचाता है और समानता को बढ़ावा देता है।

2. **समावेशी विकास सुनिश्चित करना :** समाज के हाशिए पर रहने वाले कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व और उसके लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना समाजवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू है। नीतियाँ जैसे आरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 समाजवादी विचारधारा के तहत कमजोर समुदायों के लिए अवसर, किफायती आवास और खाद्य सुरक्षा प्रदान करती हैं।

3. **वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना :** समाजवादी नीतियाँ संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जो सार्वजनिक कल्याण और निजी उद्यम दोनों के लाभ को सुनिश्चित करती हैं। जैसे औद्योगिक नीति संकल्प (मिश्रित अर्थव्यवस्था), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं।

4. **संवैधानिक आदेश के तहत हाशिए पर रहने वाले वर्गों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना :** भारतीय संविधान में प्रस्तावना और विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से समाजवाद के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया गया है, जो आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना भी समाजवाद के विचारों से प्रेरित है, जो हाशिए पर रहने वाले वर्गों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।

भारतीय समाजवाद के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **आर्थिक असमानताएँ :** कल्याणकारी नीतियों के बावजूद, धन की असमान वितरण लगातार बढ़ रही है। पुनर्वितरण उपायों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन न होने के कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो रही है।

2. **बेरोजगारी और गरीबी :** उच्च बेरोजगारी दर और व्यापक गरीबी समाजवाद के उद्देश्यों को पूरा करने में रुकावट डालते हैं। विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुँच बेहद सीमित हो जाती है।

3. **क्षेत्रीय असमानताएँ :** राज्यों के बीच असमान आर्थिक विकास समाजवाद के समग्र विकास के सिद्धांत को कमजोर करता है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में असमानता बनी रहती है।

4. **निजीकरण और उदारीकरण :** बाजार-आधारित नीतियों के बढ़ते प्रभाव से कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान कम हो गया है। निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने से प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं पर सरकारी नियंत्रण घट रहा है, जिससे सामाजिक कल्याण प्रभावित हो रहा है।

5. **भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे :** कल्याणकारी योजनाओं में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कार्यान्वयन में अक्षमता उत्पन्न होती है। जवाबदेही की कमी से सरकारी संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है।

6. **सामाजिक भेदभाव :** जाति, लिंग और समुदाय आधारित भेदभाव समाज में सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यह भेदभाव समाजवाद के समग्र लक्ष्यों के साथ संघर्ष करता है।

भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत को बनाए रखने के प्रमुख उपाय :

1. **कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण के उपायों को लागू करना :** महिलाओं को स्थानीय निकायों, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए तिहाई आरक्षण लागू करना, और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सशक्तिकरण के उपायों को लागू करना, यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाता है।

2. **समाज के पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना (राष्ट्रीय आयोग) :** राष्ट्रीय आयोगों, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी), अनुसूचित जनजाति आयोग (एसटी), और महिला आयोग को सशक्त करना, ताकि उनकी सिफारिशों और अधिकारों को सरकार द्वारा सक्रिय रूप से

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

लागू किया जा सके, समाज के पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सके।

3. **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में योगदान देना :** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, जैसे कोयला, इस्पात, और ऊर्जा के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, ताकि समग्र राष्ट्र में आर्थिक समानता स्थापित हो।

4. **गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों का निर्माण करना (जैसे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) :** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के द्वारा गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करना, जो भूख और कुपोषण से निपटने में मदद करता है और गरीबी कम करने तथा आर्थिक समानता सुनिश्चित करने में योगदान करता है।

5. **गरीब और हाशिए पर रहने वाले समूहों की सहायता करना :** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) जैसे उपायों के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, साथ ही दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन, जिससे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलती है, और उनकी जीवनस्तर में सुधार होता है।

6. **सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना :** शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसी नीतियाँ, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, एससी/एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती हैं, और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती हैं।

7. **समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार पूंजीवाद सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करना :** एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसमें पूंजीवाद सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करता है। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय न्यायसंगत तरीके से काम करें और सतत विकास में योगदान दें, ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचे।

निष्कर्ष :



- संविधान की प्रस्तावना में ' पंथनिरपेक्ष ' और ' समाजवादी ' शब्दों का समावेश भारत की समाज में समानता और सामाजिक कल्याण की ओर उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं ने इन सिद्धांतों को संविधान के अभिन्न और अपरिहार्य तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश के संविधान में निहित ये मूलभूत मूल्य दृढ़ता से स्थापित करें।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान भारत में समाजवाद से जुड़े हैं?

1. मौलिक कर्तव्य
2. अनुसूची नौ
3. प्रस्तावना
4. संविधान का भाग 15

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1

B. केवल 2

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में कहा गया है कि समाजवाद संविधान का अभिन्न हिस्सा है।" इस कथन के संदर्भ में भारत में समाजवाद की विशेषताओं और प्रमुख चुनौतियों पर तर्कसंगत चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का अनिवार्य पंजीकरण बनाम फर्जी मुठभेड़ मामला

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जानी चाहिए, जिससे पुलिस की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

- दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश को चुनौती देने के संदर्भ में की गई थी।



- उक्त कथित मुठभेड़ में एसडीएम की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा किया गया था , लेकिन न्यायालय ने मुठभेड़ की वास्तविकता की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 के ललिता कुमारी केस के संदर्भ में, कहा कि संज्ञेय अपराध की शिकायत पर FIR लिखना अनिवार्य है, भले ही अंततः क्लोज़र रिपोर्ट ही क्यों न हो।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र का हवाला देते हुए न्यायेतर हत्याओं की उचित जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) :

- भारत के संविधान में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भारतीय न्याय संहिता (BNS) या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 में निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पुलिस प्रक्रिया दस्तावेज है जो संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पुलिस के पास सबसे पहले पहुँचने वाली रिपोर्ट होती है, इसी कारण इसे 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' कहा जाता है।
- यह रिपोर्ट आमतौर पर संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई जाती है और इसे मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के प्रमुख तत्त्व :

1. **संज्ञेय अपराध की सूचना :** FIR में शामिल जानकारी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित होना चाहिए।
2. **प्रस्तुतिकरण :** सूचना थाने के प्रमुख को लिखित या मौखिक रूप में दी जानी चाहिए।
3. **पंजीकरण :** रिपोर्ट को मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसके मुख्य बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए।

FIR दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया :

1. **जाँच :** पुलिस उक्त मामले की जाँच करती है और साक्ष्य एकत्र करती है, जिसमें गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा एकत्र की गई जाँच सामग्री शामिल होती है।
2. **गिरफ्तारी :** यदि उक्त मामले में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है।
3. **आरोप पत्र :** यदि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की सबूतों की पुष्टि होती है, तो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। अन्यथा, कोई सबूत न मिलने की स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।
4. **रद्दीकरण रिपोर्ट :** यदि जांच में कोई अपराध नहीं पाया जाता है , तो उक्त मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
5. **अनट्रेस्ड रिपोर्ट :** यदि आरोपी का पता नहीं चलता, तो एक 'अन-ट्रेस्ड' रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
6. **न्यायालय का आदेश :** यदि न्यायालय पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए जाँच रिपोर्ट से किसी भी प्रकार से असंतुष्ट है, तो वह पुलिस अधिकारी को उक्त मामले में आगे की जाँच करने का आदेश दे सकती है।

एफआईआर दर्ज करने से इंकार किए जाने की स्थिति में :

- यदि थाने का प्रभारी अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तो CrPC की धारा 154(3) के तहत व्यक्ति पुलिस अधीक्षक/डीसीपी को शिकायत कर सकता है।
- यदि पुलिस अधीक्षक/डीसीपी को लगता है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वह खुद जांच करेगा या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच का निर्देश देगा।
- अगर एफआईआर फिर भी दर्ज नहीं होती है , तो पीड़ित CrPC की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में शिकायत कर सकता है और न्यायालय पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

ज़ीरो एफआईआर :

- जब किसी अपराध के संदर्भ में शिकायतकर्ता किसी पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के लिए पहुँचता है, और यह शिकायत उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित अपराध के विषय में होती है, तो उस पुलिस स्टेशन को 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज करनी होती है।

- 'ज़ीरो एफआईआर' में पुलिस शिकायत की जांच करने के बजाय केवल शिकायत की रिकॉर्डिंग करती है और इस प्राथमिकी को एक अद्वितीय संख्या के बिना दर्ज करती है। इसके बाद, यह 'ज़ीरो एफआईआर' संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी जाती है, जो उस अपराध के क्षेत्राधिकार में आता है। संबंधित पुलिस स्टेशन फिर नए एफआईआर के रूप में मामले की जांच शुरू करता है।

संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध :

1. संज्ञेय अपराध :

- संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम होती है। इन मामलों में, पुलिस स्वतः ही जाँच शुरू कर सकती है और उसे न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय अपराधों की सूची भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य कानूनों में दी जाती है। उदाहरण के लिए, हत्या, बलात्कार, चोरी आदि संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं।

2. गैर-संज्ञेय अपराध :

- गैर-संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे अपराधों में, पुलिस को अपराध की जाँच शुरू करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। गैर-संज्ञेय अपराधों के मामलों में प्राथमिकी (FIR) भारतीय दंड संहिता की धारा 155 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। इसके अंतर्गत शिकायतकर्ता को न्यायालय के पास जाकर जाँच का निर्देश प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए, मानहानि, छोटे- मोटे झगड़े आदि गैर-संज्ञेय अपराधों में आते हैं।

- इन अवधारणाओं को समझना और लागू करना पुलिस प्रक्रिया और न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

शिकायत (Complaint) और प्राथमिकी (FIR) के बीच मुख्य अंतर :

शिकायत (Complaint) और प्राथमिकी (FIR) के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं -

- **शिकायत :** आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, शिकायत मौखिक या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किसी आरोप को कहा जाता है, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा नहीं किया है।

- **प्राथमिकी (FIR) :** FIR वह दस्तावेज़ है जिसे पुलिस द्वारा शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के बाद तैयार किया जाता है। इसमें अपराध और कथित अपराधी का विवरण होता है।

- **शिकायत :** यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है और इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

- **प्राथमिकी (FIR) :** यह पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है।

- **शिकायत :** शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाती है और यह पुलिस जांच का आधार नहीं बनती है।

- **प्राथमिकी (FIR) :** FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। यदि FIR में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध पाया जाता है, तो पुलिस जांच जारी रखती है।

- **शिकायत :** शिकायत के लिए कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है और यह मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है।

- **प्राथमिकी (FIR) :** FIR एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाता है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है।

- **शिकायत :** शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है।

- **प्राथमिकी (FIR) :** FIR दर्ज होने के बाद एक तय समय सीमा होती है जिसके भीतर पुलिस को जांच पूरी करनी होती है और मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है।

- **शिकायत :** शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा सकती है।

- **प्राथमिकी (FIR) :** FIR के आधार पर पुलिस द्वारा जांच शुरू की जाती है और यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया का पहला कदम होता है।

स्त्रोत - पी.आई.बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. प्राथमिकी में अपराध और कथित अपराधी का विवरण होता है।
2. प्राथमिकी एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाता है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है।
3. शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है।

उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ज़ीरो एफआईआर से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि भारत में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का अनिवार्य पंजीकरण होना किस तरह आम नागरिकों को न्याय दिलाने को सुनिश्चित करता है ? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास

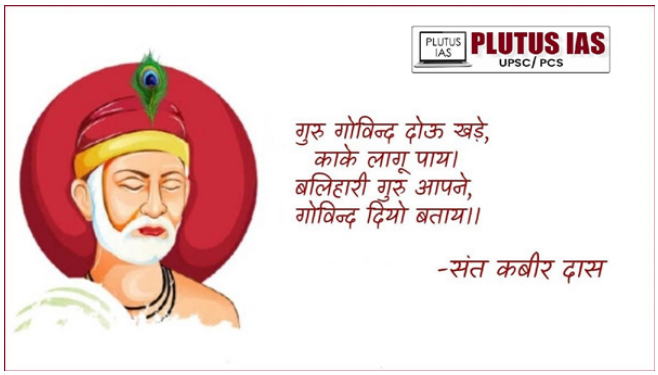
(यह लेख यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1 के अंतर्गत ' मध्यकालीन भारतीय इतहिास, कला एवं संस्कृत,ि भारत में सामाजकि, धार्मकि सुधार आंदोलन और वरिासत, भक्त िआंदोलन में कबीर दास का योगदान, भारत में भक्त िआंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ' खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभकि परीक्षा के अंतर्गत ' भारत में भक्त िआंदोलन, संत कबीर दास, कबीर बीजक (कवताएँ और छंद), कबीर ग्रंथावली, कबीर के दोहे ' खण्ड से संबंधति है।)

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 11 जून, 2025 को मध्यकालीन संत और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि कबीर दास की 648वीं जयंती मनाई।
- इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि - " कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ है। मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बड़ा ही सरल माध्यम है।"
- भारत में कबीर दास की जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर (Hindu Lunar Calendar) के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है।।

कबीर दास :



- कबीर दास, 15वीं सदी के मध्यकालीन भारत के रहस्यवादी कवि और संत थे।
- उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, परंतु वे अपने शिक्षक, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रमुख प्रणेता रामानंद से काफी प्रभावित थे, जो हिन्दू धर्म से संबंधित थे।
- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, और उनका पालन-पोषण एक हिंदू बुनकर दंपत्ति ने किया था।
- कबीर दास भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम को जोर दिया।
- उनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम काव्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- कबीर ने अपने गुरुओं, जैसे कि रामानंद और शेख तकी, से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने दर्शन को एक अद्वितीय आकार दिया।
- कबीर के दोहे जो उन्होंने अपने छंदों के रूप में लिखे थे, उनकी प्रसिद्धि को दर्शाते हैं।
- उनकी रचनाएँ हिंदी भाषा में लिखी गईं और लोगों को जागरूक करने के लिए वे अपने दोहों का उपयोग करते थे।
- उनकी रचनाओं ने भारतीय साहित्य और हिंदी भाषा के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है।
- उनके द्वारा लिखी गई ब्रजभाषा और अवधी बोलियों में लिखी गई रचनाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं।
- कबीर दास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जैसे ग्रंथ शामिल हैं।
- उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं।

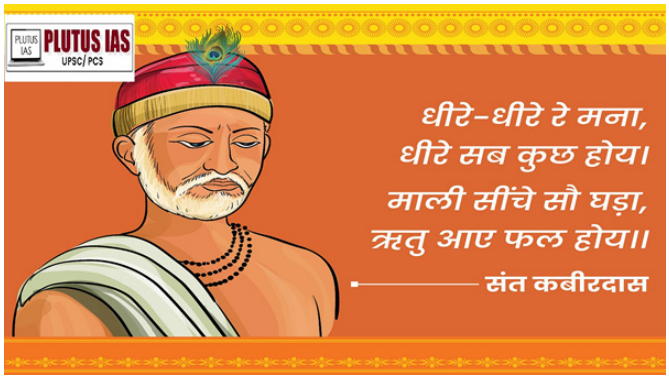
- उनके प्रमुख रचनात्मक कार्यों का संकलन पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था।
- उन्होंने अपने दो-पंक्ति के दोहों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है।
- भाषा : कबीर की कृतियाँ हिंदी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें समझना आसान था। लोगों को जागरूक करने के लिए वह अपने लेख दोहों के रूप में लिखते थे।

भारत में भक्ति आंदोलन :



- भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना या आन्दोलन था, जो मुख्य रूप से 6वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत में उपजी और अत्यंत तेजी तत्कालीन भारतीय समाज में प्रसारित हुई।
- इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत भगवान या देवता के प्रति उत्कट भक्ति को प्रचार - प्रसार करना था, जो मोक्ष और दिव्य प्राप्ति के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव, प्रेम और भक्ति पर जोर देता था।
- भारत में भक्ति आंदोलन ने जाति, पंथ और धर्म जैसे अनेक सामाजिक असमानताओं को दूर कर लिया था, जिससे पूरे भारत में धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और दार्शनिक विचारों में गहरा परिवर्तन आया।
- इस आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिण राज्यों संभवत: तमिल क्षेत्र में हुई, जहां अलवार (विष्णु के भक्त) और नयनार (शिव के भक्त) तथा वैष्णव और शैव कवियों ने कविताओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार-प्रसार किया।
- अलवार और नयनार अपने देवताओं की स्तुति में तमिल भाषा में भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे।
- उनकी रचनाओं में भगवान की महिमा और प्रेम की भावना व्यक्त होती थी।
- भक्ति आंदोलन के द्वारा भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के तरीके और मार्ग के रूप में स्थापित किया गया।
- इस आंदोलन ने भारत के मध्यकाल के समाज में व्याप्त धार्मिक आडम्बरों, कुरीतियों आदि के स्थान पर एक तार्किक धार्मिक विचारों को एक नई दिशा दी और सांप्रदायिक कट्टरता, आपसी वैमनस्यता और जातिगत भेदभाव की जगह सामाजिक एकता को प्रसारित और समृद्ध किया।
- भक्ति आंदोलन के दौरान भारत में एक तरफ जहाँ सगुण भक्ति परंपराएँ शिव, विष्णु और उनके अवतारों या देवी के विभिन्न रूपों जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित थीं, जिन्हें प्रायः मानवशास्त्रीय रूपों में अवधारणाबद्ध किया जाता था। वहीं दूसरी ओर, निर्गुण भक्ति भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा पर आधारित थी।

भक्ति आंदोलन के समय भारत की सामाजिक व्यवस्था :



- भक्ति आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू, मुसलमान और सिख समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।
- इस काल में सामाजिक-धार्मिक सुधारकों ने भगवान की भक्ति को प्रमुख आधार बनाया।
- भारत में इस आंदोलन में उच्च और निम्न जातियों से आए कवियों ने साहित्य को एक महत्वपूर्ण साधन बनाया, जिसने लोकप्रिय कथाओं को मजबूती से स्थापित किया।
- इन संतों ने समाज में सांप्रदायिक कट्टरता और जातिगत भेदभाव की आलोचना की और वास्तविक मानवीय आकांक्षाओं के क्षेत्र में धर्म की प्रासंगिकता का दावा किया।
- भक्ति आंदोलन के समस्त कवि भारत में सभी लोगों के लिए ईश्वर की भक्ति को ही सच्चे अर्थों में संसार के मायामोह से मुक्ति प्राप्त करने का साधन मानते थे।
- भक्ति आंदोलन के कवियों की भक्ति स्वार्थरहित और अनन्य श्रद्धा पर आधारित थी।
- इस आंदोलन ने तत्कालीन भारतीय समाज की विभाजक और विध्वंसक तत्वों के खिलाफ सार्थक भूमिका अदा की और कर्म योग, ज्ञान योग, और भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को स्थापित किया।

- भक्तिकालीन कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण को महत्व दिया और मूर्ति पूजा को उन्मूलन करने का प्रयास किया।

भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका :

- भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
- यह आंदोलन महिलाओं को अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करता था, जिससे उन्हें घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलने में मदद मिली।
- महिलाएं धार्मिक सभाओं में सक्रिय रूप से शामिल होती थीं, भक्ति-पूर्ण गीत गाती थीं और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेती थीं।
- इस आंदोलन में महिला संतों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दिया और जाति भेद को कम किया।
- इस आंदोलन ने महिलाओं को आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की और उन्हें समाज में अधिक समानता दिलाई।

अंडाल :

- अंडाल एक महिला अलवार थीं, जिन्होंने खुद को विष्णु की प्रेमिका के रूप में देखा। उनकी रचनाएँ और उमें निहित भक्ति का भाव आज भी प्रमुख हैं।

कराईकल अम्मैयार :

- कराईकल अम्मैयार शिव की भक्त थीं। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया।
- उनकी रचनाओं को नयनार परंपरा के भीतर संरक्षित किया गया है।

भक्ति आंदोलन के महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व :

कन्नड़ क्षेत्र :

- कन्नड़ क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बसवन्ना (1105-68) द्वारा की गई थी।

महाराष्ट्र :

- महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इसके समर्थकों को वारकरी कहा जाता था। इसके सबसे प्रमुख नामों में ज्ञानदेव (1275-96), नामदेव (1270-50), और तुकाराम (1608-50) शामिल हैं।

असम :

- श्रीमंत शंकरदेव एक वैष्णव संत थे जिनका जन्म 1449 ईस्वी में असम के नगांव जिले में हुआ था। उन्होंने नव-वैष्णव आंदोलन को शुरू किया था।

बंगाल :

- चैतन्य बंगाल के एक प्रसिद्ध संत और सुधारक थे, जिन्होंने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया।

उत्तरी भारत :

- इस क्षेत्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक कई कवि भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे।
- कबीर, रविदास, और गुरु नानक ने निराकार भगवान (निर्गुण भक्ति) की महत्ता बताई।
- राजस्थान की मीराबाई (1498-1546) ने कृष्ण की स्तुति में भक्ति छंदों की रचना की और उनका गुणगान किया।
- सूरदास, नरसिंह मेहता, और तुलसीदास ने भी भक्ति साहित्य और भक्ति आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया तथा इसकी गौरवशाली विरासत को बढ़ाया।

इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भरतीय समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडम्बरों और कट्टरताओं को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भक्ति आंदोलन और कबीर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कबीर दास भक्ति आंदोलन के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के व्यक्ति थे।
2. कबीर दास की रचनाओं ने भारतीय साहित्य और हिंदी भाषा के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है।
3. भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत में पहुंची थी।
4. भक्ति आंदोलन के कारण महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलने में मदद मिली।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार भारतीय समाज में सांप्रदायिक कट्टरता, धार्मिक आडम्बर और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





इसरो की विश्वसनीयता की परीक्षा : PSLV-C61 मिशन की असफल उड़ान

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अपने PSLV - C 61 मिशन में असफलता का सामना करना पड़ा।
- इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-09 को अंतरिक्ष में भेजना था, लेकिन उड़ान के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन असफल हो गया।
- यह घटना इसलिए अहम है क्योंकि PSLV आमतौर पर अपनी विश्वसनीयता और लगातार सफल प्रक्षेपणों के लिए जाना जाता है, और इस तरह की विफलता इसके लिए बहुत ही असामान्य मानी जाती है।

पृष्ठभूमि एवं मिशन अवलोकन :

पैरामीटर	विवरण
मिशन का नाम	PSLV-C61 / EOS-09
प्रक्षेपण की तारीख	18 मई, 2025, 5:59 पूर्वाह्न IS
प्रक्षेपण स्थल	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरि-कोटा
उपग्रह / सैटेलाइट का वजन	1,696.24 किलोग्राम
वाहन विन्यास	PSLV-XL (पीएसएलवी-एक्सएल) (अतिरिक्त बड़ा)

EOS-09 के मुख्य उद्देश्य :

- EOS-09 उपग्रह का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी का व्यापक अवलोकन करना है, जिसके लिए यह कई महत्वपूर्ण काम करेगा:
- **हर मौसम में धरती की निगरानी :** यह उपग्रह सी-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का इस्तेमाल करेगा, जिससे यह बादल, बारिश या दिन-रात की परवाह किए बिना धरती की तस्वीरें ले पाएगा।
- **उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली साफ़ और बारीक तस्वीरें :** यह पृथ्वी की सतह की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली रडार तस्वीरें खींचेगा, जो बारीकी से निगरानी और विश्लेषण में मदद करेंगी।
- **प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तुरंत चेतावनी देने में सहायक होना :** यह बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तुरंत चेतावनी देने, राहत कार्य में सहायता करने और नुकसान का आकलन करने में सहायक होगा।
- **खेती-बाड़ी की निगरानी में सहायक :** यह रडार से ली गई तस्वीरों के जरिए फसलों का जायजा लेने, उपज का अनुमान लगाने और कीटों या बीमारियों का पता लगाने में मदद करेगा।
- **जंगलों और जैव विविधता की निगरानी में सहायक होना :** यह जंगलों की स्थिति, कटाई, अतिक्रमण और जैव विविधता से जुड़े बदलावों को समय के साथ ट्रैक करेगा।
- **मिट्टी की नमी और भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन करने में सहायक :** यह मिट्टी की नमी का आकलन करने, जल निकायों का नक्शा बनाने और भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन करने में सहायक होगा, जो जल प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है।
- **जलवायु और पर्यावरण के दीर्घकालिक विश्लेषण या अध्ययन में सहायक :** यह जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, ग्लेशियरों की निगरानी और पर्यावरण के दीर्घकालिक विश्लेषण के लिए लगातार डेटा देगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **रिमोट सेंसिंग की बेहतर डेटा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना :** यह मौसम या प्रकाश की स्थिति से परे, लगातार और बिना रुकावट के रिमोट सेंसिंग डेटा सुनिश्चित करेगा।
- **भारत की सीमा निगरानी औए राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी में सहायक :** यह रडार इमेजिंग का उपयोग करके भारत की सीमा निगरानी, रणनीतिक संपत्तियों की निगरानी और बुनियादी ढांचे की योजना को मजबूत करेगा।

PSLV-C61 मिशन की विफलता :

पीएसएलवी-सी61 मिशन का तीसरे चरण में खराबी के कारण असफल रहा। यह चरण रॉकेट को सही गति और दिशा देने के लिए जिम्मेदार होता है।

1. **विफलता का समय:** यह समस्या तीसरे चरण के दौरान आई, जिसमें ठोस रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है।
2. **तीसरे चरण का काम:** इसका काम रॉकेट को वांछित कक्षीय गति और तय रास्ते पर पहुँचाने के लिए बल प्रदान करना है।
3. **तकनीकी समस्या:** शुरुआती जांच में पता चला है कि तीसरे चरण की मोटर में चैंबर दबाव कम हो गया था।
4. **जांच जारी:** इसरो ने इस विफलता के मूल कारण का पता लगाने के लिए एक जांच समिति बनाई है।
5. **मिशन का अंजाम:** उपग्रह को उसकी तय सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (SSPO) में स्थापित नहीं किया जा सका।
6. **ऐतिहासिक पहलू:** 1993 के बाद यह पीएसएलवी की तीसरी विफलता है, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता को भी दर्शाती है।

PSLV-C61 मिशन की असफलता का महत्व :

- पीएसएलवी की साख पर असर पड़ना : सन 1993 में अपनी पहली उड़ान के बाद से पीएसएलवी को इसरो का सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी रॉकेट माना जाता रहा है।
- पीएसएलवी का मजबूत प्रदर्शन : इस मिशन से पहले, पीएसएलवी ने बिना किसी बड़ी समस्या के 63 सफल लॉन्च किए थे।
- पीएसएलवी के ऑपरेशनल इतिहास में दुर्लभ विफलता के रूप में होना : पीएसएलवी के तीन दशकों के ऑपरेशनल इतिहास में यह केवल तीसरी विफलता है।
- पीएसएलवी विफलता के लंबे अंतराल के रूप में होना : पिछली पीएसएलवी विफलता 2017 में पीएसएलवी-सी39 मिशन के दौरान हुई थी। इस प्रकार, लगभग 8 साल की लगातार सफलता के बाद यह एक दुर्लभ घटना है।
- मिशन का महत्व : EOS-09 एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जिसका उद्देश्य भारत की रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को बढ़ाना था।
- इसरो की छवि पर प्रभाव पड़ना : यह विफलता इसरो के त्रुटिहीन पीएसएलवी रिकॉर्ड और अंतरिक्ष प्रक्षेपण विश्वसनीयता के लिए एक झटका है।
- आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों में परिचालन संबंधी प्रभाव के रूप में दिखना : यह आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों में बढ़ती जटिलता और जोखिम को दर्शाता है।
- तकनीकी सतर्कता की आवश्यकता होना : यह भविष्य के मिशनों में उच्च विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर परीक्षण, सत्यापन और विफलता विश्लेषण के महत्व पर जोर देता है।

समाधान की राह :

- इसरो इस विफलता से उबरने और भविष्य के मिशनों को और भी मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। जो निम्नलिखित है -
- **गहन तकनीकी जांच की आवश्यकता :** इसरो तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच समिति के ज़रिए पूरी गहराई से जांच करेगा।
- **गुणवत्ता प्रक्रिया को मजबूत बनाना :** रॉकेट के अहम हिस्सों, खासकर तीसरे चरण की ठोस मोटर, की जांच और परीक्षण के नियमों को और कड़ा और असरदार बनाकर गुणवत्ता जांच और परीक्षण प्रक्रियाओं को सुधारा जाएगा
- **उन्नत तकनीकी के साथ अनुसंधान की प्रक्रिया को तेज करना :** रॉकेट प्रणोदन प्रणाली को और भरोसेमंद बनाने के लिए नई सामग्री, डिजाइन और तकनीकों पर अनुसंधान तेज़ किया जाएगा। इसमें नई सामग्री और तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है।
- **बेहतर निगरानी व्यवस्था को सुनिश्चित करना :** लॉन्च के दौरान किसी भी गड़बड़ी का जल्दी पता लगाने और उसे तुरंत ठीक करने के लिए एडवांस्ड रियल-टाइम निगरानी और टेलीमेट्री सिस्टम या डेटा ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
- **मिशन में जोखिम का बेहतर आंकलन के तरीकों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता :** हाल की असफलताओं से मिले सबक को शामिल करके मिशन जोखिम विश्लेषण के तरीकों को और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में अनिश्चितताओं को कम किया जा सके।
- **क्षमता और प्रशिक्षण बढ़ाने की जरूरत :** इंजीनियरों और मिशन नियंत्रकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें गड़बड़ी का पता लगाने और संकट प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा, ताकि उनकी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़े।
- **बैकअप और आकस्मिक या आपदा योजनाओं को शामिल करने की जरूरत :** मिशन विफल होने पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए मजबूत आकस्मिक रणनीतियां बनाई जाएंगी, जिसमें बैकअप लॉन्च वाहन या उपग्रह शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैकअप रॉकेट, उपग्रह और वैकल्पिक योजनाएं तैयार की जाएंगी।

- **पारदर्शी संचार में सभी संबंधित पक्षों और जनता को समय पर जानकारी प्रदान करना :** इसरो अपनी क्षमताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए जांच की प्रगति और सुधार के उपायों के बारे में सभी संबंधित पक्षों और जनता को समय पर जानकारी देता रहेगा।
- **आगामी मिशनों की सुरक्षा में सुधार करने की जरूरत :** भविष्य के PSLV मिशनों में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और जांच तंत्र जोड़े जाएंगे, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे और कोई भी तकनीकी गड़बड़ी समय रहते पहचान की जा सके।

निष्कर्ष :

- PSLV-C61 मिशन की विफलता हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे जटिल और जोखिम भरे क्षेत्र में, सबसे भरोसेमंद प्रणालियाँ भी कभी-कभी असफल हो सकती हैं।
- अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे जटिल और जोखिम भरे क्षेत्र में यह घटना ISRO के शानदार रिकॉर्ड में एक रुकावट को प्रदर्शित तो करती है, लेकिन यह सुधार, आत्म-मूल्यांकन और प्रोटोकॉल को अपग्रेड करने एवं मिशन को मजबूत करने का एक अवसर भी प्रदान करती है।
- व्यापक विफलता विश्लेषण, तकनीकी सुधार और उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, इसरो भविष्य के मिशनों में और अधिक मजबूत, सुरक्षित और लचीला बनकर उभरेगा।
- भारत को अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनाने का सपना, दशकों की मेहनत, नवाचार और जनता के विश्वास पर टिका है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे जटिल और जोखिम भरे क्षेत्र में भी, इसरो द्वारा यह आगे भी जारी रहेगा।

स्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. PSLV-C61 / EOS-09 मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. PSLV-C61 मिशन को EOS-09 उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था।
2. पीएसएलवी के तीसरे चरण में उच्च प्रणोद के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है।
3. EOS-09 को सभी मौसम, दिन और रात की इमेजिंग के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) से सुसज्जित किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि PSLV-C61 मिशन की विफलता इसरो के अब तक के सफल प्रक्षेपण इतिहास में एक दुर्लभ विसंगति क्यों मानी जा रही है? EOS-09 उपग्रह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इस विफलता के संभावित निहितार्थ क्या हो सकते हैं, और भविष्य में उपग्रह मिशनों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

शहरी वनों का अस्तित्व दांव पर : कानूनी, पर्यावरणीय और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कारण हैदराबाद के शेष बचे शहरी जंगलों में से एक — कांचा गाचीबोवली — अब अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इसका कारण बना तेलंगाना सरकार का यह निर्णय, जिसमें उसने औद्योगिक विकास के लिए 400 एकड़ भूमि प्रदान करने का निश्चय किया।
- सरकार ने जंगल पर अपने अधिकार का दावा करते हुए, विरोध कर रहे छात्रों पर आरोप लगाया कि वे रियल एस्टेट लॉबी के प्रभाव में आकर विरोध कर रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए 100 एकड़ में की गई पेड़ों की कटाई पर चिंता जताई और राज्य सरकार को फटकार लगाई। यह मामला न केवल शहरी जंगलों की नाजुक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि विकास की दौड़ में पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी और असंवेदनशीलता को भी पोल उजागर करता है।

शहरी वन क्यों महत्वपूर्ण है?

वर्ग	मुख्य लाभ
पर्यावरण	– प्रदूषकों (PM2.5, NOx, CO_2) को फ़िल्टर करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करें
	– शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करना
	– कार्बन को अलग करना, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना
	– वर्षा जल को अवशोषित करना, शहरी बाढ़ को कम करना
स्वास्थ्य और कल्याण	– श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों को कम करना
	– मनोरंजन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्थान प्रदान करना
	– व्यस्त शहरी परिवेश में शोर को कम करने वाले बफर के रूप में कार्य करना
पारिस्थितिकी	– शहरी जैवविविधता (पक्षी, कीड़े, छोटे स्तनधारी) का समर्थन करना
	– लघु-पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करना, मृदा और जल चक्र में सुधार करना
शहरी स्थिरता	– जलवायु लचीलापन और आपदा तैयारी को बढ़ाना
	– स्मार्ट सिटी और हरित अवसंरचना लक्ष्यों के साथ संरेखित करना

भारत में प्रमुख शहरी वन :

शहरी वन का नाम	शहर	उल्लेखनीय विशेषताएँ
कांचा गाचीबोवली	हैदराबाद	शहर के बचे हुए अंतिम क्षेत्रों में से एक; वर्तमान में शहरी विस्तार से खतरा है।
आरे वन	मुंबई	विकास पर विवादों के बावजूद, जैव विविधता और वायु गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण, एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र।
दिल्ली रिज और नीला हौज	दिल्ली	यह राष्ट्रीय राजधानी को हरित फेफड़ा प्रदान करता है, जो मनोरंजन और पर्यावरणीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है; न्यायिक हस्तक्षेप इन क्षेत्रों को संरक्षित करने में मदद करता है।
तुरहल्ली वन	बेंगलुरु	तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच एक मूल्यवान प्राकृतिक क्षेत्र, जो अपनी जैव विविधता और मनोरंजक उपयोग के लिए जाना जाता है।
पोल का बादली	जयपुर	यह शहर में एक महत्वपूर्ण हरित स्थान के रूप में कार्य करता है, तथा शहरी पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान देता है।

शहरी वनों के लिए सरकारी पहल :



शहरी वन संरक्षण में विधिक एवं न्यायिक पहल :

1. **न्यायालयों की सक्रिय भूमिका :** शहरी हरित क्षेत्रों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर जनहित याचिकाओं के माध्यम से हस्तक्षेप किया है। नागरिकों व सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायपालिका ने न केवल सुनवाई की, बल्कि प्रभावी निर्देश भी दिए।

2. **सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती :** कांचा गाचीबोवली विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ कटाई को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार को पर्यावरणीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी। यह निर्णय न्यायपालिका के पर्यावरणीय सरोकारों को रेखांकित करता है।

3. **प्रशासनिक निर्णयों पर निगरानी :** कार्यपालिका के ऐसे निर्णय, जो पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सतत निगरानी में रहते हैं। यह हस्तक्षेप सार्वजनिक हित की प्राथमिकता बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

4. **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 :** प्रदूषण और अवैध विकास गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु व्यापक कानूनी आधार प्रदान करता है।

5. **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 :** इस अधिनियम के तहत बिना केंद्रीय स्वीकृति के वन भूमि के उपयोग में बदलाव पर रोक लगाता है, जिससे वनों की रक्षा सुनिश्चित होती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश और आदेश :** न्यायालय ने समय-समय पर वृक्ष कटाई, अतिक्रमण और भूमि उपयोग में बदलाव को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे शहरी वनों को अवैध अतिक्रमण से बचाया जा सके।

7. **संवैधानिक संरक्षण :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का निर्देश देता है, जो नीतिगत ढांचे में पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में लाता है।

8. **सतत विकास का न्यायिक समर्थन :** न्यायिक हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की खोज की जाती है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

शहरी वनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **अनियंत्रित शहरी विस्तार :** तेजी से फैलते शहरों के कारण वन भूमि को आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों में बदला जा रहा है, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. **भारी बुनियादी ढांचा निर्माण :** मेट्रो, फ्लाईओवर और औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए हरित क्षेत्रों की बलि दी जा रही है, जो पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ता है।

3. **अवैध - अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती झुग्गियाँ :** शहरी वनों में अनधिकृत निर्माण और झुग्गी बस्तियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, जो न केवल स्थानिक पारिस्थितिकी को प्रभावित करती हैं, बल्कि वन क्षेत्र को भी सिकोड़ती हैं।

4. **प्रदूषण का बढ़ता स्तर :** आसपास के शहरी क्षेत्रों से फैलता वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण वन क्षेत्रों की जैविक संरचना और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

5. **अनियंत्रित वृक्ष कटाई :** भूमि उपयोग में बदलाव, ईंधन और निर्माण के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शहरी वनों की निरंतरता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

6. **आक्रामक पौधों की प्रजातियों का प्रसार :** गैर-देशी पौधों की अनियंत्रित वृद्धि पारिस्थितिकीय संतुलन को बाधित करती है और स्थानीय प्रजातियों को संकट में डालती है।

7. **कानूनी संरक्षण की कमी :** कई शहरी वन संरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते, जिससे उन पर नियमन और प्रवर्तन दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं।

8. **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव :** बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और मौसम की चरम घटनाएँ शहरी वनों की सहनीयता और पारिस्थितिक तंत्र को चुनौती देते हैं।

9. **भूमि मूल्य और रियल एस्टेट का बढ़ता दबाव :** शहरों में भूमि की बढ़ती मांग और कीमत शहरी वनों को लाभकारी अचल संपत्ति परियोजनाओं में परिवर्तित करने के लिए निरंतर दबाव बनाती है।

शहरी वनों के संरक्षण की दिशा में भावी रणनीति एवं समाधान की राह :

- **कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता :** शहरी हरित क्षेत्रों को संरक्षित वन क्षेत्र का दर्जा देकर उन्हें मौजूदा वन एवं पर्यावरण कानूनों के दायरे में लाना आवश्यक है, ताकि उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- **समग्र शहरी नियोजन में शहरी वनों को रणनीतिक रूप से समाहित करने की आवश्यकता :** शहरों की विकास योजनाओं जैसे मास्टर प्लान और ज़ोनिंग नीतियों में शहरी वनों को रणनीतिक रूप से समाहित करना चाहिए, जिससे अनियंत्रित निर्माण और अतिक्रमण रोके जा सकें।

- **पर्यावरण संरक्षण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करने की जरूरत :** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित सभी संबंधित विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्थागत निगरानी और जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए।

- **स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** शहरी वन प्रबंधन को तभी सफलता मिलेगी जब स्थानीय नागरिक, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और छात्र समूह प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण व निगरानी कार्यों में सहभागी बनें।

- **देशी प्रजातियों का वृक्षारोपण करने की जरूरत :** बंजर, उपेक्षित या क्षतिग्रस्त शहरी क्षेत्रों में देशज वृक्षों के माध्यम से संगठित वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएं ताकि जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल किया जा सके।

- **तकनीकी - सहायता के द्वारा वनों के अतिक्रमण की पहचान करके वनों की सीमा निर्धारण और निगरानी करने की आवश्यकता :** GIS मैपिंग, उपग्रह चित्रण और ड्रोन निगरानी जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग अतिक्रमण की पहचान, वनों की सीमा निर्धारण और निगरानी के लिए किया जा सकता है।

- **शहरी परियोजनाओं में हरित निवेश को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता :** शहरी परियोजनाओं में हरित बुनियादी ढांचे को अपनाने तथा वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र और डेवलपर्स को आर्थिक प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाए।

- **जन-जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत :** स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय कॉलोनियों में शहरी वनों के लाभों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे नागरिकों में संरक्षण की भावना उत्पन्न हो।

निष्कर्ष :

1. कांचा गाचीबोवली की घटना न केवल एक स्थानीय विवाद थी, बल्कि इसने भारत के शहरी विकास के वर्तमान मॉडल / प्रारूप की सीमाओं को उजागर किया है, जहाँ क्षणिक आर्थिक लाभ को

दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय संतुलन पर तरजीह दी जाती है। यह स्पष्ट संकेत है कि शहरी नियोजन में प्रकृति को केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक मूलभूत घटक के रूप में पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।

2. शहरी वन केवल हरियाली के टुकड़े भर नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शहरों की फेफड़े हैं, जो जलवायु अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे कंक्रीट-प्रधान जीवन में प्रकृति की अंतिम शरणस्थली है।

3. इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि न्यायपालिका पर्यावरणीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक प्रमुख स्तंभ है। फिर भी, स्थायी समाधान केवल विधिक हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि नीतिगत दूरदर्शिता, सामुदायिक संलग्नता और प्रकृति-केन्द्रित शहरी दृष्टिकोण से ही संभव है।

4. शहरी वनों का संरक्षण अब किसी वैकल्पिक विकल्प का विषय नहीं रह गया है। यह भारत के उभरते शहरों की सतत, सुरक्षित और समावेशी भविष्य की बुनियाद है।

5. अब समय आ गया है कि हम अपने शहरों के विकास की परिभाषा में प्रकृति को स्थान दें, जो केवल शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए नहीं हो, बल्कि यह मानव और पर्यावरण को साथ लेकर चलने के लिए हो।

6. आज शहरी वनों की सुरक्षा कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं, बल्कि भावी भारत के स्वस्थ और सतत शहरों की पूर्वापेक्षा है।

स्त्रोत - पी. आई. बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में शहरी वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शहरी वन शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति देता है।
3. शहरी वन शहरों में बाढ़ की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर - (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय शहरों में शहरी वन पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी वे विकास के दबाव और कमजोर कानूनी संरक्षण के कारण खतरे में हैं। इस संदर्भ में शहरी वनों के महत्व, उनके सामने मौजूद प्रमुख खतरों और उनके संरक्षण के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

AMCA परियोजना : भारतीय वायु शक्ति के भविष्य का गगनगामी छलांग

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के विकास हेतु निष्पादन मॉडल को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- नई दिल्ली में आयोजित CII बिजनेस समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि सीरियल प्रोडक्शन से पहले AMCA के पांच प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे।
- इस महत्वाकांक्षी परियोजना की खास बात यह है कि इसमें पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ मिलकर काम करेंगी।
- रक्षा मंत्री ने 'मेक इन इंडिया' अभियान की सराहना करते हुए इसे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला बताया।
- उन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताओं ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया को संभव बनाया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्टेल्थ फाइटर क्या होता है?

- स्टेल्थ फाइटर एक ऐसा उन्नत सैन्य विमान है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह दुश्मन की नज़र से बचा रहे। इसकी बनावट और तकनीक इसे रडार, इन्फ्रारेड सेंसर, सोनार और अन्य ट्रैकिंग प्रणालियों से छिपाए रखने में सक्षम बनाती हैं। इसका मूल उद्देश्य है — दुश्मन के रक्षात्मक तंत्र से बचकर लक्ष्य पर सटीक वार करना।

स्टेल्थ फाइटर की मुख्य विशेषताएँ :

1. **कम रडार दृश्यता :** विमान की संरचना और उसमें प्रयुक्त सामग्री रडार तरंगों को परावर्तित करने या सोखने में सक्षम होती है, जिससे विमान रडार पर नहीं दिखता या बहुत कम दिखता है।
2. **रडार-अवशोषक कोटिंग :** विमान के बाहरी ढांचे पर विशेष पदार्थों की परत होती है जो रडार सिग्नलों को कमजोर कर देती है।
3. **आंतरिक हथियार प्रणाली :** हथियारों को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि विमान के भीतर समाहित किया जाता है, जिससे विमान की प्रोफ़ाइल और रडार सिग्नेचर घटती है।
4. **इन्फ्रारेड हस्ताक्षर में कमी :** इंजन से निकलने वाली गर्मी को सीमित रखने के लिए विशेष डिज़ाइन अपनाया जाता है, जिससे विमान को थर्मल ट्रैकिंग से बचाया जा सके।
5. **अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से सुसज्जित और सुरक्षा :** इन विमानों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ होती हैं जो दुश्मन के रडार को भ्रमित या निष्क्रिय कर सकती हैं।

भारत के लिए इसका सामरिक महत्व :

1. **स्वदेशी तकनीक पर आत्मनिर्भरता :** AMCA परियोजना भारत को विदेशी सैन्य प्लेटफार्मों पर निर्भरता से मुक्ति दिलाएगी और रक्षा तकनीक में तकनीकी संप्रभुता प्रदान करेगी।
2. **हवाई शक्ति में बढ़त :** यह विमान भारतीय वायुसेना को आधुनिक स्टेल्थ क्षमताओं से लैस करेगा, जिससे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों जैसे चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी।
3. **भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने में सक्षम :** यह परियोजना भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित कर सकती है और 'मेक इन इंडिया' को वैश्विक पहचान दिला सकती है।
4. **औद्योगिक सहयोग का विस्तार :** सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, MSMEs और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर यह परियोजना भारत के रक्षा निर्माण तंत्र को सशक्त बनाएगी।
5. **रणनीतिक संतुलन और रोकथाम :** एएमसीए की बहुस्तरीय क्षमताएँ भारत को संकटग्रस्त क्षेत्रों में एक मज़बूत और विश्वसनीय रणनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगी।
6. **हिंद-प्रशांत में भागीदारी :** क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे क्वाड में भारत की भागीदारी को यह परियोजना तकनीकी रूप से मजबूती देगी।
7. **उन्नत अनुसंधान और कौशल विकास :** यह परियोजना अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा देगी और भारत में कुशल मानव संसाधन विकसित करेगी।
8. **लंबी अवधि की लागत-प्रभावशीलता :** स्वदेशी उत्पादन से रखरखाव और आधुनिकीकरण की लागत में कमी आएगी, साथ ही देश की महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकें राष्ट्रीय नियंत्रण में रहेंगी।

सार्वजनिक-निजी सहयोग : रक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल

- भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम – एएमसीए (Advanced Medium Combat Aircraft) – में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का जो नया प्रारूप उभर रहा है, वह न केवल एक तकनीकी परियोजना है, बल्कि रक्षा नवाचार और स्वदेशीकरण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को रेखांकित करता है।

1. **अभिनव एसपीवी ढाँचा :** सह-निर्माण का नया प्रारूप : एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की स्थापना की जाएगी, जिसमें एचएएल और अग्रणी निजी कंपनियाँ साझेदारी करेंगी। यह मॉडल परियोजना के वित्तपोषण, तकनीकी विकास और संचालन को साझा करने का मंच प्रदान करेगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में पारंपरिक ढाँचों से अलग संस्थागत नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
2. **निजी क्षेत्र की निर्णायक भागीदारी :** यह पहली बार है जब निजी कंपनियाँ रक्षा परियोजना में साझीदार बनेंगी। इस पहल के ज़रिए उन्हें अत्यंत संवेदनशील एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास का अवसर मिलेगा, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को नया आयाम देगा।
3. **साझेदारी में जोखिम और उत्तरदायित्व का संतुलन :** एसपीवी मॉडल वित्तीय और तकनीकी जोखिमों को साझा करने की सुविधा देता है। यह उत्तरदायित्व की स्पष्टता, तेज़ निर्णय प्रक्रिया और प्रभावी परियोजना प्रबंधन की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा।
4. **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आर्थिक शक्तियों का समागम :** एचएएल की विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे के साथ निजी क्षेत्र की तेज़ी, लचीलापन और नवाचार की क्षमता मिलकर एक प्रभावी सिनर्जी निर्मित करेगी, जो अगली पीढ़ी के रक्षा प्लेटफॉर्मों के विकास में सहायक होगी।
5. **एमएसएमई व स्टार्टअप के लिए अवसर :** इस परियोजना से जुड़ी टियर-1 व टियर-2 आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई, डिफेंस स्टार्टअप्स और घटक निर्माता भी भाग लेंगे, जिससे व्यापक औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को नई गति मिलेगी।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **पूंजी और और उच्च दक्षता वाली नौकरियों को आकर्षित करने में सहायक :** विशेषकर एयरोस्पेस, एवियोनिक्स और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में यह साझेदारी FDI, उद्यम पूंजी, और उच्च दक्षता वाली नौकरियों को आकर्षित करने में सहायक होगी।

7. **भावी रक्षा परियोजनाओं का आधार :** यह मॉडल आने वाले समय में ड्रोन, नौसेना प्रणालियों और छठी पीढ़ी के विमानों जैसी परियोजनाओं के लिए प्रोटोटाइप का कार्य करेगा, जिससे भारत अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में भी इसी पथ को अपना सकेगा।

8. **स्वदेशी तकनीकी पारिस्थितिकी का सुदृढ़ीकरण :** यह पहल अनुसंधान एवं विकास, विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग, और इनोवेशन हब की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, जिससे दीर्घकालिक तकनीकी आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा।

एएमसीए (AMCA) के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ एवं बाधा :

1. **उन्नत तकनीकी एकीकरण की जटिलताएँ :** स्टेल्थ डिजाइन, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन जैसी तकनीकों के विकास हेतु अत्यंत उन्नत तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है, जो इस परियोजना को अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाती है।

2. **इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता से संबंधित बाधाएँ :** स्वदेशी कावेरी इंजन परियोजना की धीमी प्रगति के कारण अल्पकालिक रूप से विदेशी इंजनों पर निर्भरता बनी हुई है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवरोध है।

3. **समन्वय और संस्थागत संबंधी बाधाएँ :** डीआरडीओ, एचएएल, निजी कंपनियों और अन्य सरकारी निकायों के बीच प्रभावी समन्वय अक्सर नौकरशाही प्रक्रियाओं और विभिन्न प्राथमिकताओं के कारण बाधित होता है।

4. **बजट और खरीद प्रक्रियाओं की धीमी गति का होना :** प्रारंभिक लागत वृद्धि, वित्तीय आवंटन में देरी, और जटिल खरीद प्रक्रियाएँ परियोजना की समय सीमा और गति को प्रभावित कर सकती हैं।

5. **संवेदनशील तकनीकों तक सीमित पहुंच :** कुछ आवश्यक तकनीकों जैसे स्टेल्थ सामग्री और एवियोनिक्स पर विदेशी नियंत्रण और निर्यात प्रतिबंध भारत की विकास प्रक्रिया में बाधा बन सकते हैं।

6. **उन्नत परीक्षण अधोसंरचना का अभाव :** उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं और इंटीग्रेटेड वैलिडेशन सेंटर की कमी के कारण प्रोटोटाइप परीक्षण और प्रमाणीकरण की गति प्रभावित होती है।

7. **विशेषज्ञ मानव संसाधन की कमी :** परियोजना को साकार करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिससे नवाचार की गति बाधित हो सकती है।

8. **निर्यात क्षमता और आर्थिक स्थायित्व संबंधी अनिश्चितताएँ :** वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा, भू राजनीतिक जोखिम और रक्षा निर्यात नीति की अस्पष्टता के कारण उत्पादन और लागत-कुशलता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष :

- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और रणनीतिक स्वावलंबन की दिशा में एक निर्णायक प्रगति का संकेत देती है। यह पहल केवल भारतीय वायु सेना की युद्धक क्षमताओं को स्टेल्थ और अगली पीढ़ी की तकनीकों से सशक्त नहीं करती, बल्कि सार्वजनिक-निजी साझेदारी के एक नवीन मॉडल के माध्यम से औद्योगिक संरचना में गुणात्मक बदलाव की भी नींव रखती है।

- इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय अनुसंधान एवं विकास, नवाचार केंद्रों, और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर, भारत न केवल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के एक प्रतिस्पर्धी निर्माता के रूप में उभरने की क्षमता भी प्राप्त करता है।

- हालाँकि, इस सफलता की कुंजी कुछ महत्वपूर्ण कारकों में निहित है — जैसे कि नीति समर्थन की निरंतरता, प्रभावी निष्पादन क्षमता, तथा सरकारी, निजी और अनुसंधान संस्थानों के बीच सक्रिय समन्वय। जब तक तकनीकी जटिलताओं, संस्थागत बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक सीमाओं का रणनीतिक और समन्वित समाधान नहीं किया जाता, तब तक यह महत्वाकांक्षी प्रयास अपेक्षित परिणाम देने से वंचित रह सकता है।

- अतः AMCA परियोजना को भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए नवाचार, सहयोग और दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक होगा।

स्त्रोत - पी. आई.बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एएमसीए भारत का पहला पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित किया जा रहा है।

2. एएमसीए परियोजना का नेतृत्व हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से किया जा रहा है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. एएमसीए को इसकी गुप्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आंतरिक हथियार कक्ष और कम रडार क्रॉस-सेक्शन की सुविधा के साथ डिजाइन किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 1 और 3**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

उत्तर - (b)

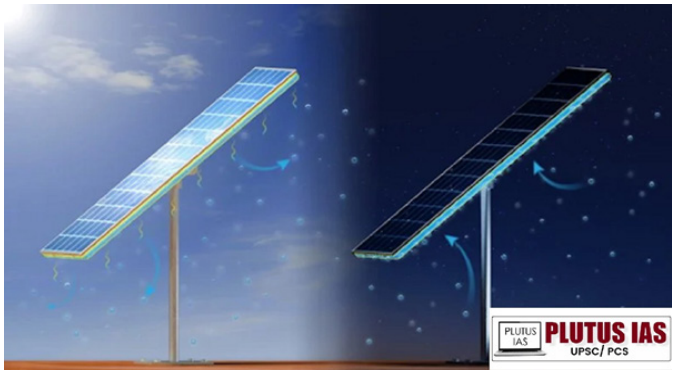
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता, वायु शक्ति क्षमता और रक्षा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में किस प्रकार महत्व-पूर्ण भूमिका निभा सकती है? इसके साथ ही, इसके सफल कार्यान्वयन में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



सोलर लीप से सौर शक्ति का नवोन्मेष : स्मार्ट सामग्री से अक्षय ऊर्जा क्रांति तक

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (KAUST) के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान दल ने एक नया एक्रिलेट-आधारित संमिश्र पदार्थ (कंपोजिट मटेरियल) विकसित किया है।
- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यह नवाचार सौर कोशिकाओं की कार्य-क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सक्षम माना जा रहा है, जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाएं और अधिक प्रबल हुई है।
- शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा विकसित किए गए एक नए एक्रेलेट-आधारित मिश्रित पदार्थ के कारण यह विषय महत्व का कारण बन गया है, क्योंकि यह सौर सेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।

सौर पैनलों के लिए अभिनव शीतलन समाधान :

पहलू	विवरण
अनुसंधान संस्थान	किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KAUST), सऊदी अरब
नेतृत्वकर्ता वैज्ञा-निक / शोधकर्ता	प्रो. क़ियाओकियांग गण
घटक संयोजन	लिथियम क्लोराइड (LiCl) और सोडियम पॉलिएक्रेलेट (PAAS)
प्रमुख गुणधर्म	यह सामग्री हाइग्रोस्कोपिक है – रात में वायुमंडलीय नमी को सोखती है और दिन में उसे छोड़ती है

शीतलन विधि/ तंत्र	निष्क्रिय वाष्पीकरण शीतलन तकनीक – किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं
विशेषताएँ	किफायती निर्माण, विषहीन और साधारण अभिकर्मकों से तैयार
परीक्षण स्थान / स्थल	सऊदी अरब का रेगिस्तानी क्षेत्र
तापमान में कमी	पारंपरिक पैनलों की तुलना में 9.4°C ठंडा
ऊर्जा उत्पादन में लाभ	विद्युत उत्पादन में 12.9% की बढ़ोतरी
जीवन काल विस्तार	सौर पैनल का कार्यकाल 200% से अधिक बढ़ा
बिजली की लागत में कमी	विद्युत उत्पादन लागत में लगभग 20% की कमी

सौर प्रौद्योगिकी में निष्क्रिय शीतलन की आवश्यकता :

1. **गर्मी से कार्यकुशलता में कमी :** सौर पैनल सूर्य के प्रकाश का केवल 20% ही बिजली में बदलते हैं। शेष ऊर्जा गर्मी के रूप में अवशोषित होती है, जिससे बिजली उत्पादन कम होता है और पैनल का जीवनकाल घट जाता है।

2. **अधिक तापमान से त्वरित क्षरण :** लगातार उच्च तापमान के कारण पैनलों की गुणवत्ता तेजी से घटती है और रखरखाव की लागत बढ़ जाती है।

3. **सक्रिय शीतलन की सीमाएँ :** पारंपरिक सक्रिय शीतलन प्रणालियों (जैसे पंखे और पंप) को बिजली की आवश्यकता होती है, जिससे प्रणाली की जटिलता और परिचालन लागत बढ़ती है, और कुल ऊर्जा दक्षता कम होती है।

4. **निष्क्रिय शीतलन के लाभ :** यह प्रणाली बिना बाहरी बिजली के काम करती है। निष्क्रिय प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली सामग्री गर्मी और नमी को नियंत्रित करके पैनलों को स्वाभाविक रूप से ठंडा करती है।

5. **पर्यावरण-अनुकूल और किफायती :** इस तकनीक में सस्ती और सहज रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग होता है, जो इसे स्थायी और व्यापक रूप से लागू करने योग्य बनाता है। निष्क्रिय शीतलन सस्ता, कम रखरखाव वाला और पर्यावरण के अनुकूल है, जो इसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में सौर प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए आदर्श बनाता है।

6. **बिजली उत्पादन में वृद्धि :** परिचालन तापमान कम करके, निष्क्रिय शीतलन ऊर्जा उत्पादन दक्षता में सुधार करता है, जैसा कि क्षेत्र परीक्षणों में 12.9% तक की वृद्धि से देखा गया है।

7. **पैनल की आयु में विस्तार :** तापमान कम रहने से पैनलों पर कम तनाव पड़ता है, जिससे उनका जीवनकाल 200% तक बढ़ जाता है।

8. **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन :** रेगिस्तान जैसे तीव्र धूप वाले क्षेत्रों में, निष्क्रिय शीतलन अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय सौर ऊर्जा उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो वैश्विक जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

सौर शीतलन के लिए अभिनव बहुलक समाधान की प्रमुख विशेषताएँ :

1. **वैज्ञानिक सहयोग एवं नेतृत्व :** यह अभिनव बहुलक मिश्रण सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KAUST) के नेतृत्व में, अक्षय ऊर्जा और भंडारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग के तहत विकसित किया गया है।

2. **संरचना एवं रचना विज्ञान :** नया मिश्रण लिथियम क्लोराइड और सोडियम पॉलीएक्रिलेट पर आधारित है, जो एक लागत-कम, सुरक्षित और गैर-विषाक्त एक्रिलेट बहुलक संरचना प्रदान करता है।

3. **हाइग्रोस्कोपिक विशेषता द्वारा निष्क्रिय शीतलन :** यह सामग्री रात में वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करती है और दिन में वाष्पीकरण के माध्यम से उसे छोड़ती है, जिससे शीतलन बिना किसी बाहरी ऊर्जा के स्वचालित रूप से संपन्न होता है।

4. **पर्यावरणीय अनुकूलता और सुलभ निर्माण - प्रणाली :** इस मिश्रण के निर्माण में किसी जटिल या हानिकारक रसायनों की आवश्यकता नहीं होती। यह इसे स्थायी, मापनीय और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।

5. **उच्च तापीय दक्षता :** सऊदी रेगिस्तान में परीक्षण के दौरान इस सामग्री ने सौर पैनलों के तापमान को औसतन 9.4°C तक कम कर दिया – जो पारंपरिक समाधानों की तुलना में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

6. **विद्युत लागत में कमी एवं सौर उत्पादन और जीवन काल में सुधार :** तापीय नियंत्रण के चलते 12.9% अधिक विद्युत उत्पादन, 200% से अधिक जीवन काल विस्तार, और लगभग 20% तक विद्युत लागत में गिरावट दर्ज की गई है।

कैसे काम करती है यह नई मिश्रित सामग्री?

1. **रात में वातावरण से नमी को अवशोषित करना :** लिथियम क्लोराइड और सोडियम पॉलीएक्रिलेट का यह मिश्रण रात के समय वातावरण से नमी को अवशोषित करता है, जब हवा में आर्द्रता अधिक होती है।

2. **दिन में वाष्पीकरण द्वारा शीतलन :** जैसे ही सूरज निकलता है और तापमान बढ़ता है, सामग्री अवशोषित पानी को वाष्प

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

के रूप में छोड़ती है। यह वाष्पीकरण पैनल की सतह से गर्मी को दूर करता है।

3. **निष्क्रिय शीतलन प्रभाव :** यह तरल से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिससे रेगिस्तानी परिस्थितियों में पैनल का तापमान औसतन 9.4°C कम हो जाता है।

4. **निष्क्रिय प्रणाली – शून्य ऊर्जा उपयोग पर आधारित :** संपूर्ण शीतलन प्रक्रिया बिना किसी विद्युत या यांत्रिक हस्तक्षेप के संचालित होती है, जो इसे दूरस्थ या ऑफ-ग्रिड स्थानों हेतु अत्यंत उपयुक्त बनाती है।

5. **संरचनात्मक अनुकूलता :** यह पतली कोटिंग सौर पैनल की संरचना या सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में बाधा नहीं डालती, जिससे उसकी फोटोवोल्टिक दक्षता बनी रहती है।

6. **लगातार पुनर्चक्रण / बार-बार उपयोग योग्य तंत्र :** नमी का यह चक्रीय अवशोषण और निष्कासन सामग्री को बार-बार काम करने की अनुमति देता है, जिससे लंबे समय तक शीतलन लाभ मिलता है। सामग्री में नमी का चक्रीय अवशोषण और निष्कासन इसकी दीर्घकालिक कार्यक्षमता बनाए रखता है, जिससे बार-बार उपयोग संभव हो पाता है।

पारंपरिक शीतलन विधियों पर इस तकनीक का असाधारण लाभ :

1. **ऊर्जा-मुक्त संचालन :** सक्रिय शीतलन प्रणालियों (जैसे पंखे और पंप) के विपरीत, इस कंपोजिट को काम करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे परिचालन ऊर्जा लागत शून्य हो जाती है।

2. **लागत-प्रभावशीलता :** सोडियम पॉलिएक्रेलेट जैसी सस्ती और आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनी होने के कारण, यह बिजली की कुल लागत (LCOE) को लगभग 20% तक कम कर देती है।

3. **बढ़ा हुआ पैनल जीवनकाल :** पैनल का तापमान 9.4°C तक कम होने से तापीय क्षरण रुकता है, जिससे उनका जीवनकाल 200% से भी अधिक बढ़ जाता है।

4. **उच्च बिजली उत्पादन :** बेहतर तापीय प्रबंधन और पैनलों को अधिक गर्म होने से बचाकर, यह सौर पैनल की दक्षता में 12.9% की वृद्धि करती है।

5. **पर्यावरण-अनुकूल निर्माण :** इस सामग्री का उत्पादन विषैले रसायनों या जटिल प्रक्रियाओं के बिना होता है, जो इसे पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थायी समाधान बनाता है।

6. **न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता :** यांत्रिक शीतलन प्रणालियों के विपरीत, इसमें कोई गतिशील भाग नहीं होता, जिससे न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यांत्रिक विफलता की संभावना कम हो जाती है।

7. **उच्च सौर विकिरण वाले शुष्क क्षेत्रों में सौर प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श :** रेगिस्तानी जलवायु में इसकी प्रभावशीलता सिद्ध हो चुकी है, जो इसे उच्च सौर विकिरण वाले शुष्क क्षेत्रों में सौर प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श बनाती है।

नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने पर नवीकरणीय ऊर्जा पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :

- **सौर ऊर्जा की दक्षता में वृद्धि :** बिजली उत्पादन में 12.9% की वृद्धि करके, यह नवाचार सौर ऊर्जा को अधिक विश्वसनीय और उत्पादक बनाता है, जिससे इसके व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलता है।

- **परिचालन लागत में कमी :** निष्क्रिय शीतलन से ऊर्जा और खासकर बड़े पैमाने की परियोजनाओं में रखरखाव की लागत कम होती है, जिससे सौर प्रतिष्ठानों की समग्र लागत-प्रभावशीलता में सुधार होता है।

- **उपकरण के जीवनकाल में विस्तार :** जीवनकाल में 200% से अधिक की वृद्धि से प्रतिस्थापन चक्र कम होता है, जिससे कुल जीवन चक्र लागत कम हो जाती है और निवेश पर बेहतर प्रतिफल (ROI) मिलता है।

- **चरम जलवायु में बेहतर प्रदर्शन :** गर्म और शुष्क वातावरण में इसकी सफलता, रेगिस्तानी और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अधिक व्यवहार्य बनाती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समृद्ध हैं।

- **तेज डीकार्बोनाइजेशन :** जैसे-जैसे सौर ऊर्जा अधिक कुशल और किफायती होती जाएगी, अधिक से अधिक क्षेत्र जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

- **तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन :** यह पदार्थ विज्ञान के मूल्य को उजागर करता है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट, निष्क्रिय समाधानों के लिए आगे अनुसंधान और विकास को प्रेरित करता है।

- **दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देना :** ऊर्जा-मुक्त शीतलन विशेष रूप से ऑफ-ग्रिड और ग्रामीण सौर प्रणालियों के लिए फायदेमंद है, जिससे ऊर्जा समानता और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष :

- किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KAUST) द्वारा विकसित यह अभिनव एक्रिलेट-आधारित मिश्रण, सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह तकनीक निष्क्रिय शीतलन को सक्षम बनाकर न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाती है, बल्कि पैनलों की उम्र बढ़ाकर और लागत घटाकर इसे व्यापक, टिकाऊ और प्रभावी बनाती है। इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन, विशेषकर जलवायु

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

संवेदनशील क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच, को गति देने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नवाचार प्रमाणित करता है कि सामग्री विज्ञान ही वह कुंजी है, जो स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के द्वार खोल सकती है।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KAUST) द्वारा विकसित नई निष्क्रिय शीतलन सामग्री के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह हाइग्रोस्कोपिक तंत्र के माध्यम से सौर पैनलों को ठंडा करने के लिए लिथियम क्लोराइड और सोडियम पॉलीएक्रिलेट का उपयोग करता है।
2. सामग्री को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पंखे या पंप जैसे सक्रिय शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होती है।
3. इससे बिजली उत्पादन में 12% से अधिक की वृद्धि हुई तथा रेगिस्तानी परिस्थितियों में पैनल का जीवनकाल बढ़ गया।
4. सामग्री के निर्माण की प्रक्रिया में विषैले रसायन और जटिल अभिकर्मक शामिल होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर- (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KAUST) द्वारा सौर ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई नई निष्क्रिय शीतलन मिश्रित सामग्री का क्या महत्व है, और यह नवाचार वैश्विक अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दे सकता है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

एक्सिओम - 4 और भारत : भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में एक्सिओम मिशन 4 की लॉन्चिंग में आई तकनीकी बाधाओं के चलते यह मिशन फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। फाल्कन 9 रॉकेट में तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) के रिसाव और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के ज्वेज्दा मॉड्यूल से जुड़ी कुछ तकनीकी चिंताओं के कारण इस अभियान को स्थगित करना पड़ा। इस स्थिति में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक्सिओम स्पेस, नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर समाधान तलाशने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है।
- हाल ही में 11 जून को स्पेसएक्स द्वारा मिशन में देरी की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें जरूरी मरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता जताई गई। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने स्पष्ट किया है कि मिशन की सफलता के लिए सुरक्षा और प्रणालीगत अखंडता सर्वोपरि है और इन चुनौतियों का समाधान पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से किया जा रहा है।

एक्सिओम-4 मिशन के बारे में :

क्रम सं.	मुख्य बिंदु	विवरण
1	बहुस्तरीय विलंब	मौसम की स्थिति, फाल्कन 9 एलओ-एक्स रिसाव, तथा आईएसएस ज्वेज्दा मॉड्यूल में दबाव विसंगति के कारण एक्स-4 के प्रक्षेपण में देरी हुई।
2	फाल्कन 9 में LOx लीक	स्पेसएक्स ने पोस्ट-स्टेटिक अग्नि निरीक्षण के दौरान तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) रिसाव की पहचान की, जिसे प्रक्षेपण से पहले मरम्मत की आवश्यकता थी।

3	ज़्वेज़्दा मॉड्यूल समस्या	ज्वेज्दा मॉड्यूल के पीआरके वेस्टिबुल में दबाव में गिरावट के कारण रूसी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा निरीक्षण और सीलिंग शुरू कर दी गई।
4	सुरक्षा पर जोर	इसरो, नासा, एक्सिओम और स्पेसए-क्स ने देरी के बीच सुरक्षा और मिशन की अखंडता को अपनी सर्वोच्च प्राथमि-कता बताया।
5	चालक दल संरचना	चालक दल में पैगी व्हिटसन (कमांडर), शुभांशु शुक्ला (भारत), स्लावोज़ उज़्नि-यास्की (पोलैंड), टिबोर कापू (हंगरी) शामिल हैं।
6	ऐतिहा-सिक भागीदारी	भारत, पोलैंड और हंगरी के प्रथम बार अंतरिक्ष यात्री अपनी सरकारों द्वारा समर्थित आई.एस.एस. मिशन में भाग लेंगे।
7	14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन	चालक दल दो सप्ताह तक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिसमें इसरो और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के अनुसंधान भी शामिल होंगे।
8	लॉन्च की तारीख तय	मरम्मत कार्य पूरा होने और रेंज की उप-लब्धता के आधार पर नई लॉन्च तिथि की घोषणा अभी की जानी है।
9	वृद्ध होते आईए-सएस की चिंताएं	ज्वेज्दा मॉड्यूल में पहले भी रिसाव की समस्या रही है, जो आईएसएस प्रणालियों के रखरखाव में चुनौतियों को दर्शाता है, क्योंकि यह 2030 तक सेवानिवृत्त होने वाला है।

मिशन का उद्देश्य :

1. **सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान का संचालन :** आई.एस.एस. पर जीवन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और जैव चिकित्सा में उन्नत वैज्ञानिक प्रयोग करना।
2. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना :** भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए पहली सरकार समर्थित अंतरिक्ष उड़ानें, अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देंगी।
3. **मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण का समर्थन :** उभरते अंतरिक्ष राष्ट्रों के अंतरिक्ष यात्रियों को वास्तविक अंतरिक्ष उड़ान का अनुभव प्रदान करना, जिससे भारत के गगनयान जैसे भविष्य के राष्ट्रीय मिशनों को सहायता मिलेगी।
4. **नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण :** अंतरिक्ष स्थितियों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को मान्य करना, जिससे भविष्य के गहन अंतरिक्ष और वाणिज्यिक मिशनों के विकास में योगदान मिल सके।
5. **अग्रिम वाणिज्यिक अंतरिक्ष लक्ष्य :** वाणिज्यिक चालक दल मिशन क्षमताओं का प्रदर्शन करके दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के एक्सिओम स्पेस के दृष्टिकोण की ओर बढ़ें।
6. **शांतिपूर्ण अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ावा देना :** संयुक्त मिशनों के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुदृढ़ करना।
7. **STEM आउटरीच को बढ़ावा देना :** अंतरिक्ष से लाइव शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के माध्यम से वैश्विक युवाओं और शिक्षकों को प्रेरित करें।
8. **आई.एस.एस. के बाद के ऑपरेशनों की तैयारी करें :** 2030 तक आई.एस.एस. की अपेक्षित सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक निम्न पृथ्वी कक्षा मिशनों के लिए परिचालन मॉडल स्थापित करने में सहायता करना।

एक्स-4 मिशन में इसरो और भारत की भूमिका :

1. **अंतरिक्ष यात्री प्रतिनिधित्व :** एक्स-4 मिशन में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. **सफल तैयारी के लिए सहायता :** शुक्ला की भागीदारी भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान से पहले बहुमूल्य उड़ान अनुभव प्रदान करेगी, जिससे परिचालन तत्परता बढ़ेगी।
3. **वैश्विक साझेदारों के साथ इसरो का समन्वय :** इसरो एक्स-4 की सुरक्षा, मिशन की सफलता और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक्सिओम स्पेस, नासा और स्पेसएक्स के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।
4. **भारत की वैश्विक अंतरिक्ष उपस्थिति को मजबूत करना :** एक्स-4 के माध्यम से भारत अंतरिक्ष कूटनीति और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
5. **वैज्ञानिक योगदान :** इसरो मिशन के दौरान शुक्ला द्वारा आईएसएस पर किए जाने वाले भारतीय वैज्ञानिक पेलोड और अनुसंधान मॉड्यूल के विकास में सहायता कर रहा है।
6. **सार्वजनिक सहभागिता और प्रेरणा :** इस मिशन से भारतीय युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, STEM शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उभरती स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।
7. **अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में अग्रणी कदम :** यह भारत के लिए पहली बार ऐतिहासिक है, जब सरकार द्वारा प्रायोजित अंतरिक्ष

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

यात्री किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन में भाग ले रहा है, जिससे भविष्य के बहुपक्षीय अंतरिक्ष उपक्रमों में गहन एकीकरण के लिए मंच तैयार हो रहा है।

अंतरिक्ष मिशन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग :

1. **साझा वैज्ञानिक लक्ष्य :** देश जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष और ग्रह विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा मिलता है।

2. **लागत और जोखिम साझाकरण :** संयुक्त मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के उच्च वित्तीय और तकनीकी जोखिमों को साझा करने में मदद करते हैं, जिससे आई.एस.एस. जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाएं व्यवहार्य बनती हैं।

3. **कूटनीति को मजबूत करना :** अंतरिक्ष साझेदारी शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देती है, जैसा कि Ax-4, NISAR (इसरो-नासा) और NASA द्वारा समर्थित चंद्रयान-3 जैसे मिशनों में देखा गया है।

4. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण :** उभरते देशों को उन्नत प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उन्हें स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं का निर्माण करने में मदद मिलती है।

5. **मानकीकरण और डेटा साझाकरण :** सहयोग प्रणाली संगतता और वैश्विक डेटा विनिमय सुनिश्चित करता है - जो आपदा प्रतिक्रिया, पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए महत्वपूर्ण है।

6. **वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा :** सहयोग से स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों को वैश्विक एजेंसियों के साथ साझेदारी करने में मदद मिलेगी, जिससे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

7. **भावी अंतरिक्ष शासन :** चूंकि आई.एस.एस. समाप्ति के करीब है, इसलिए संयुक्त मिशन आई.एस.एस. के बाद की रणनीतियों को आकार दे रहे हैं तथा शांतिपूर्ण, नियम-आधारित अंतरिक्ष व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं।

वैश्विक अंतरिक्ष मिशनों में भारत की बढ़ती भूमिका :

1. **एक्सिओम मिशन-4 में भागीदारी :** ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका वैश्विक वाणिज्यिक मिशन में भारत के पहले सरकारी समर्थित अंतरिक्ष यात्री की है।

2. **समानता को बढ़ावा :** अंतर्राष्ट्रीय मिशन वास्तविक समय का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को सहायता मिलती है।

3. **रणनीतिक सहयोग :** इसरो नासा (निसार), सीएनईएस (मेघा-ट्रॉपिक्स) और अन्य के साथ साझेदारी कर रहा है, जिससे वैश्विक विश्वास मजबूत हो रहा है।

4. **वाणिज्यिक प्रक्षेपण केंद्र :** इसरो द्वारा प्रक्षेपित 430 से अधिक विदेशी उपग्रह एक कम लागत वाले, विश्वसनीय प्रक्षेपण प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं।

5. **वैज्ञानिक योगदान :** चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान को मूल्यवान डेटा से समृद्ध किया है।

6. **उन्नत पेलोड विकास :** भारत अंतरराष्ट्रीय मिशनों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराता है, जिससे तकनीकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।

7. **अंतरिक्ष कूटनीति :** भारत शांतिपूर्ण, समावेशी अंतरिक्ष उपयोग की वकालत करता है और विकासशील देशों के बीच नेतृत्व प्राप्त कर रहा है।

निष्कर्ष :

- एक्स-4 में भारत की भागीदारी अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी बढ़ती वैश्विक छवि को उजागर करती है, जिसमें वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी क्षमता का संयोजन है। जैसे-जैसे दुनिया वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों और आईएसएस मिशनों की ओर बढ़ रही है, भारत भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष कूटनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एक्सिओम मिशन-4 (एक्स-4) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें इसरो, नासा, स्पेसएक्स और एक्सिओम स्पेस के बीच सहयोग शामिल है।
2. यह पहली बार है जब कोई सरकारी प्रायोजित भारतीय अंतरिक्ष यात्री आई.एस.एस. मिशन में भाग ले रहा है।
3. इसका उद्देश्य आई.एस.एस. पर सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण में वैज्ञानिक प्रयोग करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा / से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि एक्सिओम मिशन-4 में भारत की भागीदारी को उसकी अंतरिक्ष कूटनीति और मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता में एक मील का पत्थर क्यों माना जा रहा है? भारत की व्यापक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में इस मिशन का क्या महत्व है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

आईएनएस अर्णाला बेड़े में शामिल : नौसेना युद्ध में आत्मनिर्भरता को बल

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में 18 जून 2025 को भारत ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में INS अर्णाला को नौसेना में शामिल किया। यह 1,500 टन वजनी, पहली स्वदेशी रूप से निर्मित शैलो वॉटर एंटी-सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट (ASW-SWC) है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत तटीय सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए 16 जहाजों वाले इस प्रोजेक्ट का यह पहला पोत है, जो समुद्री सुरक्षा में एक नई रणनीतिक शुरुआत का संकेत देता है।

ASW-SWCs क्या है ?

- पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट विशेष पोत हैं जिन्हें तटीय और तटीय जल के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे सोनार सिस्टम, पनडुब्बी रोधी हथियार, माइन-लेइंग क्षमता और खोज-और-बचाव गियर से लैस हैं। जीआरएसई और सीएसएल द्वारा "मेक इन इंडिया" के तहत निर्मित 16 पोतों वाले बेड़े में पुराने अभय-श्रेणी के कोरवेट की जगह लेंगे।

आईएनएस अर्णाला की मुख्य विशेषताएं :

1. **डिजाइन और प्रणोदन :** 77-78 मीटर लंबाई, ~1,490t वि-स्थापन, डीजल इंजन जल-जेट प्रणोदन के साथ युग्मित - इस सेटअप का उपयोग करने वाला सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक मंच।
2. **स्टील्थ और सेंसर सूट :** निम्न रडार/ध्वनिक/आईआर हस्ताक्षर; पनडुब्बी का पता लगाने के लिए पतवार पर लगे सोनार और खींचे जाने वाले निम्न-आवृत्ति वाले परिवर्तनीय-गहराई वाले सोनार।
3. **आयुध :** आरबीयू-6000 रॉकेट लांचर, हल्के वजन वाली टारपीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी माइंस, 30 मिमी नौसैनिक सतह बंदूक और जुड़वां 12.7 मिमी आरडब्ल्यूएस।
4. **बहु-मिशन क्षमता :** तटीय ASW, भूमिगत निगरानी, LIMO संचालन, बारूदी सुरंग बिछाने और खोज एवं बचाव के लिए उपयुक्त।
5. **स्वदेशीकरण :** 80% से अधिक भारतीय सामग्री, बीईएल, एलएंडटी, महिंद्रा डिफेंस, एमईआईएल, बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल ने 3,100 टन विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति की) और 55 से अधिक एमएसएमई से सोर्सिंग।
6. **सांस्कृतिक प्रतीकवाद :** ऐतिहासिक अर्णाला किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसका शिखर (बरमा) और आदर्श वाक्य "अर्णवे शौर्यम्" लचीलेपन और तटीय सतर्कता को दर्शाता है।

आईएनएस अर्णाला का महत्व :

1. **तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा :** INS अर्नला भारत का पहला विशेष उद्देश्य से निर्मित ASW उथले पानी का जहाज है, जिसे तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे तटीय रक्षा मजबूत होती है
2. **स्वदेशी निर्मित मील का पत्थर :** 80% से अधिक स्थानीय सामग्री के साथ और जीआरएसई द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित, यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण की ओर कदम बढ़ाने का प्रतीक है
3. **पुराने हो चुके कॉर्वेट के लिए प्रतिस्थापन :** यह पुराने अभय श्रेणी के जहाजों की जगह लेगा, जिसमें आधुनिक सेंसर, प्रणोदन और आयुध उपलब्ध होंगे, यह योजनाबद्ध 16 जहाजों के बेड़े का हिस्सा है
4. **हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक निवारक :** पानी के अंदर निगरानी और उथले पानी में हमला करने की क्षमता बढ़ाकर, यह हिंद महासागर में भारत की समुद्री स्थिति को मजबूत करता है
5. **घरेलू उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा :** सेल-बीएसएल के 3,100 टन विशेष ग्रेड स्टील और बीईएल, एलएंडटी, महिंद्रा और एमएसएमई के एकीकृत प्रणालियों का उपयोग करके निर्मित, यह जहाज निर्माण के गुणक प्रभाव को रेखांकित करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

क्षेत्रीय महत्व :

1. **उन्नत तटीय सुरक्षा :** बंदरगाहों के निकट पानी के भीतर के खतरों के विरुद्ध निगरानी और निवारण को बढ़ावा देता है।
2. **बंदरगाह सुरक्षा नेटवर्क :** 16 जहाजों में से पहला जहाज प्रमुख बंदरगाहों के चारों ओर पनडुब्बी रोधी घेरा बनाएगा।
3. **आधुनिक बेड़े की स्थिति :** जल-जेट प्रणोदन का उपयोग करके पुराने कॉर्वेट को अधिक गुप्त, चुस्त संपत्तियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा
4. **रणनीतिक निवारण :** यह तटीय बफर के रूप में कार्य करता है तथा क्षेत्रीय शत्रुओं की पनडुब्बी गतिविधियों को हतोत्साहित करता है।
5. **परिचालन तालमेल :** स्तरित रक्षा के लिए ASW हेलीकॉप्टरों और समुद्री निगरानी विमानों के साथ मिलकर काम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय महत्व :

1. **समुद्री क्षेत्र जागरूकता :** यह हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
2. **आत्मनिर्भर ब्लूप्रिंट :** घरेलू जहाज निर्माण और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, आयात पर निर्भरता कम करेगा।
3. **तकनीकी निर्यात संभावना :** स्वदेशी ASW प्लेटफार्मों का विपणन मित्र राष्ट्रों को किया जा सकता है।
4. **समुद्री कूटनीति :** सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच क्षेत्रीय साझेदारों को क्षमता और विश्वसनीयता का संकेत देता है।
5. **हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन :** पड़ोसी देशों के बढ़ते पनडुब्बी बेड़े का मुकाबला करने के लिए भारत की समुद्री युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है।

समिति द्वारा अनुशंसित आगे की राह एवं तंत्र :

तटीय जल में प्रमुख सुरक्षा मुद्दे :

1. **छिद्रयुक्त, विस्तृत तटरेखा :** जटिल भूभाग (खाड़ियाँ, द्वीप, मुहाना) वाली 7,500 किमी से अधिक लंबी तटरेखा अपर्याप्त निगरानी और घुसपैठ के अंतराल का कारण बनती है
2. **एजेंसी क्षेत्राधिकारों का ओवरलैप होना :** भारतीय नौसेना, तट-रक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन और बंदरगाह प्राधिकरणों में स्पष्ट भूमिका सीमांकन का अभाव है, जिसके कारण अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ाई होती है
3. **ज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतराल :** अपर्याप्त रडार कवरेज, एआई-एस स्थापना, सेंसर नेटवर्क और उपग्रह/ड्रोन निगरानी के कारण महत्वपूर्ण अंधे स्थान मौजूद हैं।
4. **संसाधनों की कमी से जूझ रही समुद्री पुलिस और तटरक्षक बल :** अपर्याप्त प्रशिक्षण, अपर्याप्त प्लेटफॉर्म (इंटरसेप्टर नौकाएं) और बुनियादी ढांचे की कमी तटीय गश्ती की प्रभावशीलता को कमजोर करती है
5. **गैर-पारंपरिक समुद्री खतरे :** समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध, अनियमित और अप्रतिबंधित (आईयूयू) मछली पकड़ना, नशीली दवाओं/हथियारों की तस्करी, समुद्री डकैती और प्रदूषण जैसी गतिविधियाँ जारी हैं
6. **कमजोर कानूनी एवं समन्वय तंत्र :** व्यापक कानूनी ढांचे का अभाव और कमजोर बहु-एजेंसी समन्वय व्यवस्था रणनीतिक प्रतिक्रिया में बाधा डालती है।
7. **मछुआरा समुदाय एकीकृत नहीं :** मछुआरे प्रायः समुद्री बलों पर भरोसा नहीं करते; बायोमेट्रिक पहचान-पत्र और संचार चैनलों का कम उपयोग किया जाता है।

समिति/संस्था	वर्ष	मुख्य अनुशंसाएँ
कारगिल समीक्षा समिति एवं सीमा प्रबंधन पर टास्क फोर्स	2000–2001	- तटीय पुलिस स्टेशनों और इकाइयों के साथ एक विशेष समुद्री पुलिस बल की स्थापना करना - राज्य समुद्री बलों के लिए इंटरसेप्टर बोट बेड़े का विस्तार - स्थानीय और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए संयुक्त संचालन केंद्रों और मछुआरों के निगरानी समूहों को बढ़ावा देना
तटीय सुरक्षा के लिए संचालन समिति (एससीआरसीएस) औरसमुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय समिति (एनएससीएमएससी)	2013	- तटीय निगरानी नेटवर्क के दूसरे चरण का कार्यान्वयन: 38 नए स्थिर रडार + 8 मोबाइल यूनिट पोर्ट वीटीएमएस और एआईएस प्रणालियों के साथ एकीकृत - IMAC, IFC-IOR और केंद्रीय रडार एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NMDA) को मजबूत करना

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

गृह मामलों पर 187वीं संसदीय स्थायी समिति	2015	- समुद्री पुलिस को सशक्त बनाना: प्रशिक्षण, इंटरसेप्टर नौकाएं, जेटी, मछुआरों के लिए बायो-मेट्रिक आईडी कार्ड, सीसीटीवी और एसओपी - कानूनी सुदृढ़ीकरण: निगरानी संबंधी कमियों को पूरा करना; मत्स्य विभागों को कानूनी प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करना
रक्षा स्थायी समिति की समीक्षा	2024	- तटरक्षक की भूमिका को बढ़ाना: बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्र की कमजोरियों (जैसे, परमाणु संयंत्र) पर ध्यान केंद्रित करना - एनएससीएमएससी, आईएमएसी और एनसी3 आई ग्रिड के माध्यम से बहु-एजेंसी समन्वय की सिफारिश करना

निष्कर्ष :

- कुछ वर्ष पूर्व ही 26/11 के हमलों के बाद भारत की तटीय सुरक्षा में उल्लेखनीय आधुनिकीकरण तो हुआ है, किंतु यह अब भी कई व्यावहारिक और नीतिगत चुनौतियों से जूझ रही है।
- विभिन्न एजेंसियों के बीच दायित्वों की अस्पष्टता, तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति की सीमाएं, कानूनी व्यवस्थाओं में अंतराल तथा स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास की कमी जैसे पहलू इसकी प्रभावशीलता को बाधित करते हैं।
- तटीय क्षेत्र में लगातार बदलते खतरों, चाहे वे आतंकवादी गतिविधियाँ हों या जलवायु और पर्यावरण जन्य संकट— के आलोक में, अब समय आ गया है कि संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों स्तरों पर ठोस सुधार लागू किए जाएं।
- यदि प्रौद्योगिकी का समुचित समावेशन, सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सशक्त बनाने की रणनीति, विधायी ढांचे का उन्नयन और समुदाय-आधारित सहयोग को नीति का हिस्सा बनाया जाए, तो भारत की तटीय सुरक्षा प्रणाली न केवल अधिक संगठित व प्रभावी होगी, बल्कि यह राष्ट्रीय समुद्री हितों और रक्षा लक्ष्यों की दिशा में भी एक सशक्त कदम सिद्ध होगी।

स्त्रोत - पी.आई.बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस अर्णाला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल शिल्पों में से पहला है।
2. इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
3. आईएनएस अर्णाला तटीय सुरक्षा के लिए उन्नत सोनार प्रणाली और हल्के टॉरपीडो से सुसज्जित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "आईएनएस अर्णाला, भारत का पहला एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट के संबंध में यह चर्चा कीजिए कि यह किन प्रमुख डिजाइन विशेषताओं से लैस है और यह भारत की तटीय समुद्री सुरक्षा को तटीय क्षेत्रों में कैसे सुदृढ़ करता है?" (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

कीट- आधारित आहार : रोगाणुरोधी के खिलाफ एक टिकाऊ एवं स्थायी समाधान

खबरों में क्यों ?



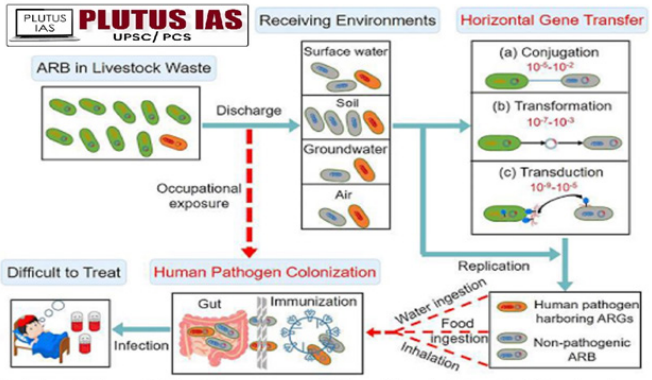
- वर्ष 2024-2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के दो प्रमुख संस्थान — CIBA और CMFRI — ने अल्ट्रा न्यूट्री इंडिया, लूपवॉर्म और एंटोफूड जैसी कंपनियों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन भागीदारियों का उद्दे-

श्य कीट-आधारित पोषण, विशेष रूप से ब्लैक सोल्जर फ्लाई (Hermetia illucens), को पशु और मत्स्य आहार में शामिल कर एक टिकाऊ प्रोटीन विकल्प विकसित करना है।

- यह पहल न केवल पशुधन और जलीय जीवों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि एंटीबायोटिक के अंधाधुंध उपयोग को घटाकर रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त, यह पारंपरिक पशु आहार प्रणालियों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध, या एएमआर, वह स्थिति है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो पहले उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर देती थीं। इसका परिणाम यह होता है कि संक्रमणों का इलाज पहले से अधिक कठिन हो जाता है, जिससे बीमारी के फैलने, गंभीर रूप लेने और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।
- एएमआर मुख्यतः मनुष्यों, पशुओं और कृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक या अनुचित उपयोग से उत्पन्न होता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, जो न केवल आम संक्रमणों के इलाज को जटिल बनाता है, बल्कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की प्रभावशीलता को भी खतरे में डालता है।



Bacteria containing antibiotic resistance genes are discharged through drainage, treated wastewater, and solid waste from livestock farms into various receiving environments. NPJ CLEAN WATER 3, 4 (2020)

पृष्ठभूमि :

- एएमआर : एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट : रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभर चुका है। इसमें पशुधन उत्पादन प्रमुख भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
- पशुपालन में एंटीबायोटिक की अत्यधिक खपत : दुनियाभर में पशुधन क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 99,500 टन एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। अनुमान है कि यह मात्रा 2030 तक 2 लाख टन तक पहुंच सकती है—यानी लगभग 53% की वृद्धि।
- परंपरागत आहार और एंटीबायोटिक का बढ़ता प्रयोग : मछली भोजन और सोयाबीन जैसे पारंपरिक चारे कम पोषण दक्षता प्रदान करते हैं, जिसके चलते पशुओं की वृद्धि दर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक का सहारा लिया जाता है।
- चारे का पारिस्थितिकीय प्रभाव : सोया और मछली आधारित आहार उत्पादन से न केवल वनों की कटाई होती है, बल्कि ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ाते हैं, जिससे वे पर्यावरणीय दृष्टि से अलाभकारी बन जाते हैं।
- एएमआर के संचरण की राह : पशुधन में उपयोग की गई एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष और प्रतिरोधी जीन दूषित जल, खेतों से बहने वाले अपशिष्ट या पशु-मानव संपर्क के माध्यम से सीधे मानव समाज और पारिस्थितिक तंत्र में पहुंच सकते हैं।
- नीतिगत स्वीकृति और वैज्ञानिक चेतावनी : 2014 के एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि पशु आहार की दक्षता बढ़ाने की कोशिशों ने अनजाने में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे एएमआर का खतरा और गहरा गया।
- वैकल्पिक आहार की खोज की आवश्यकता : एएमआर और पारिस्थितिक संकट की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं ने ऐसे समाधान खोजने शुरू किए हैं, जो पोषण की दृष्टि से कुशल हों और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालें—जैसे कीट-आधारित प्रोटीन।

पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े पहलू :

- वनों की कटाई और मृदा की उर्वरता में गिरावट : पशु आहार के लिए सोया और मक्का की खेती से जंगलों की अंधाधुंध कटाई और मृदा की उर्वरता में गिरावट हो रही है।
- ग्रीन हाउस गैसों में योगदान : पारंपरिक चारा उत्पादन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली गैसों के उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
- जल स्रोतों का प्रदूषण : चारा फसलों और पशुधन अपशिष्ट से निकलने वाला बहाव जलाशयों को पोषक तत्वों से भर देता है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है।
- एएमआर का पारिस्थितिक विस्तार : पशु आहार में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाएं प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को तेज करती हैं, जो अंततः मानव स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- स्वास्थ्य जोखिम और संक्रामक बीमारियाँ : पशुधन अपशिष्ट में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव और प्रतिरोधी जीन जल और खाद्य श्रृंखला को प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे गंभीर और लाइलाज संक्रमण फैल सकते हैं।
- परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर कदम : कीटों के माध्यम से जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर पशु चारे में बदलना न केवल अपशिष्ट प्रबंधन का टिकाऊ तरीका है, बल्कि यह एएमआर के जोखिम को भी घटाता है।

वैज्ञानिक और आर्थिक पहलू :

- उच्च पोषण संरचना : काली सैनिक मक्खी, झींगुर और मीलवर्म जैसे कीट प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं, जो लोहा, जिंक, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा प्रदान करते हैं।
- आसानी से पाचन योग्य : कीट-आधारित प्रोटीन पशुधन व मत्स्य जीवों द्वारा पारंपरिक पौध-आधारित या पशु-आधारित चारे की तुलना में अधिक आसानी से पचाया जाता है, जिससे पोषण उपयोगिता बढ़ जाती है।
- उत्कृष्ट प्रोटीन दक्षता : कीट अपने आहार को शरीर द्रव्यमान में बदलने की अत्यंत कुशल क्षमता रखते हैं, जिससे न्यूनतम इनपुट में अधिकतम प्रोटीन उत्पादन संभव होता है।
- लागत के अनुरूप पोषण उपलब्धता : ब्लैक सोल्जर फ्लाई मील जैसी विकल्पीय सामग्री मछली आहार की तुलना में तुलनात्मक उपज (0.85 किलोग्राम प्रति किलोग्राम) और प्रतिस्पर्धी लागत पर उपलब्ध होती है, जिससे यह आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनती है।
- कम संसाधन की आवश्यकता : पारंपरिक चारा उत्पादन के विपरीत, कीट पालन में अपेक्षाकृत कम भूमि, जल और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे पर्यावरणीय दबाव घटता है।
- तीव्र उत्पादन चक्र : कीटों का जीवन चक्र छोटा होता है और इन्हें कुछ ही सप्ताहों में पाला व संग्रहित किया जा सकता है, जिससे उत्पादन में तीव्रता लाई जा सकती है।
- अपशिष्ट का उपयोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना : कीट कृषि और खाद्य अपशिष्टों को उपयोगी पोषण में परिवर्तित करते हैं, जिससे न केवल लागत घटती है बल्कि यह चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है।

मुख्य चुनौतियाँ :

- नियामक अस्पष्टता : कई देशों में पशु आहार में कीट-आधारित सामग्री की अनुमति को लेकर स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों का अभाव है, जिससे निवेश और नवाचार में बाधा आती है।
- कीटों के प्रति सांस्कृतिक झिझक और मनोवैज्ञानिक अस्वीकार्यता : कीटों के प्रति सांस्कृतिक झिझक और मनोवैज्ञानिक अस्वीकार्यता, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ कीटों का सेवन पारंपरिक नहीं है, स्वीकृति को सीमित करती है।
- बाजार अनिश्चितता : पशुपालन और जलीय कृषि उद्योग पारंपरिक आहार से हटकर नवाचारों को अपनाने से हिचकिचाते हैं जब तक कि इनकी प्रभावशीलता और लाभ स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो।
- एकरूप गुणवत्ता नियंत्रण की अनुपस्थिति और सुरक्षा मानकों की कमी : एकरूप गुणवत्ता नियंत्रण की अनुपस्थिति (जैसे कि रोगजनक सूक्ष्मजीव, एलर्जन का स्तर) पशु स्वास्थ्य और उत्पाद स्थिरता को लेकर संदेह पैदा करती है।
- प्रारंभिक निवेश की उच्च लागत : कीट उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए नियंत्रण-युक्त पर्यावरण, जैव-सुरक्षा प्रणाली आदि की आवश्यकता होती है, जिससे यह पूंजी-प्रधान उद्योग बन जाता है।
- तकनीकी ज्ञान की कमी : कीट पालन से जुड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षित मानव संसाधन अभी सीमित हैं, जिससे व्यावसायिक विस्तार बाधित होता है।
- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित बाधाएं : कीटों के प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन से संबंधित व्यावसायिक समाधान अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हैं, जिससे मूल्य निर्धारण और उत्पाद की सुसंगत आपूर्ति प्रभावित होती है।
- वैश्विक नियामक समन्वय का अभाव : अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे Codex, EU नियमों) के साथ असंगति, निर्यात संभावनाओं और विदेशी निवेश को सीमित कर सकती है।

निष्कर्ष :

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) का तेजी से बढ़ता प्रसार न केवल वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए, बल्कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। पारंपरिक पशु आहार की पोषण संबंधी सीमाएँ और उससे जुड़ी कम दक्षता, पशुपालन में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे यह संकट और भी गहराता है।
- इस संदर्भ में, आईसीएआर के संस्थानों द्वारा लूपवॉर्म, एन्टो-फ़ूड और अन्य नवाचारशील स्टार्टअप्स के साथ की गई साझेदारियाँ, पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में टिकाऊ और वैज्ञानिक समाधान की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में उभर रही हैं। विशेष रूप से ब्लैक सोल्जर फ्लाई आधारित कीट-प्रोटीन, न केवल एक प्रभावी पोषण विकल्प है, बल्कि यह कृषि अपशिष्ट के पुनः उपयोग, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और एएमआर के जोखिम को घटाने जैसे बहुआयामी लाभ भी प्रस्तुत करता है।
- यह एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण है जो आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक साथ साधने की क्षमता रखता है और आने वाले वर्षों में टिकाऊ पशुपालन की दिशा को पुनर्परिभाषित कर सकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी. एवं विज्ञान प्रगति।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कीट-आधारित आहार, जैसे कि काली सैनिक मक्खियों से प्राप्त आहार, पशुधन और जलीय कृषि में मछली आहार और सोयाबीन का एक स्थायी विकल्प प्रदान करते हैं।
2. पशु आहार में कीट-आधारित प्रोटीन का उपयोग एंटीबायोटिक निर्भरता को कम करने में मदद करता है, जिससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की चुनौती का समाधान होता है।
3. चारा उत्पादन के लिए कीट पालन से जैविक अपशिष्ट का उपयोग होता है और न्यूनतम भूमि और जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव में काफी कमी आती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर - (d)





मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि बढ़ते रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की चुनौती के संदर्भ में, पशुधन और जलीय कृषि क्षेत्रों में कीट-आधारित प्रोटीन जैसे टिकाऊ फ़ीड विकल्पों की क्या भूमिका हो सकती है, और इस प्रकार के नवाचार भारत में परिपत्र अर्थव्यवस्था को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत - अफ्रीका डिजिटल समझौता : शून्य से सशक्तिकरण तक

खबरों में क्यों ?



- हर वर्ष 25 मई को अफ्रीका दिवस अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, जो बाद में एक अफ्रीकी संघ (AU) में परिवर्तित हुआ। यह दिवस अफ्रीका महाद्वीप के एकीकरण, स्वतंत्रता संघर्ष और सतत विकास की भावना का प्रतीक माना जाता है।
- वर्तमान समय में, अफ्रीकी संघ की डिजिटल परिवर्तन रणनीति (2020-2030) ने तकनीकी नवाचार को महाद्वीपीय विकास नीति के केंद्र में स्थापित कर दिया है। यह पहल अफ्रीकी देशों में डिजिटल ढांचे के माध्यम से समावेशी और सतत विकास को प्रोत्साहित करने पर बल देती है।
- हाल ही में भारत की अफ्रीकी महाद्वीप में भूमिका भी अब एक नए रूप में उभर रही है। परंपरागत रूप से अवसंरचनात्मक सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और सॉफ्ट लोन के जरिए सहयोग प्रदान करने वाला भारत अब डिजिटल साझेदारी और सामाजिक नवाचार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कम लागत और अधिक प्रभाव वाले तकनीकी समाधानों के माध्यम से भारत अब अफ्रीका के साथ एक अधिक समावेशी, लचीली और प्रौद्योगिकी-आधारित सहयोग नीति को आगे बढ़ा रहा है।
- भारत का यह नया दृष्टिकोण अफ्रीका के साथ एक तकनीक-प्रधान, लचीला और समावेशी सहयोग मॉडल को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत-अफ्रीका : सहयोग के प्रमुख क्षेत्र :

क्र. सं.	सहयोग का क्षेत्र	मुख्य बातें
1.	अंकीय प्रौद्योगिकी	इंडिया स्टैक (आधार, यूपीआई), ई-वीबी-एबी (दूर-शिक्षा और टेलीमेडिसिन), आईटीईसी के माध्यम से आईटी प्रशिक्षण, हैकथॉन, इनोवेशन हब।
2.	व्यापार एवं अर्थव्य-वस्था	भारत एक शीर्ष अफ्रीकी व्यापारिक साझेदार है; अफ्रीकी एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त पहुंच; एमएसएमई और मूल्य श्रृंखला समर्थन।
3.	शिक्षा एवं क्षमता निर्माण	छात्रवृत्तियाँ (आईटीईसी, आईसीसीआर), व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म।
4.	स्वास्थ्य सहयोग	जेनेरिक दवाइयाँ, वैक्सीन मैत्री (कोविड-19 टीके), टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना।
5.	ऊर्जा एवं जलवायु	आईएसए के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग; सौर पार्क, मिनी ग्रिड, हरित तकनीक, टिकाऊ कृषि।

6.	कृषि एवं खाद्य सुरक्षा	कृषि तकनीक, सिंचाई तकनीक, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय संवर्धन में प्रशिक्षण।
7.	रक्षा एवं सुरक्षा	समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती निरोध, रक्षा प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, शांति स्थापना।
8.	बुनियादी ढांचा और कनेक्टि-विटी	सड़क, बिजली, आईटी पार्क, डिजिटल इंफ्रा के लिए रियायती ऋण; क्षेत्रीय विकास के लिए सागर विजन।
9.	बहुपक्षीय जुड़ाव	जी-20, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन में संयुक्त कार्रवाई; जी-20 में अफ्रीकी संघ को समर्थन; वैश्विक शासन प्रणालियों में सुधार।

हाल की पहलें और महत्वपूर्ण गतिविधियाँ :

- **भारत द्वारा अपने सफल डिजिटल नवाचारों का अंतरराष्ट्रीय विस्तार :** भारत ने अपने सफल डिजिटल नवाचारों जैसे आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और कोविन को अफ्रीकी देशों के साथ साझा कर, वहां एक समावेशी और सक्षम डिजिटल ढांचा खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- **ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (e-VBAB) कार्यक्रम :** यह परियोजना 20 से अधिक अफ्रीकी देशों में दूरस्थ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। साथ ही, ऑनलाइन पढ़ाई हेतु 20,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराई गई है।
- **भारत-अफ्रीका हैकाथॉन :** यह पहल दोनों क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी नवाचारों जैसे एआई, फिनटेक, कृषि प्रौद्योगिकी और हेल्थटेक में सहयोग का मंच प्रदान करती है।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण :** भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) के तहत अफ्रीकी प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **विकासात्मक ऋण सुविधा प्रदान करना :** भारत ने डिजिटल अवसंरचना—जैसे आईटी पार्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं—की स्थापना हेतु अफ्रीकी देशों को रियायती वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज़ सम्मेलन :** भारत ने इस मंच के माध्यम से विकासशील देशों के बीच डिजिटल सहयोग, ज्ञान साझाकरण और समावेशी तकनीक के विस्तार की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
- **अफ्रीकी संघ की डिजिटल रणनीति के साथ समन्वय :** भारत की डिजिटल पहलों को अफ्रीकी संघ की 2020–2030 डिजिटल रूपांतरण नीति के अनुरूप ढाला जा रहा है, जिसमें सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर है।
- **टीकाकरण सहयोग और डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा का विस्तार करना :** कोविड-19 संकट के दौरान भारत ने टीकों की आपूर्ति के साथ-साथ अफ्रीका में टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं जैसे डिजिटल हेल्थ समाधानों का भी विस्तार किया।

भारत के लिए अफ्रीका का रणनीतिक महत्व :

- **भौगोलिक और सामरिक प्रासंगिकता :** अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित अपने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण भारत की समुद्री रणनीति और 'सागर' (सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति का अहम हिस्सा है।
- **ऊर्जा और खनिज संसाधनों की आपूर्ति :** अफ्रीका में उपलब्ध तेल, गैस, यूरेनियम और रणनीतिक खनिज (जैसे कोबाल्ट और लिथियम) भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और हरित प्रौद्योगिकीय बदलाव में सहायक हैं।
- **आर्थिक सहयोग और व्यापार संबंध :** अफ्रीका, भारत के व्यापार विस्तार में एक प्रमुख भागीदार है, विशेषकर फार्मास्युटिकल्स, कृषि, आईटी और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में।
- **वैश्विक मंचों पर समर्थन करना :** अफ्रीकी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के लिए समर्थन का एक मजबूत स्रोत हैं, विशेष रूप से यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी हेतु।
- **विकास सहयोग एवं भारतीय सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करना :** भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण आधारित सहायता अफ्रीका में लोगों से लोगों के संबंध को प्रगाढ़ बनाती है और भारतीय सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करती है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग का विस्तार :** अफ्रीका, भारत के दक्षिण-दक्षिण सहयोग के दृष्टिकोण में एक मुख्य धुरी है, जहां साझे अनुभवों और डिजिटल पब्लिक गुड्स के माध्यम से परस्पर विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का संतुलन करने में भारत की भूमिका :** अफ्रीका में चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों की उपस्थिति को संतुलित करने के लिए भारत ने सक्रिय रूप से अपने संबंध मजबूत किए हैं, जिससे वह इस महाद्वीप में रचनात्मक प्रभाव स्थापित कर सके।

अफ्रीका में भारत की भूमिका से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

- **चीनी प्रभाव की बढ़ती पकड़ :** चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत अफ्रीकी महाद्वीप में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचागत निवेश और आर्थिक एकीकरण भारत की अपेक्षाकृत

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सीमित मौजूदगी को दबा देता है, जिससे प्रतिस्पर्धा असंतुलित होती जा रही है।

- **वित्तीय संसाधनों की सीमाएँ :** भारत की बजटीय बाध्यताएँ उसे चीन, यूरोपीय संघ या खाड़ी देशों जैसी व्यापक आर्थिक सहायता, निवेश और ऋण वितरण क्षमता के समकक्ष खड़ा करने में अड़चन उत्पन्न करती हैं।
- **भू - राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का तीव्र होना :** अफ्रीका में अमेरिका, रूस, फ्रांस, तुर्की और यूएई जैसी शक्तियों की सक्रिय कूटनीति और निवेश के चलते यह क्षेत्र बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनता जा रहा है, जिससे भारत की सापेक्ष स्थिति कमजोर हो सकती है।
- **परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख बाधाएँ :** भारतीय परियोजनाओं में प्रशासनिक जटिलताएँ, धीमी गति और निष्पादन क्षमता की सीमाएं समयबद्धता और विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।
- **अस्थिर सुरक्षा परिदृश्य :** साहेल और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जारी राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और संघर्ष भारतीय निवेशों व नागरिकों के लिए जोखिम का कारण बनते हैं।
- **भारत के निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका का होना :** सरकारी समर्थन और जोखिम प्रबंधन ढांचे की कमी के कारण भारत का निजी क्षेत्र अफ्रीकी बाजार में गहराई से प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जबकि चीनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वहां व्यापक जड़ें जमा ली हैं।
- **संस्थागत समन्वय की कमी का होना :** भारत के पास अभी तक अफ्रीका के लिए कोई समग्र रणनीति या संस्थागत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिससे अफ्रीकी उप-क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ाव सीमित रह जाता है और दीर्घकालिक प्रभाव निर्माण में बाधा आती है।

अफ्रीका के प्रति भारत का भावी दृष्टिकोण :

- **डिजिटल साझेदारी का सशक्तिकरण :** इंडिया स्टैक (आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर आदि) जैसे डिजिटल सार्वजनिक ढांचों के माध्यम से अफ्रीका के समावेशी डिजिटल परिवर्तन और ई-गवर्नेंस को गति देना।
- **स्थानीय सशक्तिकरण पर आधारित विकास सहयोग :** स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्रों में भारतीय विकास कार्यक्रमों (जैसे ITEC, e-VBAB, रियायती ऋण) को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सह-निर्माण के मॉडल पर आगे बढ़ाना।
- **जनसंपर्क और सांस्कृतिक जुड़ाव को प्रोत्साहन देना :** छात्रवृत्तियों, पेशेवर प्रशिक्षण, युवा आदान-प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थायी सद्भावना और जनस्तरीय जुड़ाव को सुदृढ़ करना।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग में अफ्रीका की केंद्रीय भूमिका :** वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व में भारत-अफ्रीका साझेदारी को साझा विकास, आपसी सम्मान और टिकाऊ सहयोग के स्तंभ के रूप में मजबूत करना।
- **व्यापार एवं निवेश के अवसरों का विविधीकरण :** भारत-अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कार्य करते हुए एमएसएमई, डिजिटल व्यापार और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करना।
- **सुरक्षा और समुद्री सहयोग का विस्तार करना :** 'सागर' (SAGAR) और इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क के तहत भारत-अफ्रीका रक्षा, नौसैनिक सुरक्षा और शांति स्थापना सहयोग को सशक्त करना।
- **हरित भविष्य के लिए साझेदारी :** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और अन्य बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-संवेदनशील कृषि और पर्यावरणीय तकनीकों में सहयोग को बढ़ाना।

निष्कर्ष :

- भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग की प्रकृति अब एक नए मोड़ पर है, जहां पारंपरिक सहायता और अवसंरचना-आधारित सहभागिता से आगे बढ़कर यह संबंध अब डिजिटल, समावेशी और भावी संभावनाओं पर केंद्रित साझेदारी का रूप ले रहा है। जैसे-जैसे अफ्रीका वैश्विक जनसांख्यिकीय और भू-आर्थिक परिवर्तनों के केंद्र में आ रहा है, भारत अपनी पहचान एक भरोसेमंद, सहभागी और साझा मूल्यों पर आधारित विकास साझेदार के रूप में बना रहा है, जो ऐतिहासिक अनुभवों, दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना और आपसी सम्मान से पोषित है।
- अफ्रीकी संघ की डिजिटल परिवर्तन रणनीति (2020–2030) भारत के लिए एक ऐसा मंच प्रस्तुत करती है, जहां वह अपने डिजिटल सार्वजनिक उत्पादों, क्षमता निर्माण में दक्षता, और निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता का लाभ उठाकर अफ्रीका के विकास में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
- इस उभरते अवसर के बीच तेज होती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच फिर भी, भारत से अपेक्षा करती है कि वह लंबी अवधि की समग्र नीति, वित्तीय प्रतिबद्धताओं में विस्तार, और क्षेत्रीय व महाद्वीपीय अफ्रीकी संस्थाओं के साथ रणनीतिक समन्वय के माध्यम से अपनी उपस्थिति को और अधिक संस्थागत तथा प्रभावशाली बनाए।
- अंततः, भारत-अफ्रीका संबंध अब केवल कूटनीतिक सहयोग नहीं, बल्कि परस्पर सशक्तिकरण की साझेदारी की दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां दोनों महाद्वीप एक-दूसरे के भविष्य में सहभागी बन सकते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. ई-वीबीएबी परियोजना का उद्देश्य अफ्रीकी किसानों को जैविक कृषि पद्धतियों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
2. यूपीआई और आधार सहित इंडिया स्टैक को अफ्रीकी देशों को समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पेश किया जा रहा है।
3. भारत अफ्रीकी संघ की डिजिटल परिवर्तन रणनीति (2020-2030) का संस्थापक सदस्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. केवल 2 और 3 D. केवल 1 और 3

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा करें कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका का क्या महत्व है, और भारत-अफ्रीका डिजिटल समझौते की उभरती रूपरेखा क्या संकेत देती है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत - यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंध : एक स्थायी वैश्विक साझेदारी की ओर

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ (EU) 1 से 3 जून तक हिंद महासागर क्षेत्र में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करने जा रहे हैं, जो दोनों पक्षों के बीच समुद्री सहयोग को नई दिशा देने वाला एक अहम प्रयास है। इस अभ्यास में समुद्री डकैती रोधी अभियानों, सामरिक संचालन, आपसी समन्वय क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी), और संचार प्रणालियों को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।
- यह अभ्यास इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम-आधारित, स्वतंत्र, खुली और समावेशी समुद्री व्यवस्था की स्थापना के प्रति भारत और EU की साझी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस सहयोग की नींव संप्रभुता के सम्मान, अंतरराष्ट्रीय कानूनों (विशेषतः UNCLOS) के पालन, नौवहन की स्वतंत्रता, और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मूल सिद्धांतों पर टिकी है।
- इस अभियान में भारतीय नौसेना के जहाज़ों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के दो फ्रिगेट—जो ऑपरेशन अटलांटा के तहत तैनात हैं—भी हिस्सा लेंगे, जिससे इस अभ्यास का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

भारत–यूरोपीय संघ साझेदारी : सहयोग के प्रमुख आयाम :

1. **आर्थिक सहयोग और निवेश संबंध :** यूरोपीय संघ भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक है, और द्विपक्षीय व्यापार लगातार नए शिखर छू रहा है। मुक्त व्यापार समझौता (FTA), निवेश संरक्षण, और भौगोलिक संकेतकों पर जारी वार्ताएं पारस्परिक आर्थिक संबंधों को अधिक संतुलित, पारदर्शी और संरक्षित बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।
2. **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग :** भारत–यूरोपीय संघ (EU) व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) एक ऐसा मंच है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G/6G, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा उभरती तकनीकों के लिए वैश्विक मानकों के सामंजस्य पर काम कर रही है। दोनों पक्ष डिजिटल शासन और भरोसेमंद तकनीकी तंत्र के निर्माण में सहयोग बढ़ा रहे हैं।
3. **हरित विकास और जलवायु परिवर्तन :** स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और हरित औद्योगिक नीति के तहत भारत और यूरोपीय संघ मिलकर शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
4. **सुरक्षा एवं रणनीतिक सहयोग :** समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों पक्ष वैश्विक और क्षेत्रीय खतरों का सामना करने हेतु साझेदारी को सशक्त बना रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए EU, भारत की 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' का समर्थक है।
5. **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और आधारभूत संरचना का विकास :** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक

गलियारा (IMEC) संपर्क सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आधुनिक, लचीले और टिकाऊ अवसंरचना निर्माण को प्राथमिकता देता है। यह गलियारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नया आयाम दे सकता है।

6. **जन–जन के स्तर पर संवाद :** शिक्षा, शोध, संस्कृति, पर्यटन और खेलों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कानूनी और सुव्यवस्थित प्रवास के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे कुशल पेशेवरों का आदान-प्रदान आसान हो सके।

7. **वैश्विक शासन में सहयोग :** भारत और यूरोपीय संघ (EU), लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं। दोनों जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और AI के नैतिक उपयोग जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं।

भारत के लिए यूरोपीय संघ का रणनीतिक महत्व :

1. **व्यापारिक विश्वसनीयता और निवेश का स्रोत :** यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जिसकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 2000 से 2022 के बीच 87 बिलियन यूरो तक पहुँच चुकी है। यह संबंध एक परिपक्व आर्थिक भागीदारी का संकेत है।

2. **तकनीकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग :** होराइजन यूरोप, डिजिटल साझेदारी, और AI, 5G, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत की युवा जनसंख्या की क्षमताओं को यूरोपीय तकनीकी नेतृत्व से जोड़ता है।

3. **स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी :** यूरोपीय संघ द्वारा 2.5 बिलियन यूरो का जलवायु समर्थन भारत के ऊर्जा बदलाव और वैश्विक नेतृत्व को सशक्त करता है। इसके मूल में सौर ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थायी समाधान इस सहयोग शामिल हैं।

4. **समुद्री रणनीतिक संवाद और गहरा जुड़ाव :** हिंद-प्रशांत में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और ऑपरेशन अटलांटा जैसे अभियानों में साझेदारी से दोनों देशों के बीच समुद्री रणनीतिक संवाद और गहरा हुआ है।

5. **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना :** भारत और EU, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, बहुपक्षवाद और सत्ता संतुलन के समर्थन में एकजुट हैं। यह साझेदारी एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रणाली की वकालत करती है।

6. **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता :** भारत–यूरोपीय संघ (EU) व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के अंतर्गत अर्धचालक, फार्मास्युटिकल और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग भारत को एक विश्वसनीय आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

7. **शैक्षिक और मानव संसाधन सहयोग :** यूरोपीय संघ में 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र अध्ययनरत हैं, और कार्यक्रम जैसे 'इरास्मस+' भारत–EU जनसंवाद को सशक्त बना रहे हैं। इससे दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को सामाजिक आधार मिलता है।

8. **चीन की साम्राज्य विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों के प्रभाव को संतुलित करना :** चीन की आक्रामक नीतियों और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बीच, भारत EU के लिए एक स्थिर, लोकतांत्रिक और तकनीकी रूप से सक्षम साझेदार के रूप में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है।

भारत–यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **व्यापारिक तकनीकी अड़चनों का मौजूद होना :** यूरोपीय कंपनियों को भारत में तकनीकी मानकों (TBT) और स्वच्छता-संबंधी उपायों (SPS) के अनुपालन में कठिनाइयाँ आती हैं। फार्मास्यूटिकल उत्पादों को EU की जटिल प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे निर्यात बाधित होता है।

2. **गैर-शुल्कीय (Non-Tariff) नीतिगत बाधाओं का होना :** EU द्वारा लगाए गए नियम—जैसे आईटी कंपनियों के लिए स्थानीय उपस्थिति की अनिवार्यता—से भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए लागत और अनुपालन का बोझ बढ़ जाता है, जिससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार प्रभावित होता है।

3. **सीमित बाजार पहुंच का होना :** यूरोपीय ऑटोमोबाइल और मद्य उत्पादों पर भारत द्वारा लगाया गया उच्च शुल्क तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में विदेशी भागीदारी की सीमाएँ व्यापारिक संतुलन को प्रभावित करती हैं।

4. **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर मतभेद होना :** एक तरफ जहाँ यूरोपीय संघ पेटेंट नियमों को कड़ा करने और डेटा एक्सक्लूसिविटी की वकालत करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता देता है।

5. **हरित व्यापार अवरोध :** कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) का प्रभाव : यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) भारत के इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा में असमानता पैदा कर रहा है, जिससे निर्यातकों की चिंता बढ़ी है।

6. **तरजीही व्यापार दर्जे का निलंबन :** GSP सुविधा के समाप्त होने के बाद भारतीय वस्त्र और चमड़े के उत्पाद यूरोपीय बाजार में शुल्क छूट से वंचित हो गए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है।

7. **निवेश सुरक्षा व्यवस्था पर असहमति का होना :** भारत और EU के बीच निवेशक–राज्य विवाद समाधान (ISDS) तंत्र और निवेश की पारदर्शिता से जुड़ी शर्तों पर मतभेद अब तक सुलझ नहीं पाए हैं।

8. **प्रवासन - संबंधी और वीज़ा नियमों में जटिलताओं का होना :** भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए EU वीज़ा प्रक्रिया जटिल बनी हुई है, जबकि EU देशों को पारस्परिक पहुंच की अपेक्षा है।

9. **भू राजनीतिक दृष्टिकोण में असमानता :** रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थता की नीति और EU की स्पष्ट आलोचना के बीच असहजता बनी हुई है, जिससे रणनीतिक सहमति प्रभावित हो रही है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

10. **डिजिटल नीति में अंतर होना :** डेटा सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम (जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन) जैसे विषयों पर भारत और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण में अंतर सहयोग की गहराई को सीमित करता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **व्यापक व्यापार समझौते को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता :** FTA वार्ता को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाना, और कृषि, फार्मा, मदिरा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सहमति के बिंदु तलाशना महत्वपूर्ण है।

2. **नीतिगत लचीलेपन की भावना विकसित करना :** एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए विचार-विमर्श को मूल्य-तटस्थ बनाना आवश्यक है, जिससे रणनीतिक विश्वास को ठेस न पहुँचे।

3. **हरित सहयोग को संतुलित करने की आवश्यकता :** भारत और यूरोपीय संघ दोनों को जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए CBAM जैसे विवादास्पद उपायों पर खुला संवाद स्थापित करना होगा।

4. **संस्थागत रणनीतिक संवाद को विस्तार देने की जरूरत :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में TTC जैसे मंचों का उपयोग करके कार्यनीतिक समन्वय को गति दी जा सकती है।

5. **त्रिपक्षीय व बहुपक्षीय स्तर पर भागीदारी को सुनिश्चित करना :** अफ्रीका और हिंद-प्रशांत में साझे बुनियादी ढांचा प्रकल्पों द्वारा चीन के BRI का संतुलन बनाया जा सकता है।

6. **शैक्षणिक और सांस्कृतिक पुलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता :** इरास्मस+ और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए।

7. **साइबर और समुद्री क्षेत्र में सहयोग जैसे क्षेत्रों में नीतिगत तालमेल आवश्यकता :** समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियमित संयुक्त अभ्यास और डेटा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में नीतिगत तालमेल आवश्यक है।

निष्कर्ष :

- भारत–यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंध वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। जहाँ गहन व्यापारिक, प्रौद्योगिकीय और रणनीतिक सहयोग की संभावनाएँ हैं, वहीं विविध राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेद इन संभावनाओं की राह में बाधा बन सकते हैं। पारस्परिक समझ, विनम्र राजनयिक संवाद और व्यावहारिक सहयोग से ही इस साझेदारी को एक लचीली, न्यायसंगत और स्थायी वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।

स्रोत - पी.आई.बी. एवं द हिन्दू। 02 जून 2025 - पृष्ठ- 06.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित में से किस संगठन ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) लागू किया है?

A. विश्व व्यापार संगठन (WTO)

B. यूरोपीय संघ (EU)

C. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

D. G20

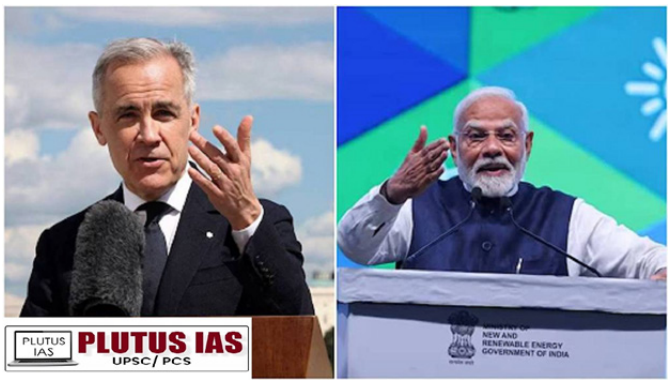
उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि वैश्विक भू-राजनीति के संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ की हालिया साझेदारी का क्या महत्व है? भारत-यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, और इस रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

कूटनीति पर दबाव : भारत, कनाडा और G-7 आमंत्रण का रणनीतिक पहलू

खबरों में क्यों?



- हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी जी 7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो जून के मध्य में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित होने जा रहा है।
- यह निमंत्रण भारत-कनाडा के आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो हाल के वर्षों में तनावपूर्ण दौर से गुजरे हैं। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान यह निमंत्रण दिया गया।
- भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के इस आमंत्रण को न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सार्वजनिक संदेश में आभार भी जताया और सम्मेलन में कार्नी से मिलने की अपनी उत्सुकता प्रकट की है।

भारत - कनाडा द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति :

1. **राजनयिक संबंधों में उतार-चढ़ाव :** सन 2023 से भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव व्याप्त है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खंडन किया। इसके परिणामस्वरूप वीज़ा सेवाएं बाधित हुईं और राजनयिक स्तर पर निष्कासन की घटनाएं हुईं।

2. **व्यापारिक और आर्थिक सहयोग :** भारत और कनाडा के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12 बिलियन कैनेडियन डॉलर के आसपास है। हालांकि, प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (EPTA) पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। कनाडा भारत को पोटाश और दालों की प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि भारतीय कंपनियों ने कनाडा में 6 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

3. **जनसंपर्क और प्रवासी समुदाय :** कनाडा में भारतीय मूल के 7.7 लाख से अधिक नागरिक हैं और वहाँ 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में हुए आपसी तनावों ने छात्र वीज़ा प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है।

4. **अलग खालिस्तान की मांग का विवाद :** भारत कनाडा पर चरमपंथी खालिस्तानी तत्वों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाता रहा है। इसके जवाब में कनाडा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने रुख को उचित ठहराया, हालांकि इस स्थिति को लेकर कनाडा के भीतर भी आलोचना देखने को मिली है।

5. **सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु सहयोग के क्षेत्र :** पिछले कुछ वर्षों से हालांकि रक्षा क्षेत्र में सहयोग सीमित है, दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर साझेदारी बनाए हुए हैं। भारत-प्रशांत क्षेत्र में कनाडा की भागीदारी भी इस रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है।

वर्तमान तनाव के प्रमुख आयाम :

- **कूटनीतिक प्रतिघात :** राजनयिकों का निष्कासन, वीज़ा सेवाओं का निलंबन और मिशनों में स्टाफ की कटौती दोनों देशों में अविश्वास की स्थिति को दर्शाता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप :** कनाडा द्वारा भारत पर उसके आंतरिक मामलों, विशेषकर चुनावों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं, जिससे राजनीतिक स्तर पर दरार और गहरी हो गई है।
- **छात्रों पर प्रभाव :** छात्रों को वीज़ा मिलने में देरी हो रही है, जिससे शिक्षा और करियर की योजनाएँ बाधित हो रही हैं।
- **प्रवासी समुदाय की प्रतिक्रिया :** कनाडा में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय में विशेषकर सिख समूहों में राजनीतिक सक्रियता और विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं।
- **संवाद की पहल :** G7 जैसे मंचों पर भारतीय नेताओं को आमंत्रित कर पुनः संवाद स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं, हालाँकि ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं कहे जा सकते।
- **दीर्घकालिक प्रभाव :** व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रणनीतिक सहयोग जैसी कई संभावनाएँ इस तनाव के चलते ठंडी पड़ी हैं, जिससे दीर्घकालीन द्विपक्षीय साझेदारी पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

भारत के लिए G-7 सम्मेलन के निमंत्रण का रणनीतिक और वैश्विक महत्व :

1. **वैश्विक शक्ति के रूप में मान्यता :** भारत को विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में G-7 जैसे प्रभावशाली मंच पर बुलाया जाना उसकी आर्थिक प्रगति, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक स्थिरता में भूमिका की औपचारिक स्वीकृति है।

2. **वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के उभरते विश्व नेतृत्व की भूमिका में होना :** भारत वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि स्वर के रूप में उभरा है। G-7 में इसकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि विकासशील देशों की प्राथमिकताओं—जैसे जलवायु न्याय, तकनीकी समानता और वित्तीय समावेशन—को वैश्विक नीति विमर्श में स्थान मिले।

3. **द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के समाधान का मंच :** यह आमंत्रण भारत और कनाडा जैसे देशों के बीच हालिया राजनयिक विवादों को शांत करने के लिए एक अवसर बन सकता है। उच्चस्तरीय संवाद से विश्वास बहाली और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

4. **भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को समर्थन :** कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता के बीच यह निमंत्रण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख को समर्थन प्रदान करता है।

5. **हिंद-प्रशांत रणनीति और क्षेत्रीय भागीदारी को सुनिश्चित करना :** भारत की समुद्री क्षमताएं और क्षेत्रीय भागीदारी, G-7 को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयासों में मदद देती हैं। यह सामरिक संतुलन और स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत साझेदारी को दर्शाता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **जलवायु और सतत विकास में योगदान :** भारत नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। इस मंच पर इसकी भागीदारी, G7 की जलवायु प्रतिबद्धताओं को धरातल पर उतारने में सहायक बन सकती है।

7. **डिजिटल और तकनीकी सहयोग के नए अवसर :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) , साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप नवाचार में भारत की प्रगति G-7 देशों के साथ तकनीकी साझेदारी के नए अवसर खोलती है।

8. **रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय संतुलन :** G-7 जैसे पश्चिमी मंचों के साथ सहभागिता के बावजूद भारत अपनी "स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी" बनाए रखते हुए बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में संतुलन स्थापित कर सकता है, जहाँ वह न किसी ध्रुव के प्रति झुका हुआ हो, न ही किसी पर निर्भर ही रहे।

9. **वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव में विस्तार :** इस मंच पर सक्रिय भूमिका भारत को वैश्विक संकटों—जैसे स्वास्थ्य, युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला संकट आदि—के समाधान में योगदान देने वाला एक निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

10. **निवेश और आर्थिक सहयोग को गति प्रदान करना :** G-7 देशों के साथ बढ़ती निकटता भारत के लिए निवेश प्रवाह, व्यापारिक साझेदारी और वैश्विक बाजारों में विविधता के नए द्वार खोल सकती है, जिससे उसकी आर्थिक कूटनीति को नया बल मिलेगा।

जन-संपर्क और सामाजिक समन्वय :

1. **वैश्विक समाज में एक जीवंत सेतु के रूप में प्रवासी भारतीयों की भूमिका :** G-7 देशों, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में बसे लाखों भारतीय मूल के लोग केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समुदाय भारत और पश्चिमी लोकतंत्रों के बीच विश्वास, सहयोग और पहचान का जीवंत पुल बनते जा रहे हैं।

2. **शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक संबंधों का विस्तार :** अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय छात्र दीर्घकालिक अकादमिक सहयोग, अनुसंधान एवं नवाचार में योगदान देते हैं। यह शैक्षिक गतिशीलता भारत की वैश्विक प्रतिभा के साथ सहभागिता को मजबूती देती है।

3. **यात्रा, पर्यटन और सामाजिक गतिशीलता :** अध्ययन, व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक कारणों से होने वाली पारस्परिक यात्राओं ने न केवल आपसी समझ को बढ़ावा दिया है, बल्कि इनकी आर्थिक उपस्थिति ने विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार और सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया है।

4. **सॉफ्ट पावर की ताकत के क्षेत्र में भारत की स्थिति का मजबूत होना :** योग, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन, भाषा उत्सव, और साहित्यिक संवाद जैसे सांस्कृतिक प्रयासों ने G7 देशों के साथ भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को प्रगाढ़ किया है, जिससे 'सॉफ्ट पावर' के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

आर्थिक भागीदारी : सहयोग, नवाचार और भविष्य की संभावनाएँ :

1. **व्यापारिक रिश्तों में परस्पर लाभ :** अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे G-7 देश भारत के प्रमुख व्यापार साझेदार हैं, जिनके साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार न केवल द्विपक्षीय लाभ देता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थायित्व भी प्रदान करता है।

2. **निवेश प्रवाह और औद्योगिक सहयोग :** G7 राष्ट्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रमुख स्रोत हैं, जो विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

3. **तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में आपसी साझेदारी :** अर्धचालक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रीन एनर्जी और शोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी भागीदार बनने का अवसर देता है।

4. **वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क को विविध और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक साझा प्रयास के रूप में :** G-7 के साथ सहयोग, विशेष रूप से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क को विविध और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक साझा प्रयास है।

5. **जलवायु वित्त और सतत विकास :** G7 देशों द्वारा हरित वित्त और तकनीकी समर्थन के माध्यम से भारत को उसके जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है, जो वैश्विक कार्बन तटस्थता की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

भारत के लिए साझेदारी की राह में संभावित बाधाएँ एवं मुख्य चुनौतियाँ :

1. **राजनयिक मतभेदों की छाया से समग्र संवाद को बाधित होने की संभावना :** कनाडा के साथ खालिस्तानी अलगाववाद को लेकर तनाव G7 के साथ समग्र संवाद को बाधित कर सकता है।

2. **जलवायु नीति में दृष्टिकोण का टकराव होना :** G7 राष्ट्र त्वरित उत्सर्जन कटौती पर जोर देते हैं, जबकि भारत विकासशील देश होने के नाते 'जलवायु न्याय' की मांग करता है।

3. **व्यापार में संरक्षणवाद :** डिजिटल टैक्स, टैरिफ बाधाएं और गैर-टैरिफ नीतियां भारतीय निर्यात के लिए चुनौती बन सकती हैं।

4. **आव्रजन नीतियों से दोनों पक्षों में असंतुलन उत्पन्न होना :** प्रतिभाशाली भारतीय पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही सीमित करने वाली नीतियाँ दोनों पक्षों के लिए असंतुलन उत्पन्न कर सकती हैं।

5. **प्रौद्योगिकी संप्रभुता पर असहमति का होना :** डेटा प्राइवेसी, एआई विनियमन और डिजिटल संप्रभुता पर मतभेद भारत और G7 के बीच विनियामक टकराव को जन्म दे सकते हैं।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **भू राजनीतिक दबाव और संतुलन का संकट होना :** रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन को लेकर G7 की अपेक्षाएं भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती दे सकती हैं।

7. **सीमित संस्थागत भागीदारी का होना :** G-7 की स्थायी सदस्यता न होने के कारण भारत को निर्णय प्रक्रिया में सीमित प्रभाव प्राप्त होता है।

8. **आर्थिक निर्भरता की चुनौती का होना :** अधिक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला से भारत बाह्य झटकों और G7 की नीतिगत अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।

9. **वैश्विक दक्षिण के साथ संतुलन बनाए रखना :** G7 के साथ निकटता विकासशील देशों के साथ भारत की ऐतिहासिक भूमिका और नेतृत्व को कमजोर कर सकती है।

भारत की वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ करने में आगे की राह :

1. **आपस में रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत :** भारत को अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे G-7 सदस्य देशों के साथ सुरक्षा, रक्षा, साइबर खतरों और हिंद-प्रशांत स्थिरता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक संगठित तथा गहन बनाना चाहिए।

2. **विकासशील देशों की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि का आवाज बनना :** भारत को 'वैश्विक दक्षिण' की चिंताओं—जैसे जलवायु न्याय, वित्तीय समावेशन और न्यायसंगत व्यापार व्यवस्था—को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हुए, एक नैतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए।

3. **हरित भविष्य के लिए सहभागिता सुनिश्चित करना :** स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जलवायु वित्त में G-7 के संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर भारत को अपने ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास के लक्ष्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए।

4. **डिजिटल युग में साझेदारी का विस्तार करना :** AI, ब्लॉकचेन, डेटा सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में G-7 देशों के साथ तकनीकी साझेदारी भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त कर सकती है।

5. **वैश्विक शासन में समावेशन की वकालत करने की आवश्यकता :** संयुक्त राष्ट्र, WTO, WHO जैसी संस्थाओं में सुधार और उन्हें अधिक प्रतिनिधिक बनाना आवश्यक है। भारत को G-7 मंच का उपयोग कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक दक्षिण की आवाज इन संस्थानों में सुनी और शामिल की जाए।

6. **द्विपक्षीय विवादों का संवाद के माध्यम से समाधान करना :** कनाडा और यूके जैसे देशों के साथ उत्पन्न होने वाले राजनीतिक या प्रवासी मुद्दों को सार्वजनिक टकराव के बजाय स्थिर कूटनीतिक संवाद से सुलझाना दीर्घकालिक विश्वास निर्माण के लिए आवश्यक है।

7. **प्रतिभा, शिक्षा और श्रमिक गतिशीलता को प्रोत्साहन देना :** शिक्षा, शोध, और उच्च-कुशल मानव संसाधन के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने हेतु भारत को द्विपक्षीय छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, योग्यता की पारस्परिक मान्यता और वीज़ा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर देना चाहिए।

8. **लचीली और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएँ सुनिश्चित करना :** अर्धचालकों, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के क्षेत्र में विविध, भरोसेमंद और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारियों का निर्माण भारत की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए अनिवार्य है।

निष्कर्ष :

- कनाडा में प्रस्तावित G-7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को दिया गया निमंत्रण केवल एक कूटनीतिक संकेत नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक परिवर्तन में योगदान देने की मान्यता भी है। यह निमंत्रण भारत को वैश्विक मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाने, समावेशी नीति-निर्माण को आगे बढ़ाने और दक्षिण-उत्तर संतुलन को साधने का अवसर प्रदान करता है।

- कूटनीतिक तनाव, भू राजनीतिक दबाव और नीतिगत असहमति जैसी चुनौतियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन भारत की सक्रिय, विवेकपूर्ण और संतुलित भागीदारी इस साझेदारी को स्थायित्व और प्रभाव प्रदान कर सकती है।

- भारत के लिए यह समय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, वैश्विक स्थिरता, समावेश और सतत विकास की दिशा में एक निर्णायक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने का है।

- भारत और G-7 देशों के बीच सहयोग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि भारत एक दूरदर्शी, संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए।

- भारत को G-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना न केवल एक प्रतीकात्मक सम्मान है, बल्कि यह उसके वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्धारण में भूमिका को मान्यता देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह निमंत्रण कई स्तरों पर भारत के लिए अवसरों और संकेतों का वाहक भी है।

स्त्रोत - पी. आई. बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के विदेशी संबंधों में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. G-7 एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें भारत सहित प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

2. 2025 में कनाडा द्वारा आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया।

3. भारत G-7 समूह का स्थायी सदस्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि क्या कनाडा द्वारा 2025 के जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया जाना, भारत के रणनीतिक महत्व की वैश्विक स्वीकृति और भारत-कनाडा संबंधों में हाल ही में उत्पन्न तनाव को कम करने के एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत और साइप्रस : बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में मजबूत होते संबंध

खबरों में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, खास तौर पर तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकियों के बीच इस यात्रा का कूटनीतिक, रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व है।



भारत-साइप्रस संबंधों की ऐतिहासिक नींव :

1. **राजनयिक संबंधों की स्थापना (1962) :** भारत उन पहले गैर-यूरोपीय देशों में से एक था, जिसने 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के तुरंत बाद साइप्रस गणराज्य को मान्यता दी थी।

2. **नेतृत्व बंधन :** द्विपक्षीय संबंध आर्कबिशप मकारियोस (साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति) और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच व्यक्तिगत तालमेल से आकार लेते थे, जो साझा लोकतांत्रिक और उपनिवेशवाद विरोधी मूल्यों को दर्शाता था।

3. **साझा गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण :** दोनों राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य थे, जो शीत युद्ध के दौरान संप्रभु समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता पर आधारित विश्व व्यवस्था की वकालत करते थे।

4. **विउपनिवेशीकरण के लिए समर्थन :** भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध साइप्रस के संघर्ष का दृढ़ता से समर्थन किया तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार इस मुद्दे को उठाया।

5. **भारत की एकता के लिए साइप्रस का समर्थन :** साइप्रस ने लगातार कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया है, इसे एक आंतरिक मामला माना है और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है।

6. **नैतिक और कूटनीतिक समर्थन :** भारत का समर्थन कूटनीति से आगे बढ़कर नैतिक एकजुटता तक पहुंच गया, जो साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों में निहित उत्तर-औपनिवेशिक भाईचारे को दर्शाता है।

7. **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विरासत :** साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (यूएनएफआईसीवाईपी) में योगदान के साथ भारत के समर्थन को संस्थागत रूप दिया गया, जहां भारतीय कमांडरों ने विशिष्टता के साथ सेवा की, जिससे ऐतिहासिक सद्भावना और गहरी हुई।

8. **दोस्ती के प्रतीकात्मक संकेत :** साइप्रस ने भारतीय शांति सैनिक जनरल के.एस. थिमय्या, जिनकी मृत्यु 1965 में साइप्रस में हुई थी, के सम्मान में लारनाका में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा तथा 1966 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो दीर्घकालिक कृतज्ञता का प्रतीक है।

राजनीतिक और राजनयिक संबंध : भारत-साइप्रस :

पहलू	विवरण
संबंधों की स्थापना	राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 10 फरवरी 1962 को स्थापित किये गये।
द्विपक्षीय तंत्र	विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राएं, समझौता ज्ञापन और परामर्श।
बहुपक्षीय सहयोग	संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम), राष्ट्रमंडल, आईएईए और एनएसजी में घनिष्ठ समन्वय।

वैश्विक शासन पर समर्थन	साइप्रस विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
परमाणु कूटनीति	साइप्रस ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का समर्थन किया तथा एनएसजी और आईएईए में भारत का समर्थन किया।
दक्षिण एशिया शांति मान्यता	दक्षिण एशिया में एक स्थिरकारी शक्ति और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की भूमिका को मान्यता दी गई।
शांति स्थापना सहयोग	साइप्रस भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना योगदान को महत्व देता है, विशेष रूप से यूएनएफआईसीवाईपी मिशन में।
साझा लोकतांत्रिक मूल्य	दोनों संप्रभुता, लोकतांत्रिक शासन, कानून के शासन और शांतिपूर्ण विवाद समाधान को कायम रखते हैं।

भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना योगदान : UNFICYP :

1. **यूएनएफआईसीवाईपी में प्रमुख भूमिकाएँ :** भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (यूएनएफआईसीवाईपी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा इसके आरंभिक दिनों से ही वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व प्रदान किया है।

2. **भारतीय सेना कमांडर :** भारत ने यूएनएफआईसीवाईपी के लिए तीन फोर्स कमांडर उपलब्ध कराए हैं - यह एक दुर्लभ उपलब्धि है जो भारत की वैश्विक शांति स्थापना विश्वसनीयता को दर्शाती है।

3. **उल्लेखनीय कमांडर:**

   जनरल कोडंडेरा सुबैया थिमय्या - UNFICYP की कमान संभालने वाले पहले भारतीय; 1965 में साइप्रस में सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई।

   मेजर जनरल दीवान प्रेमचंद - बाद में कांगो और नामीबिया में शांति स्थापना प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध।

   लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमिंद्र सिंह ज्ञानी ने संघर्ष के बाद के परिदृश्य में स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया।

4. **स्मारक मान्यता:** 1966 में साइप्रस ने जनरल थिमय्या की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया - जो एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धांजलि थी।

5. **भारत-साइप्रस मैत्री का प्रतीक:** यूएनएफआईसीवाईपी में भारत के योगदान को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सद्भावना और विश्वास के स्तंभ के रूप में देखा जाता है।

6. **वैश्विक शांति मानदंडों को कायम रखना:** यूएनएफआईसीवाईपी में भारत की भागीदारी शांति, गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता के सम्मान पर केंद्रित इसकी सैद्धांतिक विदेश नीति को दर्शाती है।

उच्च स्तरीय दौरे और संपर्क :

वर्ष	यात्रा / सहभागिता	मुख्य परिणाम / मुख्य बिंदु
2017	राष्ट्रपति का दौरा-नि-कोस अनास्तासियादे-स(साइप्रस गणराज्य) से भारत	द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना; आर्थिक और सां-स्कृतिक सहयोग पर चर्चा
2018	भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की साइप्रस यात्रा	राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई
2022	विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की साइप्रस यात्रा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षररक्षा सहयोग और प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी
2022	साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ	विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान सदस्यता पर हस्ताक्षर
2023 –24	यूएनजीए, चोगम, दोहा फोरम और ईयू-इंडो-पैसिफिक फोरम के दौरान आयोजित कार्यक्रम	बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय चर्चा
2023	भारत ने साइप्रस मैरी-टाइम 2023 में भाग लिया	समुद्री सहयोग में वृद्धि और नीली अर्थव्यवस्था में रुचि का उल्लेख किया गया
2023	भारत ने साइप्रस में राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ सम्मेलन में भाग लिया।	राष्ट्रमंडल ढांचे के अंतर्गत कानूनी और शैक्षणिक सहयोग

भारत-साइप्रस रक्षा सहयोग :

1. **रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** 29 दिसंबर 2022 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित। संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और रक्षा आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करता है।

2. **द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम (बीडीसीपी) – 2025 :** 23 जनवरी 2025 को हस्ताक्षरित, संरचित सैन्य सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया। इसमें संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग संबंध शामिल हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **एयरो इंडिया 2025 में भागीदारी :** साइप्रस का प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और रक्षा व्यापार तथा समुद्री सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

4. **रणनीतिक मूल्य:** पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है। मेक इन इंडिया और रक्षा कूटनीति प्रयासों का समर्थन करता है।

भारत-साइप्रस आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध :

1. **द्विपक्षीय व्यापार (2023-24):** कुल व्यापार 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कोविड-19 व्यवधानों के बाद सुधार की दिशा को दर्शाता है।

2. **साइप्रस को भारत का प्रमुख निर्यात:** इसमें फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, लोहा और इस्पात, सिरेमिक और मशीनरी शामिल हैं, जो भारत की विनिर्माण शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

3. **साइप्रस का भारत को निर्यात:** मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, पेय पदार्थ और अन्य विनिर्मित वस्तुएं, विशिष्ट उद्योग सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

4. **कोविड-19 प्रभाव और रिकवरी:** महामारी ने व्यापार की मात्रा को प्रभावित किया है, लेकिन आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

5. **संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी):** मुख्य संस्थागत संवाद तंत्र के रूप में कार्य करता है; अंतिम बार अक्टूबर 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था।

6. **साइप्रस-भारत व्यापार संघ (सीआईबीए):** इसका उद्देश्य व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) संबंधों को बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और नवाचार आधारित सहयोग को बढ़ावा देना है।

7. **इन्वेस्ट इंडिया – इन्वेस्ट साइप्रस समझौता ज्ञापन (2021) :** द्विपक्षीय निवेश, व्यापार में आसानी और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

8. **निवेश गेटवे :** साइप्रस, यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते, भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ में एक रणनीतिक आर्थिक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।

भारत-साइप्रस : हालिया क्षेत्रीय सहयोग (2024-25) :

1. **डिजिटल परिवर्तन और नवाचार :** सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा और उभरते तकनीकी नवाचार पर केंद्रित था।

2. **उच्च स्तरीय तकनीकी वार्ता :** सितंबर 2024 में, साइप्रस के अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल नीति उप मंत्री ने नई दिल्ली में सीआईआई इंडिया-भूमध्यसागरीय व्यापार सम्मेलन में भाग लिया।

3. **द्विपक्षीय तकनीकी सहभागिता :** तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के वाणिज्य एवं आईटी राज्य मंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

4. **कानूनी और मानवाधिकार आदान-प्रदान :** अक्टूबर 2024 में, एक भारतीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल कानूनी सुधारों और बाल अधिकार/कल्याण तंत्र पर सहयोग की संभावना तलाशने के लिए साइप्रस का दौरा करेगा।

भारत-साइप्रस संबंधों में मुख्य चुनौतियाँ :

1. **सीमित व्यापार मात्रा :** मजबूत राजनीतिक सद्भावना के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार मामूली (2023-24 में 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बना हुआ है।

2. **कम निवेश प्रवाह :** यद्यपि साइप्रस अतीत में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत रहा है, लेकिन हाल ही में निवेश की गति धीमी हो गई है।

3. **कनेक्टिविटी संबंधी बाधाएं :** प्रत्यक्ष हवाई और समुद्री सम्पर्क का अभाव लोगों के बीच आपसी संपर्क, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स आधारित व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है।

4. **पर्यटन क्षमता का कम उपयोग :** दोनों देशों में समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षण हैं, लेकिन कम प्रचार और कनेक्टिविटी के कारण पर्यटन आदान-प्रदान न्यूनतम है।

5. **सीमित शैक्षिक आदान-प्रदान :**अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और राष्ट्रमंडल संबंधों के बावजूद, छात्र गतिशीलता और संस्थागत सहयोग क्षमता से बहुत कम है।

6. **अप्रयुक्त फिनटेक और डिजिटल सहयोग :** फिनटेक, ब्लॉकचेन और डिजिटल भुगतान में अवसर अभी भी काफी हद तक अज्ञात हैं।

7. **लगातार उच्च स्तरीय सहभागिता का अभाव :** यद्यपि संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, लेकिन उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं और अनुवर्ती कार्रवाई की सीमित आवृत्ति के कारण गति में बाधा उत्पन्न हो रही है।

8. **क्षेत्र-विशिष्ट संस्थागत तंत्र की आवश्यकता :** जलवायु परिवर्तन, स्टार्टअप और हरित ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में समर्पित मंचों का अभाव लक्षित प्रगति में बाधा डालता है।

आगे की राह :

1. **आर्थिक सहभागिता में विविधता लाना :** नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपयोग करके पारंपरिक क्षेत्रों से आगे द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना।

2. **स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना :** संयुक्त इनक्यूबेटर और नवाचार निधि तक पहुंच सहित तकनीकी स्टार्टअप के लिए सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **रक्षा साझेदारी को मजबूत करना :** द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम (बीडीसीपी) के अंतर्गत संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौसैनिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझाकरण के माध्यम से रक्षा संबंधों को गहरा करना।

4. **पर्यटन संपर्क बढ़ाना :** दोतरफा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सीधे हवाई संपर्क और पर्यटन संवर्धन अभियान स्थापित करना।

5. **शैक्षिक एवं अकादमिक आदान-प्रदान :** विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन बनाकर छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देना।

6. **प्रवासी समुदाय की क्षमता का लाभ उठाएं :** सांस्कृतिक कार्यक्रमों, व्यापार मंचों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से साइप्रस में भारतीय प्रवासियों को शामिल करना।

7. **समुद्री एवं रसद सहयोग को बढ़ावा देना :** यूरोपीय शिपिंग मार्गों तक भारत की पहुंच विकसित करने के लिए साइप्रस की समुद्री ताकत का उपयोग करना।

8. **क्षेत्रीय संवादों को संस्थागत बनाना :** फिनटेक, साइबर सुरक्षा और सतत विकास पर समर्पित द्विपक्षीय कार्य समूह बनाएं।

निष्कर्ष :

- भारत-साइप्रस संबंध साझा उत्तर-औपनिवेशिक विरासत, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी समर्थन पर आधारित हैं। जबकि ऐतिहासिक सद्भावना और कूटनीतिक गर्मजोशी मजबूत बनी हुई है, साझेदारी अब डिजिटल नवाचार, रक्षा सहयोग और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसी नई-पुरानी प्राथमिकताओं को अपनाने के लिए विकसित हो रही है। हालांकि, कम व्यापार मात्रा, सीमित कनेक्टिविटी और कम उपयोग की गई क्षेत्रीय क्षमता जैसी चुनौतियों के लिए केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, दोनों देशों को भूमध्यसागरीय-हिंद-प्रशांत चाप में इस ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदारी की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए क्षेत्रीय जुड़ाव को संस्थागत बनाना चाहिए, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना चाहिए और लोगों पर केंद्रित कूटनीति को बढ़ावा देना चाहिए।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 भारत-साइप्रस संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने कभी भी साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (यूएनएफआईसीवाईपी) के लिए कार्मिकों का योगदान नहीं किया है।
2. साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का सदस्य है।
3. साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत और साइप्रस उत्तर-औपनिवेशिक एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों की ऐतिहासिक विरासत को साझा करते हैं, लेकिन साझेदारी की पूरी क्षमता का अभी भी दोहन नहीं हुआ है।" भारत-साइप्रस संबंधों के विकास, सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, हालिया घटनाक्रमों और आगे के रास्ते पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

G7 समूह देशों का 51 वाँ शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कनाडा के कननास्किस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यद्यपि भारत G7 समूह का आधिकारिक सदस्य नहीं है, फिर भी वह पिछले छह वर्षों से इस वैश्विक मंच पर 'आउटरीच देश' के रूप में आमंत्रित होता आ रहा है और भारत अब तक कुल मिलाकर बारह बार इसमें शामिल हो चुका है।
- यह पहला अवसर था जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष :

- **कननास्किस वाइल्डफायर चार्टर :** इस चार्टर का उद्देश्य वनाग्नि के जोखिम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय कार्यप्रणालियों और प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से कम करना है। यह वर्ष 2021 के ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें 2030 तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने और पलटने की बात कही गई है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज कार्य योजना :** इस योजना का उद्देश्य खनिज संसाधनों के उत्पादन में विविधता लाना, नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है। यह 2023 की पाँच सूत्रीय रणनीति पर आधारित है, जिसे भारत ने भी समर्थन दिया है।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण (RISE साझेदारी) :** G7 देशों ने वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रही "RISE" (सुदृढ़ और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला) साझेदारी को और अधिक मजबूती देने का संकल्प लिया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार दमन की आलोचना :** G7 देशों के नेताओं ने उन गतिविधियों की कड़ी भर्त्सना की, जिनमें किसी देश द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर व्यक्तियों या समूहों को धमकाया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है या बलपूर्वक चुप कराने की कोशिश की जाती है। इसे 'ट्रांसनेशनल रेप्रेशन' (Transnational Repression - TNR) कहा जाता है।
- **प्रवासी तस्करी के विरुद्ध अभियान :** G7 ने प्रवासी तस्करी को रोकने और उससे मुकाबला करने के लिए G-7 गठबंधन तथा इस मुद्दे को लक्षित करते हुए वर्ष 2024 की G7 कार्य योजना के माध्यम से प्रवासी तस्करी पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

G-7 का परिचय और मुख्य उद्देश्य :



- G-7 समूह दुनिया के सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एकअंतरराष्ट्रीय समूह और अनौपचारिक मंच है।
- इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य (यूके) शामिल हैं, साथ ही यूरोपीय संघ (EU) भी इस समूह के एक 'गैर-सूचीबद्ध सदस्य' के रूप में माना जाता है।
- G-7 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक समस्याओं विशेषकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और कभी-कभी समन्वित कार्रवाई करना होता है।
- G-7 की स्थापना 1970 के दशक में हुआ था।
- प्रारंभ में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के साथ, और 1976 में कनाडा के सम्मिलित होने के बाद इस G-7 का गठन हुआ था।
- 1998 में रूस के सम्मिलित होने पर G-7 'G-8' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, परंतु सन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के प्रतिक्रिया में रूस को इस समूह से निष्कासित कर यह G-7 में पुन: परिवर्तित हो गया।
- G-7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है, जहाँ इस समूह के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य देश , बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।

G-7 का स्वरूप :

- **अनौपचारिक समूह :** G-7 एक ऐसा समूह है जो किसी औपचारिक संधि के दायरे में नहीं आता है और इसमें कोई स्थायी प्रशासनिक संरचना नहीं होती है। प्रत्येक सदस्य देश (सम्मेलन की मेजबानी करने वाला) बारी-बारी से मीटिंग्स का संचालन करता है।
- **सर्वसम्मति से निर्णय :** G-7 की प्रभावशीलता इसके सदस्यों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व से प्रेरित होती है, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति से प्राप्त समर्थन से विश्व-स्तर पर प्रभाव पैदा कर सकती है।
- **सीमित कानूनी शक्ति :** G-7 सीधे कोई कानून प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु इसके प्रस्तावों और समन्वित क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, और यह विश्व-स्तरीय मुद्दों पर प्रमुख पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारत - मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना :

- सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह परियोजना PGII का हिस्सा है।
- प्रस्तावित IMEC में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे, अर्थात् पूर्वी गलियारा (East Corridor): यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा (Northern Corridor): यह खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ता है।
- IMEC गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे।
- भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्राँस और जर्मनी IMEC के हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं।

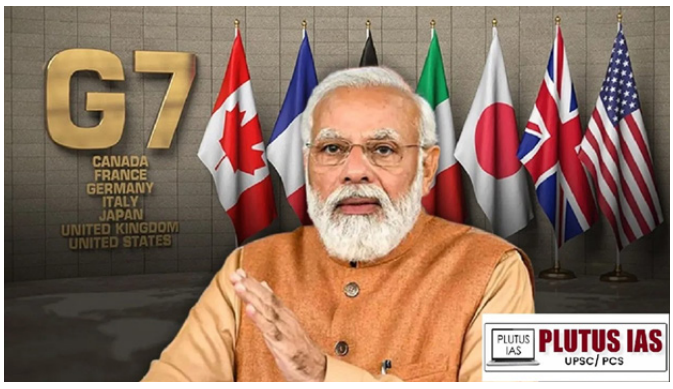
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अफ्रीका और एशिया में कई महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन :

G7 समूह ने अफ्रीका और एशिया में कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन किया है, जिनमें शामिल हैं -

- **लोबिटो कॉरिडोर :** यह कॉरिडोर अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और ज़ाम्बिया तक फैला हुआ है।
- **लूज़ोन कॉरिडोर :** यह कॉरिडोर फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप लूज़ोन पर स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्र है। लूज़ोन फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।
- **मिडल कॉरिडोर :** इसे ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (TITR) के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स/रसद और प्रमुख परिवहन संपर्क मार्ग प्रदान करता है।
- **ग्रेट ग्रीन वॉल :** यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव-विविधता में सुधार, और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व तक वृक्षों की एक श्रृंखला को विकसित करना है।
- G-7 समूह देशों के नेताओं ने AI गवर्नेंस के क्षेत्र में अधिक समन्वय और सामंजस्य बनाने के प्रति संकल्पित हैं, जिससे अधिक सुनिश्चितता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसका मकसद जोखिमों का प्रबंधन ऐसे करना है जो नवाचार को प्रोत्साहन दे और साथ ही स्वस्थ, समावेशी, और दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति को बल प्रदान करे।
- असाधारण राजस्व त्वरण (Extraordinary Revenue Acceleration- ERA) ऋण के माध्यम से, G-7 ने 2024 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन USD की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की सहमति प्रकट की है।

भारत की G7 में भूमिका :



भारत की G-7 में भूमिका इस प्रकार महत्वपूर्ण है -

- **आर्थिक महत्त्व :** 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था G-7 के कई सदस्यों से बड़ी है। IMF के अनुसार, यह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका युवा कार्यबल, मार्केट पोटेंशियल, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और बिजनेस-फ्रेंडली परिस्थितियाँ इसे निवेश के लिए प्रमुख स्थान बनाती हैं।
- **सामरिक महत्त्व :** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, भारत पश्चिमी देशों के लिए चीन के प्रसार को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ, खासकर हिंद महासागर में, G-7 समूह के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करती हैं।
- **ऊर्जा संक्रमण :** रूसी तेल को सस्ते में प्राप्त करके, पुन: परिष्कृत करके, और फिर यूरोप को सप्लाई करके, भारत ने यूक्रेन संकट के मद्देनजर प्रकोपित हुए ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिससे G-7 समूह के समक्ष उसका महत्वपूर्ण सहयोगी होना प्रमाणित होता है।

रूस - यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका में भारत :

- भारत की रूस और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत साझेदारी और निष्पक्ष दृष्टिकोण उसे यूक्रेन संकट में मध्यस्थ के तौर पर एक अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं।
- भारत, संवाद और कूटनीति के माध्यम से, संघर्ष का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

1973-74 का तेल संकट :

1973-74 का तेल संकट वह समय था जब तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई और आपूर्ति में कमी आई, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं।

कारण :

- योम किप्पुर युद्ध : सन 1973 में, मिस्र और सीरिया ने इज़रायल पर हमला किया। अमेरिका के इज़रायल को सहायता प्रदान करने पर, OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) ने तेल को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया।

OPEC की कार्रवाई :

- **तेल पर प्रतिबंध :** OPEC, मुख्यत: इसके अरब सदस्यों, ने इज़रायल का समर्थन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा दिए।
- **उत्पादन में कमी :** OPEC ने समग्र उत्पादन में कमी की, जिससे तेल की आपूर्ति में संकुचन हुआ था।

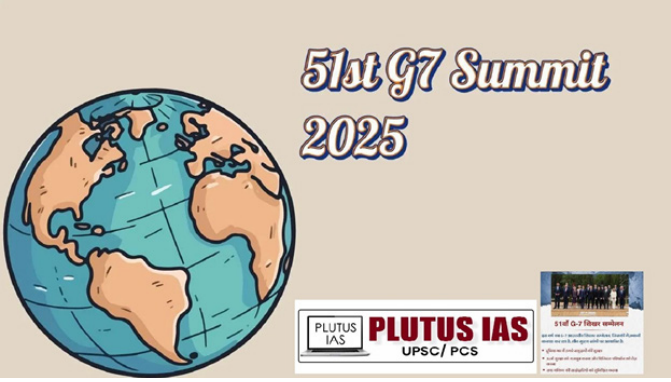
प्रभाव :

- **आपूर्ति में कमी :** प्रतिबंध और उत्पादन में कटौती के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कमी हो गई। कई देशों में गैस

स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गईं और राशनिंग आवश्यक हो गई।

- **मूल्य वृद्धि :** तेल की उपलब्धता कम होने से कीमतों में भारी वृद्धि (3 अमेरिकी डॉलर से 11 अमेरिकी डॉलर तक) हुई।
- **आर्थिक मंदी :** तेल की बढ़ती कीमतों का व्यापक असर हुआ था । परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गईं। इससे कई देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को झटका लगा है।

पश्चिम और चीन-रूस के बीच शक्ति संघर्ष को संतुलित करने में भारत के सामने चुनौतियाँ :



- **रक्षा निर्भरता :** 60% से अधिक सैन्य उपकरणों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और भारत को अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने हेतु विवश कर सकते हैं।
- **आर्थिक अंतर-निर्भरता :** अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने से भारत पर संभावित रूप से दबाव बढ़ सकता है। इन प्रतिस्पर्द्धी संस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।
- **भिन्न दृष्टिकोण :** रूस और चीन का सामना कैसे किया जाए इस बारे में पश्चिमी देशों के बीच व्याप्त मतभेद भारत के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। एक गुट के साथ बहुत अधिक निकटता से जुड़ना दूसरे गुट को अलग-थलग कर सकता है।
- **घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल :** पश्चिमी लोकतंत्रों में आंतरिक राजनीतिक विभाजन नीतिगत असंगतियों को जन्म दे सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक गणनाएँ और अधिक जटिल हो सकती हैं।
- **सीमा विवाद :** चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद, साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता :** इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारत को ऐसे मुद्दों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो संभवतः प्रत्यक्ष रूप से इसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल न हों।

निष्कर्ष :

- भारत की G7 में सहभागिता आर्थिक वृद्धि, वैश्विक राजनीति और सामरिक चुनौतियों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जो G7 समूह में भारत का योगदान आर्थिक विकास, वैश्विक नीति, और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति और यूरोपीय ऊर्जा संकट में सक्रिय भूमिका के माध्यम से, संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में भारत का प्रभाव G7 समिट में काफी निर्णायक सिद्ध हो सकता है।
- दुनिया के बदलते परिदृश्य में, G7 के साथ मिलकर भारत का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई दिशा को प्रभावित करेगा।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के साथ, G7 के साथ भारत का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति के निर्माण में केंद्रीय होगा।



स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस शिखर सम्मेलन का आयोजन तीन - तीन साल के अंतराल पर होता है।
2. इसके प्रत्येक सदस्य देश , बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।
3. भारत G7 शिखर सम्मेलनों में मेहमान के रूप में सम्मिलित हुआ है।
4. सन 1998 में रूस के सम्मिलित होने पर G-7 को 'G-8' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 3

D. केवल 2 और 4

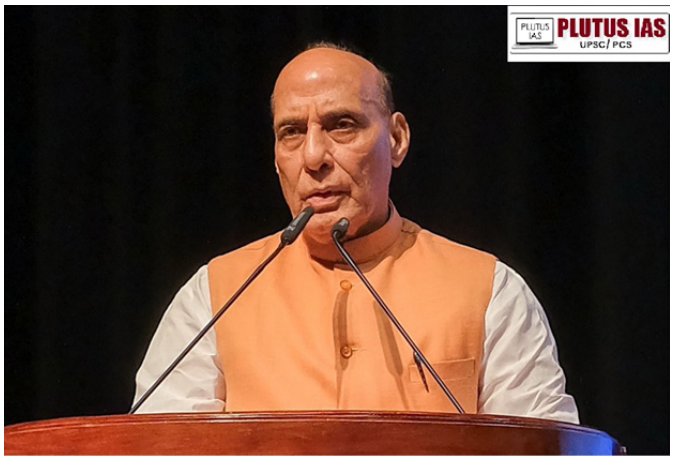
उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. G7 समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं? इन क्षेत्रों में भारत की भागीदारी का क्या महत्त्व है, और G7 समूह के साथ सहयोग के संदर्भ में भारत के समक्ष कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

एससीओ में भारत : शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की एक सुनियोजित कोशिश

खबरों में क्यों ?



- भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25-26 जून, 2025 को चीन के क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 2020 के सीमा गतिरोध के बाद से चीन की पहली उच्च स्तरीय भारतीय मंत्रिस्तरीय यात्रा है।
- यह यात्रा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। सम्मेलन के दौरान, सिंह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयासों का आह्वान करेंगे।
- उनकी उपस्थिति SCO ढांचे के भीतर बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है?

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित प्रमुख यूरेशियाई शक्तियाँ शामिल हैं।
- भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय संपर्क और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह भारत के लिए मध्य एशिया के साथ जुड़ने और क्षेत्रीय प्रभावों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

एससीओ में भारत का मुख्य संदेश :

1. **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान:** भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी क्षेत्रीय पहलों में सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाना चाहिए।
2. **आतंकवाद का दृढ़ विरोध:** भारत ने सीमापार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई।
3. **बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत ने एससीओ ढांचे के भीतर एक सहयोगी, समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत की।
4. **पारस्परिक सम्मान और समानता को बढ़ावा देना:** आपसी समझ, समानता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के आधार पर निर्णय लेने का आह्वान किया गया।
5. **क्षेत्रीय शांति के लिए रचनात्मक भागीदारी:** भारत ने दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद, विश्वास निर्माण और सहयोग के महत्व पर बल दिया।

एससीओ बैठक में भारत के प्रमुख उद्देश्य :

1. **आतंकवाद विरोधी सहयोग:** भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति की वकालत करता है, एससीओ-आरएटीएस के माध्यम से मजबूत समन्वय पर जोर देता है, तथा आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ को लक्षित करता है।
2. **संप्रभुता आधारित कनेक्टिविटी:** चीन की BRI का विरोध करते हुए चाबहार और INSTC जैसी पारदर्शी परियोजनाओं का सम-

थन किया गया; व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का आह्वान किया गया।

3. **ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा:** तेल, गैस, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि में सहयोग की मांग, तथा जी-20 पहलों के अनुरूप मोटे अनाजों को बढ़ावा देना।

4. **सांस्कृतिक एवं जन संपर्क:** एससीओ फिल्म महोत्सव और मिलेट फूड महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और युवा सहभागिता को बढ़ावा देता है।

5. **संतुलित बहुपक्षवाद:** लोकतांत्रिक निर्णय लेने और समान भागीदारी का आह्वान, किसी भी एक सदस्य राज्य के प्रभुत्व का विरोध।

6. **जलवायु कार्रवाई:** एससीओ ढांचे के अंतर्गत LiFE, ISA, तथा स्वच्छ ऊर्जा सहयोग जैसी हरित पहलों को बढ़ावा देना।

7. **चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक संकेत:** आतंकवाद, पीओके और सीपीईसी पर चिंताओं को कूटनीतिक रूप से व्यक्त करने के लिए एससीओ का उपयोग करना तथा साथ ही साथ सहभागिता बनाए रखना।

8. **डिजिटल और तकनीकी सहयोग:** इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल उपकरण प्रदान करता है, और एआई, फिनटेक और साइबर सुरक्षा में संयुक्त कार्य को बढ़ावा देता है।

9. **मध्य एशिया और यूरेशियन आउटरीच:** एससीओ को ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास पर मध्य एशिया के साथ गहरे संबंधों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।

एससीओ में भारत का मुख्य संदेश :

1. **आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता:** भारत ने आतंकवाद, विशेषकर सीमापार खतरों, कट्टरपंथ और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ एकजुट और लगातार कार्रवाई का आह्वान किया।

2. **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान:** भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संपर्क और सहयोग में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।

3. **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत ने आरएटीएस सहित एससीओ की सुरक्षा संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका की पुष्टि की।

4. **संतुलित बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना:** भारत ने एससीओ के भीतर लोकतांत्रिक, समावेशी निर्णय लेने की वकालत की तथा व्यक्तिगत देशों के किसी भी प्रकार के वर्चस्व का विरोध किया।

5. **शांतिपूर्ण वार्ता और कूटनीति:** भारत ने इस मंच का उपयोग चीन और पाकिस्तान सहित सभी सदस्यों के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने के लिए किया, तथा अपने राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ता से जोर दिया।

6. **आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना:** भारत ने पारदर्शी व्यापार, ऊर्जा सहयोग और खाद्य सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित किया तथा आईएनएसटीसी और बाजरा कूटनीति जैसी पहलों को बढ़ावा दिया।

7. **हरित विकास और तकनीकी सहयोग:** भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई (LiFE और ISA के माध्यम से) तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर संयुक्त प्रयास करने का आग्रह किया।

एससीओ में भारत की यात्रा का महत्व :

1. **2020 के गतिरोध के बाद चीन की पहली उच्च स्तरीय यात्रा:** लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद किसी भारतीय केंद्रीय मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है, जो सतर्क कूटनीतिक पुनः संपर्क का संकेत है।

2. **आतंकवाद का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए मंच:** भारत के मजबूत आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत करता है और एससीओ तंत्र के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर जोर देता है।

3. **संप्रभुता और रणनीतिक चिंताएं:** भारत ने इस मंच का उपयोग संप्रभुता पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया तथा सीपीईसी जैसी परियोजनाओं का विरोध किया, जो इसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं।

4. **बहुपक्षीय प्रतिबद्धता की पुनः** पुष्टि:एससीओ ढांचे के भीतर बहुपक्षवाद, क्षेत्रीय सहयोग और न्यायसंगत भागीदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

5. **क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव:** चीन और रूस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक वार्ता को सुविधाजनक बनाया, क्षेत्र में रक्षा और कूटनीतिक समन्वय को बढ़ाया।

6. **यूरेशियन आउटरीच का विस्तार करने का अवसर:** ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और मादक पदार्थ निरोधक सहयोग के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करता है।

7. **भारत के वैश्विक विजन को प्रदर्शित करने के लिए मंच:** भारत को वैश्विक शांति, सुरक्षा, सतत विकास और डिजिटल सहयोग के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति :

क्र.सं.	पहलू	स्पष्टीकरण
1	द्विपक्षीय बैठकों की योजना बनाई गई	भारत ने चीन और रूस सहित प्रमुख समकक्षों के साथ वार्ता निर्धारित की है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2	मेजबान चीन के साथ सहभागिता	2020 के एलएसी गतिरोध के बाद पहली भारतीय मंत्रिस्तरीय चीन यात्रा, पुनः संपर्क का संकेत।
3	भारत-रूस संबंधों को मजबूत करना	द्विपक्षीय रक्षा वार्ता ने पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।
4	एनएसए अजीत डोभाल की समानांतर कूटनीति	डोभाल की एससीओ यात्रा ने भारत की बहु-चैनल कूटनीतिक पहुंच को मजबूत किया।
5	सामरिक वार्ता के साधन के रूप में रक्षा कूटनीति	रक्षा बैठकें द्विपक्षीय रूपरेखा के बिना बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
6	मुद्दा-आधारित समन्वय के लिए बहुपक्षीय मंच	एससीओ भारत को बहुपक्षीय मंच पर आतंकवाद जैसी क्षेत्रीय चिंताओं को उठाने की अनुमति देता है।
7	रणनीतिक सावधानी के साथ सहभागिता को संतुलित करना	भारत एससीओ और पश्चिमी गठबंधनों दोनों के साथ जुड़ते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है।
8	वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाना	द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति शांति, स्थिरता और संघर्ष समाधान का समर्थन करती है।

भारत के लिए एससीओ की भूमिका और प्रासंगिकता :

1. **मध्य एशिया का प्रवेश द्वार:** एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों तक संस्थागत पहुंच प्रदान करता है, जिससे संपर्क, व्यापार और रणनीतिक भागीदारी बढ़ती है।

2. **आतंकवाद विरोधी सहयोग:** एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (आरएटीएस) के माध्यम से भारत आतंकवाद, विशेषकर सीमा-पार खतरों के विरुद्ध मजबूत संयुक्त कार्रवाई पर जोर देता है।

3. **चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करना:** भारत अपनी उपस्थिति को पुष्ट करने तथा यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एससीओ की सदस्यता का उपयोग करता है।

4. **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** एससीओ सुरक्षा, सीमा मुद्दों और साइबर अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

5. **बहुपक्षवाद और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए समर्थन:** एससीओ भारत के बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप है और उसे स्वतंत्र विदेश नीति विकल्प चुनने में मदद करता है।

6. **ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी साझेदारी:** भारत क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एससीओ के भीतर चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देता है।

7. **लोगों से लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत सांस्कृतिक संबंधों, शैक्षिक आदान-प्रदान और त्योहारों एवं विरासत संवर्धन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ का लाभ उठाता है।

8. **प्रतिद्वंद्वियों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव:** एससीओ भारत को प्रत्यक्ष द्विपक्षीय तंत्र के बिना प्रमुख मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए एक तटस्थ मंच प्रदान करता है।

भारत की व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति :

1. **'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ तालमेल:** एससीओ में भारत की भागीदारी रणनीतिक पहुंच के माध्यम से दक्षिण एशिया को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़कर इसकी एक्ट ईस्ट नीति का पूरक है।

2. **'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के साथ एकीकरण:** एससीओ इस क्षेत्रीय नीति ढांचे के तहत ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करता है।

3. **सामरिक स्वायत्तता की खोज:** भारत राष्ट्रीय हित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति को कायम रखते हुए पूर्वी और पश्चिमी दोनों ब्लॉकों के साथ संबंध रखता है।

4. **मुद्दा आधारित वैश्विक संरेखण:** भारत आतंकवाद-निरोध, जलवायु परिवर्तन या प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट मुद्दों पर चुनिंदा वैश्विक शक्तियों (जैसे अमेरिका या रूस) के साथ गठबंधन करता है।

5. **बहुपक्षीय मंचों में भूमिका का विस्तार:** एससीओ के माध्यम से भारत जी-20, ब्रिक्स, क्वाड और यूएनएससी मंचों के साथ-साथ बहुपक्षवाद में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करता है।

6. **चीन के यूरेशियाई प्रभुत्व को संतुलित करना:** भारत की सक्रिय भागीदारी चीन की एकतरफा पहल (जैसे, बी.आर.आई.) का मुकाबला करती है, तथा अधिक समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है।

7. **नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना:** भारत निरंतर संप्रभुता, पारदर्शिता और अहस्तक्षेप की वकालत करता है - ये सिद्धांत स्थिर क्षेत्रीय शासन के लिए आवश्यक हैं।

8. **क्षेत्रीय शांति और संपर्क पहल:** भारत शांति, संपर्क (जैसे, आईएनएसटीसी, चाबहार) और विकास को बढ़ावा देने के लिए एससीओ का उपयोग करता है, जिससे व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

चुनौतियाँ और सीमाएँ :

1. **भारत-चीन सीमा तनाव:** वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी गतिरोध एससीओ के भीतर विश्वास को प्रभावित करता है और रणनीतिक सहयोग को सीमित करता है।
2. **एससीओ में पाकिस्तान की उपस्थिति:** पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव, विशेष रूप से आतंकवाद और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने को जटिल बनाता है।
3. **आतंकवाद की भिन्न परिभाषाएँ:** एससीओ सदस्य इस बात पर भिन्न-भिन्न हैं कि आतंकवाद क्या है, जिससे संयुक्त आतंकवाद-रोधी प्रयास प्रभावित होते हैं - भारत चयनात्मक दृष्टिकोण का विरोध करता है।
4. **एससीओ एजेंडे में चीन का प्रभुत्व:** चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत अक्सर एससीओ की प्राथमिकताओं को आकार देती है, तथा भारत की चिंताओं को दरकिनार कर देती है (उदाहरण के लिए, सीपीईसी का पीओके से होकर गुजरना)।
5. **कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सीमित प्रभाव:** भारत बी.आर. आई. का विरोध करता है, जबकि अधिकांश एस.सी.ओ. सदस्य इसका समर्थन करते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय अवसंरचना पहलों पर टकराव पैदा हो रहा है।
6. **बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र का अभाव:** एससीओ के निर्णय गैर-बाध्यकारी हैं, जिससे सुरक्षा या आतंकवाद पर संयुक्त घोषणाओं और प्रस्तावों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
7. **वैचारिक और रणनीतिक मतभेद:** एससीओ में लोकतंत्र (भारत) और सत्तावादी राज्य (चीन, रूस, मध्य एशियाई गणराज्य) शामिल हैं, जो सामंजस्य और एकता को प्रभावित करते हैं।
8. **भाषा और प्रक्रियागत बाधाएँ:** कामकाजी भाषा चीनी और रूसी होने के कारण, भारत के प्रस्तावों को औपचारिक वार्ता में संचार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष :

- एससीओ में भारत की भागीदारी कूटनीति के प्रति परिपक्व और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अंतर्निहित तनावों के बावजूद, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ, भारत रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखता है, अपने रणनीतिक हितों को मुखर करने और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत करने के लिए मंच का लाभ उठाता है। एससीओ भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ संवाद, आतंकवाद विरोधी समन्वय और क्षेत्रीय संपर्क के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 2001 में एससीओ का संस्थापक सदस्य बना।
2. क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) एससीओ के तहत एक पहल है।
3. एससीओ की आधिकारिक कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और रूसी हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (b)





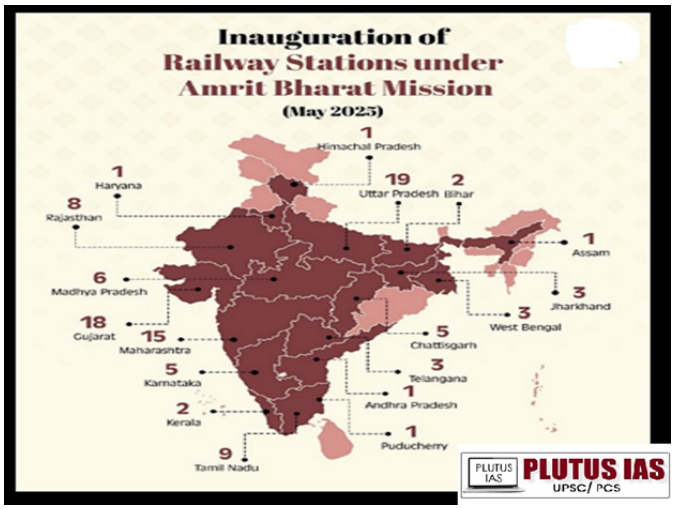
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. क्षेत्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय कूटनीति और भारत की व्यापक यूरेशियाई पहुंच के संदर्भ में चीन में 2025 में होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की भागीदारी के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। एससीओ ढांचे के भीतर भारत के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

अमृत भारत स्टेशन योजना : भारतीय रेल अवसंरचना का एक नया युग

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही बीकानेर (राजस्थान) से "अमृत भारत स्टेशन योजना" के अंतर्गत 18 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित संस्करणों का लोकार्पण करेंगे।
- यह पहल भारतीय रेलवे के बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य पुराने रेलवे स्टेशनों को न केवल आधुनिक और यात्री-सुलभ बनाना है, बल्कि उन्हें आकर्षक सार्वजनिक स्थलों के रूप में भी विकसित करना है।
- इन स्टेशनों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीक, बेहतर यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, सुगम पहुँच और स्थानीय परिवेश के साथ तालमेल जैसी विशेषताएँ जोड़ी जाएँगी।
- यह योजना/ कार्यक्रम न केवल यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्घाटन के माध्यम से सरकार की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता और यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मंशा स्पष्ट होती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना की परिकल्पना और संकल्प :

परिकल्पना :

- अमृत भारत स्टेशन योजना एक दीर्घकालिक, दूरदर्शी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध रूप से कायाकल्प करना है। यह पहल स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्टेशन को एक समग्र, आधुनिक और सुलभ परिवहन केंद्र में बदलने की दिशा में कार्य करती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रमुख आयाम :

1. **आधुनिक संरचना एवं सुविधाएँ को विकसित करना :** स्टेशन परिसरों को छतों पर प्लाज़ा, सुंदर प्रवेश द्वार, भोजनालय, नए सिरे से विकसित प्लेटफार्म और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
2. **यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएँ प्रदान करना :** यात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क वाई-फाई, डिजिटल संकेतक, प्रतीक्षालय और आधुनिक टिकटिंग सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी।
3. **सभी के लिए समावेशी पहुँच को सुनिश्चित करना :** सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रैम्प, ब्रेल संकेत, कम ऊँचाई वाले टिकट काउंटर, लिफ्ट और टैक्टाइल पथ जैसी सुविधाएँ जोड़ी जाएँगी।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **स्थानीय संस्कृति और स्थापत्य की झलक को दिखाने का प्रयास करना :** प्रत्येक स्टेशन का डिज़ाइन उस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से प्रेरित होगा, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर या चोल राजवंश की वास्तुकला।

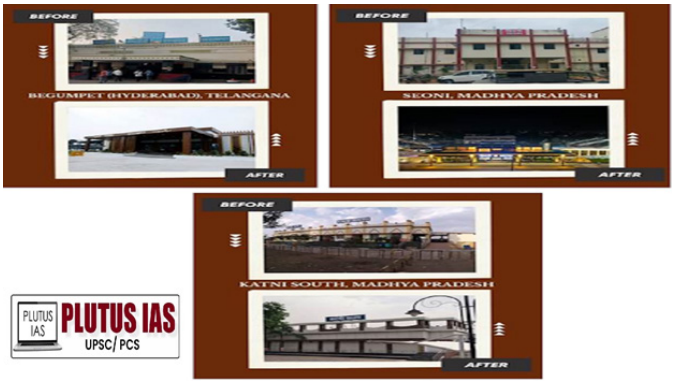
5. **"एक स्टेशन, एक उत्पाद" पहल को प्रोत्साहित करना :** स्टेशन परिसर में विशेष कियोस्क के माध्यम से स्थानीय शिल्प, हथकरघा व पारंपरिक खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित कर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. **हरित एवं टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करना :** इस योजना से पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ऊर्जा दक्षता, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, हरियाली, और टिकाऊ निर्माण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

7. **बेहतर शहरी जुड़ाव और पैदल यात्री पथ जैसी सुविधाओं को भी उन्नत करना :** इस योजना के तहत प्रत्येक स्टेशनों को शहर की प्रमुख सड़कें, मेट्रो और बस नेटवर्क से बेहतर रूप में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, रोशनी, पार्किंग और पैदल यात्री पथ जैसी सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा।

8. **स्टेशन को एक सक्रिय शहरी स्थल के रूप में विकसित करना :** इस योजना के तहत ये पुनर्निर्मित स्टेशन न केवल यात्रा के केंद्र बनेंगे, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी एक सक्रिय शहरी स्थल के रूप में विकसित किए जाएँगे।

अमृत भारत स्टेशन योजना : विकास की यात्रा :



1. **वैचारिक आधार या प्रारंभिक विचार (2021) :** रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की सोच की नींव गांधीनगर कैपिटल स्टेशन से रखी गई, जो आधुनिक सुविधाओं और एक पांच सितारा होटल के साथ देश का पहला पुनर्विकसित स्टेशन बना है। यह एक नए युग की शुरुआत थी।

2. **आदर्श मॉडल के रूप में रानी कमलापति स्टेशन :** पूर्व में हबीबगंज कहलाने वाला यह स्टेशन आधुनिकता का प्रतीक बना। हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं और यात्री-केंद्रित डिजाइन के साथ, यह भविष्य के रेलवे स्टेशन विकास का मानक बन गया है।

3. **अमृत भारत योजना की शुरुआत :** भारत के रेलवे मंत्रालय ने 1,309 स्टेशनों को चरणबद्ध रूप से पुनर्विकसित करने की योजना के रूप में इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया। इसमें प्रत्येक स्टेशन की स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है।

4. **प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाना और तालमेल बिठाना :** इस योजना को सुगम्य भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख राष्ट्रीय अभियानों से जोड़ा गया है, जिससे स्टेशन केवल आधुनिक नहीं, बल्कि समावेशी और स्वच्छ भी बनें।

5. **एक स्टेशन - एक उत्पाद जैसे स्थानीय उत्पादों को मंच – OSOP (One Station One Product) प्रदान करना :** इस योजना के तहत हर स्टेशन पर स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु समर्पित कियोस्क की व्यवस्था की गई, जिससे रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिली है।

6. **सांस्कृतिक स्थापत्य का समावेश किया जाना :** इस योजना के तहत हर स्टेशनों की डिज़ाइन में क्षेत्रीय धरोहर और स्थापत्य शैलियों का समावेश किया गया है, जिससे हर स्टेशन अपनी भूमि की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिबिंब बन सके।

7. **सतत एवं टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देना और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करना :** इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग, ध्वनि-नियंत्रण उपाय, हरित निर्माण सामग्री और ऊर्जा दक्षता के उपायों का समावेश करके इस योजना में टिकाऊ विकास को प्राथमिकता दी गई है ।

8. **स्टेशन को बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना :** इस योजना के तहत स्टेशन अब केवल पारगमन बिंदु नहीं, बल्कि बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन स्थानों को वाणिज्यिक गतिविधियों, सामुदायिक उपयोग और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है।

निष्कर्ष :

- अमृत भारत स्टेशन योजना महज एक अवसंरचनात्मक परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत के शहरों और सार्वजनिक जीवन को पुनर्परिभाषित करने की एक दूरदर्शी पहल है। यह रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ, सुलभ, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत केंद्रों में रूपांतरित कर रही है।

- यह योजना भारत के शहरी परिदृश्य को स्मार्ट, समावेशी और टिकाऊ स्वरूप देने का माध्यम बन रही है। आज, ये स्टेशन केवल यात्रा के पड़ाव भर नहीं हैं, बल्कि ये एक नए एवं विकसित नवभारत के आत्मविश्वास, प्रगति और संभावनाओं के प्रवेश द्वार बन चुके हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से भारत भर में 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।

2. इस योजना में 'एक जिला एक उत्पाद' पहल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।

3. इस योजना के अंतर्गत स्टेशनों का डिज़ाइन स्थानीय कला, संस्कृति और वास्तुकला से प्रेरित है।

4. इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यात्री अनुभव और शहरी संपर्क बढ़ाने में इस योजना की प्रमुख विशेषताओं, उद्देश्यों और व्यापक निहितार्थों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

RoDTEP का पुनरुद्धार : भारत के निर्यात - आधारित भविष्य की नई उड़ान

खबरों में क्यों?

- **हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) को RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट) योजना का लाभ पुनः प्रदान करने की घोषणा की है।**



- **भारत सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय 5 फरवरी, 2024 को योजना की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुई अनिश्चितता को दूर करता है। इससे भारत के प्रमुख निर्यातकों को कर-तटस्थता का लाभ मिलेगा और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी।**
- **इस योजना के अंतर्गत वे शुल्क और कर वापस लिए जाते हैं जो अन्य किसी योजना में शामिल नहीं होते हैं।**
- **देश के निर्यात संवर्धन संगठनों ने इस योजना की पुनर्बहाली के लिए जोरदार मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह कदम उठाया गया है।**

RoDTEP क्या है?

- भारत सरकार द्वारा RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना 1 जनवरी, 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन करों, शुल्कों और लेवी की प्रतिपूर्ति करना है, जो निर्यातकों को अन्य मौजूदा योजनाओं के तहत वापस नहीं मिलते थे। यह योजना MEIS (भारत से व्यापारिक निर्यात योजना) के स्थान पर लाई गई थी, क्योंकि MEIS को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के साथ असंगत पाया गया था।

RoDTEP के प्रमुख उद्देश्य :

1. **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना :** यह योजना निर्यातकों को उन अप्रतिपूर्ति योग्य शुल्कों और करों (जैसे बिजली शुल्क, ईंधन कर, मंडी कर) की भरपाई करती है, जिससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजारों में लागत कम होती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

2. **विश्व व्यापार संगठन का अनुपालन :** MEIS के विपरीत, RoDTEP को WTO के अनुरूप बनाया गया है. यह सुनिश्चित करता है कि भारत की निर्यात सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके।

3. **'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देना :** निर्यातकों पर लागत के बोझ को कम करके, यह योजना घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देती है।

4. **निर्बाध प्रतिपूर्ति :** यह योजना डिजिटल और स्वचालित है, जो ICEGATE (भारतीय सीमा शुल्क पोर्टल) पर क्रेडिट लेजर के माध्यम से कुशल, पारदर्शी और शीघ्र रिफंड सुनिश्चित करती है।

5. **व्यापक निर्यात क्षेत्रों को समर्थन देना :** RoDTEP में विभिन्न क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन वाले क्षेत्रों को भी वित्तीय सहायता मिले।

6. **विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होना :** निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर, यह योजना वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करती है।

7. **निर्यात बास्केट का विविधीकरण :** लागत के दबाव को कम करके, यह योजना निर्यातकों को नए बाजारों और उत्पादों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे पारंपरिक वस्तुओं से परे भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता आती है।

8. **रोजगार-प्रधान क्षेत्रों को समर्थन देना :** RoDTEP विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, कृषि और हस्तशिल्प को लाभ पहुंचाता है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण व अर्ध-शहरी आजीविका को समर्थन मिलता है।

RoDTEP की प्रमुख विशेषताएं :

1. **RoDTEP का प्राथमिक लक्ष्य और इसका मुख्य उद्देश्य :** RoDTEP का प्राथमिक लक्ष्य उन अंतर्निहित करों, शुल्कों और लेवी की प्रतिपूर्ति करना है, जिन्हें किसी अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत वापस नहीं किया जाता है, जिससे निर्यातित वस्तुओं पर कर तटस्थता सुनिश्चित होती है।

2. **सभी अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों को शामिल किया जाना :** इसमें राज्य वैट, मंडी कर, कोयला उपकर, बिजली शुल्क और परिवहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे छिपे हुए करों और शुल्कों को शामिल किया गया है, जिन पर पहले छूट नहीं दी जाती थी।

3. **WTO के अनुरूप होना :** यह योजना WTO के अनुरूप है और MEIS जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं का स्थान लेती है, जिन्हें निर्यात सब्सिडी होने के कारण WTO में चुनौती दी गई थी।

4. **पात्रता :** यह सभी निर्यात क्षेत्रों पर लागू होता है. शुरुआत में एए धारकों, ईओयू और एसईजेड को छोड़कर, अब उन्हें भी 2025 तक इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे यह अधिक समावेशी और व्यापक हो गया है।

5. **डिजिटल प्रसंस्करण :** यह छूट सीमा शुल्क से जुड़े एक स्वचालित, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्स के रूप में जारी की जाती है, जिससे पारदर्शिता और उपयोग में आसानी सुनिश्चित होती है।

6. **दोहरे लाभ का निषेध :** यदि निर्यातकों ने अग्रिम प्राधिकरण (पुनर्स्थापना से पूर्व), समान करों के लिए शुल्क वापसी, या ईओयू/एसईजेड लाभ जैसी कुछ अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है, तो वे RoDTEP का दावा नहीं कर सकते, जिससे दोहरे दावों से बचा जा सके।

7. **उत्पाद के अनुसार गतिशील दरों का होना :** RoDTEP दरें उत्पाद/HS कोड के अनुसार अलग-अलग होती हैं, तथा उद्योग हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर एक समर्पित RoDTEP समिति द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

8. **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए समर्थन :** निर्यात मूल्य श्रृंखला में छिपी लागतों को बेअसर करके, RoDTEP भारतीय निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, जिससे आउटबाउंड व्यापार को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य को समर्थन मिलता है।

RoDTEP का रणनीतिक महत्व :

1. **निर्यात लागत में कमी लाना :** यह योजना निर्यातित उत्पादों पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों (जैसे केंद्रीय और राज्य कर, लेवी) को वापस कर देती है, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

2. **कर तटस्थता या निर्यात पर कर भार से मुक्ति :** यह योजना निर्यात को पूरी तरह अप्रत्यक्ष करों से मुक्त रखने के सिद्धांत को लागू करती है, जिससे कर तटस्थता सुनिश्चित होती है।

3. **अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप ढांचा :** इस योजना ने पिछली MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) योजना का स्थान लिया है। RODTEP विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के पूरी तरह से अनुरूप है, जो व्यापार विवादों और संभावित प्रतिबंधों के जोखिम को कम करता है।

4. **MSME और लघु निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहन :** कम मार्जिन वाले क्षेत्र जैसे कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आदि को RoDTEP से राहत मिलती है, जिससे उन्हें वैश्विक व्यापार में प्रभावी भागीदारी करने का अवसर मिलता है।

5. **व्यापक लाभार्थी आधार :** हाल में AA, EOUs (Export Oriented Units) और SEZ (Special Economic Zone) इकाइयों को भी शामिल किए जाने के बाद, यह योजना अब लगभग सभी निर्यातकों को लाभ पहुंचा रही है, जिससे इसकी पहुंच और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

6. **पारदर्शिता और दक्षता :** यह योजना पूरी तरह से स्वचालित आईटी प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिससे छूट दावों का तेज़ और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित होता है। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और प्रक्रिया अधिक कुशल बनती है।

7. **'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को समर्थन देना :** भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर, RODTEP 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों को मजबूत करता है, जिससे घरेलू विनिर्माण और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

8. **औपचारिक व्यापार को बढ़ावा :** RoDTEP के तहत अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल प्रक्रियाएं व्यापार को अधिक औपचारिक और संगठित रूप में ढालने में मदद करती हैं।

भारतीय निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **उच्च लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की कमी होना :** खराब बुनियादी ढाँचा, भीड़भाड़ वाले बंदरगाह और ऊँची आंतरिक परिवहन लागत भारतीय निर्यात की लागत को बढ़ाती है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

2. **सीमित निर्यात विविधता का होना :** भारत का निर्यात कुछ ही क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, रत्न एवं आभूषण और वस्त्र तक सीमित है। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी-केंद्रित क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति बहुत ही कम और सीमित है।

3. **जटिल नियामक ढाँचा का होना :** निर्यातकों को अक्सर विभिन्न विभागों से कई प्रकार की स्वीकृतियों, दस्तावेज़ों और असंगत नियमों का सामना करना पड़ता है, जिससे देरी होती है और अनुपालन लागत बढ़ती है।

4. **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की सीमित पहुंच :** आसियान देशों जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत के पास कम मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) हैं, जिससे तरजीही बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

5. **मुद्रा अस्थिरता से असुरक्षा और अस्थिर विनिमय दरों का होना :** विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए जोखिमपूर्ण होता है, जिनके पास हेजिंग साधन नहीं होते हैं।

6. **ऋण और वित्तीय संसाधनों की कमी का होना :** छोटे निर्यातकों के लिए सुलभ और सस्ता वित्त उपलब्ध नहीं है, जिससे उनका वैश्विक विस्तार और तकनीकी उन्नयन बाधित होता है।

7. **विदेशी बाज़ारों में गैर-टैरिफ बाधाओं का होना :** भारतीय निर्यातकों को अक्सर विकसित बाज़ारों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिससे बाज़ार तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।

8. **अनुसंधान एवं नवाचार की कमी का होना :** भारतीय निर्यातकों का ध्यान अब भी मूल्य संवर्धन, डिजाइन और ब्रांडिंग के बजाय मूल वस्त्रों और कच्चे माल पर केंद्रित है। फलतः मूल्य संवर्धन, नवाचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कम मूल्य वाली वस्तुओं और उत्पादों पर निर्भरता बढ़ रही है।

9. **वैश्विक अनिश्चितताएँ और भू-राजनीतिक तनाव का होना :** निर्यातक वैश्विक आर्थिक मंदी, व्यापार युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान (जैसे COVID-19, लाल सागर संकट) जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हैं। कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष, लाल सागर संकट जैसे बाहरी झटकों से भारतीय आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात गहरे प्रभावित हुए हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करना :** निर्यात से जुड़ी लागत और समय को कम करने के लिए, पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से बंदरगाहों, सड़कों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार करना महत्वपूर्ण है।

2. **नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटलीकरण करना :** नियामक बाधाओं को कम करने के लिए, सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से डिजिटल और सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है। यह निर्यातकों के लिए व्यापार को आसान बनाएगा।

3. **निर्यात विविधता को बढ़ावा देना :** भारत को अपने निर्यात बास्केट में विविधता लानी चाहिए, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे पारंपरिक बाजारों से परे नए बाजारों में विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है।

4. **MSME और नवाचार आधारित इकाइयों को सशक्त बनाना :** छोटे निर्यातकों और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसमें निर्यात वित्त, प्रमाणन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन तक उनकी पहुंच में सुधार करना शामिल है।

5. **व्यापार समझौतों और कूटनीति को सशक्त बनाना :** भारत को प्रमुख साझेदारों के साथ संतुलित मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को अंतिम रूप देना चाहिए और बहुपक्षीय व्यापार मंचों में अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए।

6. **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देना :** उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में क्लस्टर विकास का समर्थन करना भी आवश्यक है।

7. **गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रणाली को वैश्विक बनाना :** वैश्विक गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप होने और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षण और प्रमाणन क्षमताओं को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

8. **ब्रांड इंडिया और डाटा-चालित रणनीति के विकास को बढ़ावा देना :** भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय अभियान शुरू किए जाने चाहिए। इसके साथ ही, बाजार की जानकारी और खरीदार के रुझानों को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है।

9. **पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना आवश्यक :** निर्यातकों में दीर्घकालिक विश्वास बनाए रखने के लिए RoDTEP, SEIS और DEH जैसी योजनाओं में नीतिगत स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) की प्रमुख विशेषताएं इसे एक प्रभावी और आधुनिक निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति को मजबूत करना है।
- एए धारकों, ईओयू (निर्यात-उन्मुख इकाइयों) और एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्रों) को RoDTEP लाभों की बहाली भारतीय निर्यात के लिए कर तटस्थता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की दिशा में एक समय पर और रणनीतिक कदम है।
- जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार की गतिशीलता विकसित होती है और संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, RoDTEP जैसी योजनाएँ छिपी हुई लागतों को कम करके और WTO मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाकर भारत के निर्यात की गति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, इन लाभों का सही मायने में दोहन करने के लिए, भारत को व्यापक व्यापार सुविधा सुधारों के साथ प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं को पूरक बनाना चाहिए। इसमें बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, एफटीए का विस्तार और एमएसएमई के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन शामिल है।
- एक मजबूत वैश्विक व्यापार उपस्थिति के साथ आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक स्थिर, पारदर्शी और सहायक निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। यह रोजगार सृजित करेगा, विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा और आर्थिक विकास में तेजी लाएगा।
- अतः एक स्थिर, नीति-संगत और संस्थागत रूप से समर्थ निर्यात परितंत्र ही आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक विजन को साकार कर सकता है, जो न केवल रोजगार और विदेशी मुद्रा का स्रोत बनेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी को निर्णायक रूप से बढ़ा भी सकेगा।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य किसी अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत वापस नहीं किए गए अंतर्निहित करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है।
2. यह योजना WTO के अनुरूप है और इसने MEIS योजना को प्रतिस्थापित किया है।
3. प्रारंभ में, इस योजना में अग्रिम प्राधिकरण धारक और SEZ इकाइयाँ शामिल थीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना भारत के निर्यात प्रोत्साहन ढांचे में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है? यह निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में किस प्रकार महत्वपूर्ण और सहायक है? चर्चा कीजिए कि भारतीय निर्यातकों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विकसित भारत @ 2047 : वैश्विक विमानन के क्षेत्र में भारत एक उभरता सितारा

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत ने चार दशकों के अंतराल के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की वार्षिक आम सभा / बैठक (AGM) की मेज़बानी की, जो देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।
- इस प्रतिष्ठित आयोजन में विश्व भर से 1,600 से अधिक विमानन विशेषज्ञ और नेता एकत्र हुए, जिससे यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक

विमानन जगत में भारत की भूमिका लगातार सशक्त होती जा रही है।

भारत की उड़ान अर्थव्यवस्था : एक गतिशील परिवहन परिदृश्य

1. **यात्री आवागमन और विकास दर :** वित्त वर्ष 2025 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 16.57 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो कि वार्षिक 7.8% वृद्धि को दर्शाता है। यह आँकड़ा ICRA द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस और मातृभूमि में प्रकाशित हुई। ICRA ने इस वर्ष 7-10% वृद्धि के साथ 164–170 मिलियन यात्रियों की भविष्यवाणी की है।

2. **बाजार की स्थिति और नीति दृष्टि :** इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार, IATA ग्लोबल एविएशन समिट 2025 में भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई परिवहन बाजार बताया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने 2047 तक 350 हवाई अड्डों के विकास की रूपरेखा साझा की है।

3. **विमान परिचालन और बेड़ा से संबंधित ऑर्डर प्रवृत्ति :** भारतीय एयरलाइनों द्वारा लगभग 1,900 नए विमानों का ऑर्डर दर्ज किया गया है। प्रमुख एयरलाइन कंपनियाँ साप्ताहिक विस्तार के साथ अपने बेड़े को मजबूत कर रही हैं। यह जानकारी ICRA और एल्टन एविएशन कंसल्टेंसी की संयुक्त रिपोर्ट में सामने आई है।

4. **हवाई अड्डा अवसंरचना का विकास और क्षमता विस्तार :** भारत 150 नए हवाई अड्डों की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक 350 हवाई अड्डे स्थापित करने का है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को नई ऊँचाई देता है। यह विवरण इकोनॉमिक टाइम्स और एल्टन एविएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है।

5. **परिचालन संबंधी बाधाएँ और वित्तीय दबाव संबंधी चुनौतियाँ :** फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मातृभूमि और एवरिम अगासी की रिपोर्टों में इंजन विश्वसनीयता, आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध तथा 2,000–3,000 करोड़ रुपये तक के अनुमानित घाटे जैसी वित्तीय चुनौतियाँ रेखांकित की गई हैं, जो ICRA द्वारा रिपोर्ट की गई हैं।

6. **भविष्य की दिशा और संभावनाएँ :** OAG द्वारा जारी विश्लेषण में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा क्षमता की ऐतिहासिक और अनुमानित वृद्धि को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट भारत के विस्तारित विमानन नेटवर्क में अवसरों को उजागर करती है।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) :

गुण	विवरण
पूरा नाम	अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ
संक्षिप्त नाम	आईएटीए (IATA)
स्थापना वर्ष	1945
मुख्यालय	मॉन्ट्रियल, कनाडा (जिनेवा, स्विट्जरलैंड में कार्यकारी कार्यालय)
सदस्यता	लगभग 350 एयरलाइन्स (2025 तक), जो वैश्विक हवाई यातायात का 80% से अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं
प्रकार	गैर-लाभकारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ
शासन	एक आम बैठक और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (कार्यकारी समिति) द्वारा शासित
नेतृत्व	महानिदेशक (वर्तमान में विली वॉल्श)
संगठनात्मक संरचना	गवर्नर्स बोर्ड, महानिदेशक, सलाहकार परिषद, क्षेत्रीय और विषय विशेषज्ञ
मुख्य उद्देश्य	- सुरक्षित, नियमित और किफायती हवाई परिवहन सुनिश्चित करना - उद्योग नीति और मानक विकसित करना - सहयोग को बढ़ावा देना और आर्थिक बर्बादी को रोकना - पर्यटन और प्रशिक्षण को समर्थन - आईसीएओ और अन्य निकायों के साथ सहयोग करना
प्रमुख गतिविधियाँ	- उद्योग नीति और मानक निर्धारण - सुरक्षा ऑडिटिंग (उदाहरण के लिए, आईओएसए) - वकालत - प्रशिक्षण और शिक्षा - वित्तीय और डेटा सेवाएँ - ट्रैवल एजेंटों और ऑपरेटरों के लिए सहायता

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वायु परिवहन का महत्व :

1. **आर्थिक योगदान का आधार स्तंभ :** भारतीय विमानन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 53.6 बिलियन डॉलर का योगदान देता है, जो GDP का 1.5% है। यह आंकड़ा इस क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता और देश की विकास यात्रा में इसके निर्णायक योगदान को रेखांकित करता है।

2. **व्यापक रोजगार अवसरों का सृजन करने में सहायक :** वायु परिवहन क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 77 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इसने न केवल शहरी केंद्रों में बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं।

3. **पर्यटन एवं व्यापार के लिए प्रेरक तत्व के रूप में होना :** पर्यटन और व्यापार को गति देने में विमानन की भूमिका अत्यंत मह-

त्वपूर्ण है। भारत का 6.5% GDP पर्यटन से आता है और इसमें 8.9% कुल रोजगार शामिल है। हवाई मार्ग से आने वाले विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष 29.4 बिलियन डॉलर का व्यय करते हैं, जिससे देशभर में होटल, परिवहन, हैंडीक्राफ्ट्स और अन्य सेवा उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

4. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायक :** सशक्त हवाई संपर्क भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को उन्नत करता है। यह विदेशी निवेश आकर्षित करने, व्यापार में सुगमता लाने और उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम बनता है। इसके माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ता है।

5. **विमानन उद्योग से संबद्ध उद्योगों के विकास में सहायक :** विमानन उद्योग ने विमान निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओव-रहालिंग (MRO) जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। भारत ने 2031 तक वैश्विक MRO बाजार में $4 बिलियन की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

देश में शहरी और क्षेत्रीय जुड़ाव में वायु परिवहन की भूमिका :

1. **तीव्र और विस्तृत कनेक्टिविटी :** भारत में हवाई परिवहन 100 से अधिक शहरों को जोड़ता है, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आई है और लोगों के लिए व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई हैं।

2. **क्षेत्रीय संतुलन और एकीकरण :** विमानन के जरिए मेट्रो शहरों और टियर-2/3 शहरों के बीच संपर्क को सुदृढ़ किया गया है। इससे क्षेत्रीय विकास को संतुलित दिशा मिली है और माल, मानव संसाधन एवं विचारों की आवाजाही को बल मिला है।

3. **पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण :** सरकारी योजनाओं, जैसे "उड़ान", के माध्यम से कम सेवायुक्त क्षेत्रों में हवाई संपर्क स्थापित किया गया है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन और नवीन रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

4. **अवसंरचना विस्तार के माध्यम से समेकन करने में सहायक :** केन्द्र सरकार का 2047 तक 350 से अधिक हवाई अड्डों का लक्ष्य वायु संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ एक विकसित और एकीकृत भारत की नींव भी रखता है।

एक गतिशील विमानन भविष्य के लिए सरकारी पहल :

1. **उड़ान (UDAN) योजना :** सन 2016 में शुरू हुई यह योजना कम सेवा वाले क्षेत्रों को सस्ती हवाई यात्रा से जोड़ने पर केंद्रित है। 2024 तक 625 मार्ग चालू हो चुके हैं, जिनमें 90 हवाई अड्डे, 2 जल हवाई अड्डे और 15 हेलीपोर्ट शामिल हैं, जिससे 1.49 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

2. **हवाई अड्डा विकास में निवेश :** सरकार ने ₹92,000 करोड़ (~US$11 बिलियन) निवेश करते हुए 50 नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना बनाई है। यह विस्तार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए 2047 तक कुल 350 हवाई अड्डों को चालू करने का आधार बनेगा।

3. **MRO (रखरखाव) क्षेत्र को सशक्त बनाना :** GST दर घटाकर 18% से 5% कर दी गई है, साथ ही 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। यह भारत को वैश्विक MRO केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

4. **टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) :** भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु SAF को बढ़ावा दे रहा है। बोइंग और HPCL जैसी साझेदारियों से SAF उत्पादन और उपयोग को सशक्त किया जा रहा है।

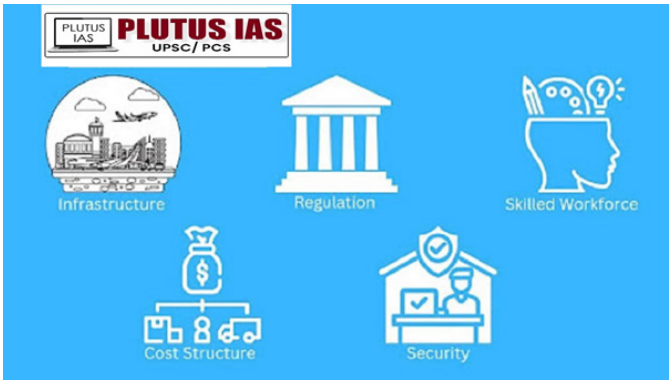
5. **एयर कार्गो नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण :** राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (2016) के तहत एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई, जो कार्गो संचालन को दक्ष और समयबद्ध बनाता है।

6. **GIFT सिटी में विमान पट्टे संबंधी सुधार :** GIFT सिटी में विमान पट्टे संबंधी सुधारों ने भारत को विमान लीजिंग के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया है, जिससे लागत घटाने और विदेशी निर्भरता कम करने में सहायता मिली है।

7. **डिजी यात्रा पहल :** चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित यह पहल यात्रियों को पेपरलेस और संपर्क रहित यात्रा अनुभव प्रदान करती है, जिससे सुविधा, सुरक्षा और समय की बचत होती है।

8. **लैंगिक समावेशन की दिशा में पहल :** सरकार ने 2025 तक विमानन क्षेत्र में महिलाओं की 25% भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम और लचीली कार्य नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :



1. **विमानन ईंधन पर लगने वाले बढ़ती परिचालन लागत का दबाव :** विमानन ईंधन पर लगने वाले भारी-भरकम करों और अन्य लागतों के चलते एयरलाइनों के लिए मुनाफा कमाना एक कठिन कार्य बनता जा रहा है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक टिकाऊ-पन प्रभावित हो रही है।

2. **जटिल और अस्थिर नियामकीय ढांचा :** कर नियमों में असंगति और बार-बार बदलती सरकारी नीतियाँ कंपनियों के लिए दीर्घ-कालिक वित्तीय योजना बनाना मुश्किल बना देती हैं।

3. **अपर्याप्त अवसंरचना :** हवाई यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मुकाबले, विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई अड्डों, रनवे और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली का विकास धीमा रहा है।

4. **आपूर्ति श्रृंखला में बाधा :** विमानों और उनके कलपुर्जों की समय पर आपूर्ति में रुकावटों के कारण कई एयरलाइनों को बेड़े के हिस्से को निष्क्रिय रखना पड़ता है, जिससे सेवा सुचारु नहीं रह पाती है।

5. **प्रतिस्पर्धा में असंतुलन होना :** कुछ गिनी-चुनी एयरलाइनों का बाजार पर नियंत्रण नवाचार और बेहतर सेवा के अवसरों को सीमित करता है, जिससे उपभोक्ता विकल्पों की विविधता कम होती है।

6. **कुशल एवं विशेषज्ञ मानव संसाधनों की कमी होना :** पायलटों, एयरोनॉटिकल इंजीनियरों और केबिन क्रू जैसे विशेषज्ञ कर्मियों की भारी मांग के मुकाबले आपूर्ति अपर्याप्त है, जिससे संचालन में रुकावटें आती हैं।

7. **प्रति व्यक्ति कम हवाई यात्रा दर :** देश की विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अब भी कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है।

8. **विमानन से संबंधित पुराने और अप्रासंगिक कानून :** देश में कई विमानन नियम दशकों पुराने हैं, जो आज के डिजिटल और वैश्विक परिवेश की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।

9. **कार्गो क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की अपेक्षा विदेशी वर्चस्व का होना :** अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो संचालन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत कम है, जिसमें करीब 90-95% हिस्सेदारी विदेशी एयरलाइनों के पास है, जो घरेलू भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती पैदा करता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **नीतिगत और कर सुधारों की पहल :** एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर करों को युक्तिसंगत बनाना और जीएसटी प्रणाली में समावेश करना इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता है।

2. **बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश :** छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई अड्डों का निर्माण और आधुनिकीकरण कर यात्री अनुभव को बेहतर किया जा सकता है और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिल सकता है।

3. **स्थानीय उत्पादन और MRO को प्रोत्साहन :** भारत में विमान निर्माण और रखरखाव सेवाओं को प्रोत्साहित कर आयात पर निर्भरता घटाई जा सकती है तथा लाखों रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

4. **टिकाऊ विमानन ईंधन के तहत हरित विमानन की ओर बढ़ना :** टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF), हरित हवाई अड्डा डिजाइन और कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित तकनीकों में निवेश करके भारत वैश्विक पर्यावरण मानकों को अपना सकता है।

5. **प्रशिक्षण संस्थानों की कमी के कारण कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने की जरूरत :** प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाकर और आधुनिक पाठ्यक्रमों को शामिल कर कुशल पेशेवरों की कमी को दूर किया जा सकता है।

6. **नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने की जरूरत :** नई एयरलाइनों और स्टार्टअप्स को प्रवेश में सहूलियत देकर सेवा गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और नवाचार को बल मिल सकता है।

7. **नियामकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता :** देश में विमानन क्षेत्र से संबंधित पुराने नियमों और प्रक्रियाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप परिवर्तित कर उद्योग को अधिक लचीला और अनुकूल बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष :

1. भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का एक मजबूत इंजन बन चुका है। देश की $53.6 बिलियन की वार्षिक GDP हिस्सेदारी और 77 लाख से अधिक रोजगारों का समर्थन करते हुए, यह उद्योग भारत के आर्थिक ताने-बाने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

2. वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ, जब सरकार 350 आधुनिक हवाई अड्डों और वार्षिक 3.5 बिलियन यात्रियों की क्षमता की ओर बढ़ रही है, तब विमानन क्षेत्र का समेकित और सशक्त विकास अनिवार्य हो गया है।

3. वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने में "उड़ान" योजना, हरित तकनीकों में निवेश, डिजी यात्रा जैसी डिजिटल पहलें और विनियामक सुधारों की दिशा में उठाए गए कदम इस क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की क्षमता रखते हैं।

4. यदि समय रहते मौजूदा बाधाओं — जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, मानव संसाधन की चुनौती और वित्तीय बोझ का प्रभावी समाधान किया जाए, तो भारत न केवल घरेलू स्तर पर हवाई यात्रा को सुलभ बना सकेगा, बल्कि वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है।

5. भारत जैसे-जैसे $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, विमानन उद्योग उसकी सतत, समावेशी और नवोन्मेषी विकास यात्रा का एक अहम आधारस्तंभ सिद्ध होगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS



स्रोत - पी. आई. बी एवं डी.डी न्यूज हिन्दी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. IATA एयरलाइन्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक व्यापार संघ है।

2. भारत ने 2025 में पहली बार IATA बैठक आयोजित की है।

3. IATA के मुख्य कार्यों में उद्योग मानकों का विकास करना, निष्पक्ष विनियमन की वकालत करना और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन (WATS) का आयोजन करना शामिल है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

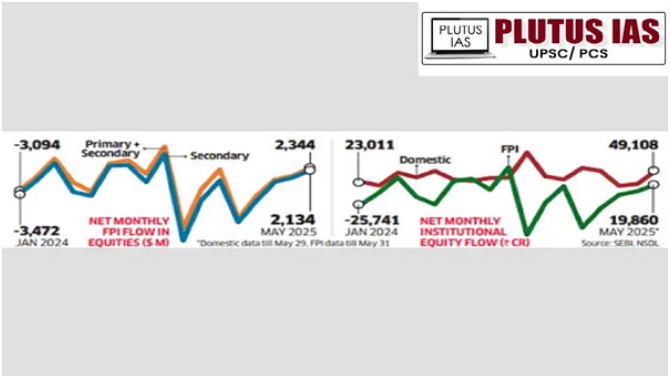
उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र वर्तमान समय में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इन चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने कौन-कौन सी नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित की है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

FPI और 2025 का भारतीय IPO : बाजार के विश्वास की परीक्षा का नया अध्याय

खबरों में क्यों ?



- ईटी इंटेलिजेंस ग्रुप के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) साल 2025 में भारतीय प्राथमिक बाज़ार (IPO) में अपना निवेश काफी सोच-समझकर कर रहे हैं।
- वर्ष 2025 की शुरुआत से मई 2025 तक एफपीआई ने केवल 1.8 बिलियन डॉलर (₹15,864 करोड़) का निवेश किया है, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 4 बिलियन डॉलर (₹33,487 करोड़) था।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा भारतीय प्राथमिक बाज़ार (IPO) में किये गए निवेश का यह गिरावट 55% से अधिक की है, जो बाजार में उनकी सतर्कता और निवेश के प्रति बदलते रुझान को दर्शाती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा भारतीय बाजार में निवेश करने में सावधानी बरतने का प्रमुख कारण :

1. **उच्च बाजार अस्थिरता :** वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और व्यापक आर्थिक अस्थिरता ने अस्थिरता को बढ़ा दिया है, जिससे जोखिम लेने में बाधा उत्पन्न हुई है।
2. **ब्याज दर अनिश्चितता:** अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण भारत जैसे उभरते बाजार कम आकर्षक हो गए हैं।
3. **वैश्विक जोखिम-मुक्त भावना:** अनिश्चित वैश्विक संकेतों के बीच निवेशक इक्विटी और आईपीओ से दूर होकर सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जा रहे हैं।
4. **धीमी आईपीओ गतिविधि:** मंदी के कारण कम आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, जिससे एफपीआई के अवसर कम हो रहे हैं।
5. **खुदरा भागीदारी में कमी:** घरेलू खुदरा निवेशक सतर्क हो गए हैं, जिससे आईपीओ की सदस्यता शक्ति और गति प्रभावित हो रही है।

6. **आईपीओ का अधिक मूल्यांकन:** जारीकर्ताओं द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण, विशेष रूप से स्टार्टअप क्षेत्र में, मूल्यांकन संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है।

7. **लिस्टिंग के बाद खराब प्रदर्शन:** 2024 के कई आईपीओ ने लिस्टिंग के बाद खराब प्रदर्शन किया, जिससे दोबारा एफपीआई निवेश में कमी आई।

8. **मुद्रा जोखिम:** रुपये के अवमूल्यन की आशंका से डॉलर के संदर्भ में रिटर्न कम हो जाता है और एफपीआई के लिए प्रत्यावर्तन जोखिम बढ़ जाता है।

तुलनात्मक रुझान :

1. **2024 आईपीओ बूम :** तरलता, तकनीक प्रचार और निवेशक आशावाद से प्रेरित होकर रिकॉर्ड धन उगाही और भारी ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ।

2. **प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्साह :** डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक स्टार्टअप में उच्च रुचि ने 2024 में एफपीआई निवेश को बढ़ावा दिया।

3. **2025 युक्तिकरण :** बाजार की धारणा सतर्क हो गई है, तथा अब मात्रा से गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है।

4. **लाभ बुकिंग की प्रवृत्ति :** एफपीआई अब आईपीओ में नए सिरे से निवेश करने के बजाय पहले के निवेश से मुनाफा कमा रहे हैं।

5. **चयनात्मक भागीदारी :** अब ध्यान मजबूत बुनियादी ढांचे वाली बड़ी, स्थिर कंपनियों पर केंद्रित हो गया है।

6. **छोटी आईपीओ पाइप लाइन :** बाजार की स्थितियों और कमजोर निवेशक मांग के कारण 2025 में कम कंपनियां सूचीबद्ध होंगी।

7. **निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएं :** वैश्विक आर्थिक मंदी और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण विकास से सुरक्षा की ओर बदलाव।

8. **परिश्रम में वृद्धि :** एफपीआई निवेश से पहले अधिक पारदर्शिता और मजबूत बिजनेस मॉडल की मांग कर रहे हैं।

भारतीय पूंजी बाजार पर प्रभाव :

1. **आईपीओ की कम मांग :** एफपीआई की रुचि कम होने से आईपीओ में कम अभिदान या उत्साह में कमी आती है।

2. **पूंजी जुटाने की चुनौतियाँ :** स्टार्टअप और मिड-कैप कंपनियों को इक्विटी पूंजी जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3. **कम मूल्यांकन :** मांग में कमी के कारण कंपनियां आईपीओ की कीमत कम करने को बाध्य हो सकती हैं, जिससे मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है।

4. **निवेशक आधार में बदलाव :** घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) अधिक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं।

5. **जारीकर्ता की रणनीतियों में बदलाव :** कंपनियां वित्तपोषण की उपलब्धता के आधार पर आईपीओ योजना में देरी या परिवर्तन कर सकती हैं।

6. **नवाचार पर प्रभाव :** धीमी वित्तपोषण से प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और विस्तार प्रभावित हो सकता है।

7. **अल्पकालिक बाजार सुधार :** एफपीआई की निकासी से अस्थिरता बढ़ सकती है और इक्विटी सूचकांकों में अल्पकालिक सुधार हो सकता है।

8. **वैश्विक विश्वास में कमी :** लगातार कम भागीदारी को वैश्विक निवेशक विश्वास में कमी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

व्यापक संदर्भ :

1. **वैश्विक अनिश्चितता :** आर्थिक मंदी, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और भू-राजनीतिक संकटों ने वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह को प्रभावित किया है।

2. **उभरते बाजार पर प्रभाव :** भारत ही नहीं, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी एफपीआई का ऐसा ही सतर्क व्यवहार देखा गया।

3. **अमेरिकी फेड नीति प्रभाव :** अमेरिकी फेडरल रिजर्व से प्राप्त आक्रामक संकेत वैश्विक निवेश भावना और एफपीआई रणनीति को प्रभावित करते हैं।

4. **मुद्रास्फीति दबाव :** वैश्विक मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंकों को सतर्क बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप जोखिमपूर्ण बाजारों से पूंजी का बहिर्गमन होता है।

5. **भारत की वृहद स्थिरता :** वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है।

6. **चालू खाता घाटा :** बढ़ते चालू खाते के घाटे और बाहरी कमजोरियों की चिंता निवेशकों के निर्णयों पर भारी पड़ती है।

7. **तेल एवं कमोडिटी की कीमतें :** वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत के व्यापार संतुलन और निवेशक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।

8. **भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण :** वर्तमान वैश्विक संघर्ष और प्रतिबंध व्यवस्थाएं दीर्घकालिक एफपीआई रणनीति और परिसंपत्ति आवंटन को प्रभावित करती हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **मूल्य निर्धारण पारदर्शिता को बढ़ावा दें :** नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में लिस्टिंग घाटे से बचने के लिए आईपीओ की उचित कीमत हो।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **प्रकटीकरण मानकों में सुधार :** प्री-आईपीओ प्रकटीकरण को मजबूत करने से निवेशकों का विश्वास बनाने में मदद मिलेगी।

3. **कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा दें :** उच्च शासन मानक दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करते हैं और जोखिम की धारणा को कम करते हैं।

4. **निवेशक शिक्षा को मजबूत करें :** खुदरा निवेशकों और विश्लेषकों को शिक्षित करने से समग्र बाजार की गहराई में सुधार होता है।

5. **नीति स्थिरता :** एक पूर्वानुमानित कर और नियामक व्यवस्था लगातार एफपीआई प्रवाह को प्रोत्साहित करती है।

6. **अनुपालन मानदंडों को आसान बनाना :** प्रक्रियात्मक बाधाओं को सुव्यवस्थित करने से विदेशी निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी।

7. **गुणवत्ता लिस्टिंग को प्रोत्साहित करें :** मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों को सार्वजनिक होने के लिए प्रोत्साहित करना स्थायी बाजार विकास का निर्माण करता है।

8. **मैक्रो स्थिरता बनाए रखें :** निरंतर आर्थिक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और स्थिर मुद्रास्फीति भारत की एफपीआई अपील को बढ़ाएगी।

निष्कर्ष :

- वर्ष 2025 के दौरान भारत के IPO बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की भागीदारी में तेज गिरावट वैश्विक अस्थिरता, नीति अनिश्चितता और मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बीच निवेशकों की बढ़ती सावधानी को दर्शाती है। जबकि 2024 का उत्साह तरलता और तकनीक के प्रति आशावाद से प्रेरित था, वर्तमान परिवेश में चयनात्मक, गुणवत्ता-केंद्रित निवेश की विशेषता है। यह बदलाव भारत के पूंजी बाजारों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। FPI का विश्वास बहाल करने और दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बनाए रखने के लिए, नीति निर्माताओं, नियामकों और बाजार सहभागियों को पारदर्शी, शासन और नीति की भविष्यवाणी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल और सुधार की गति के साथ, भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और स्थायी विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

स्त्रोत - पी. आई. बी. एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और 2025 में भारत के पूंजी बाजार में उनकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एफपीआई ने 2024 की तुलना में 2025 में भारतीय आईपीओ में अपना निवेश बढ़ाया है।

2. बाजार में अत्यधिक अस्थिरता और रुपए के मूल्यह्रास के जोखिम के कारण एफपीआई की भागीदारी सतर्क हो गई है।

3. एफपीआई मजबूत बुनियादी बातों और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन वाली कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि वर्ष 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारत के आईपीओ बाजार के प्रति दिखाई गई बढ़ती सतर्कता, जो 2024 के उत्साह से विपरीत है, इसके पीछे कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं? इस बदलाव का भारत के पूंजी बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और एफपीआई की निरंतर रुचि को पुनर्जीवित करने के लिए कौन से नीतिगत उपाय अपनाए जा सकते हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

हरित क्रांति 2.0 : आधुनिक भारतीय किसान को सशक्त बनाना

खबरों में क्यों ?



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- भारत में कृषि न केवल अर्थव्यवस्था की धुरी है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक आत्मा का भी अभिन्न हिस्सा रही है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है।
- पिछले एक दशक से अधिक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। "बीज से लेकर बाजार तक" की अवधारणा पर आधारित इन सुधारों ने न केवल उत्पादन को प्रोत्साहित किया, बल्कि इसके दायरे को भी विस्तार दिया है।
- इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन नीतियों ने छोटे और सीमांत किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs), और डेयरी व मत्स्य जैसे सहायक क्षेत्रों को केंद्र में रखा है।
- समावेशी विकास की यह दिशा भारत को एक सशक्त और वैश्विक कृषि नेतृत्व कर्ता के रूप में उभार रही है, यही वजह है कि यह विषय आज भी चर्चाओं में है।

भारतीय कृषि पर हालिया सरकारी आंकड़े (2024–25)

वर्ग	मुख्य बातें
कुल खाद्यान्न उत्पादन	2024-25 में रिकॉर्ड 354 मिलियन टन (Mt), 8 वर्षों में सबसे तेज़ वृद्धि।
गेहूं उत्पादन	117.5 मीट्रिक टन (रिकॉर्ड उच्च); पिछले वर्ष: 113.3 मीट्रिक टन।
चावल उत्पादन	2023-24 में 149 मीट्रिक टन, जो 137.8 मीट्रिक टन से अधिक है।
खरीफ अनुमान (नवंबर '24)	खाद्यान्न: 1,647 एलएमटी (चावल: 1,199 एलएमटी; मक्का: 245 एलएमटी; दालें: 69 एलएमटी) तिलहन: 257 एलएमटी गन्ना: 4,399 एलएमटी कपास: 299 लीटर गांठें
बजट आवंटन (2024–25)	मंत्रालय कुल: ₹1.4 लाख करोड़ पीएम-किसान: ₹60,000 करोड़ पीएमएफबीवाई: ₹13,625 करोड़ एआईएफ: ₹5,000 करोड़ डिजिटल कृषि: ₹450 करोड़
संशोधित अनुमान (2025–26)	मंत्रालय कुल: ₹1.38 लाख करोड़ पीएम-किसान: ₹63,500 करोड़ पीएमएफबीवाई: ₹12,242 करोड़ आरकेवीवाई: ₹8,500 करोड़ कृषि उन्नति: ₹8,000 करोड़
नई पहल (2025)	पीएम धन धान्य कृषि योजना दाल मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ बागवानी मिशन के लिए ₹500 करोड़ केसीसी की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की गई
मानसून पूर्वानुमान (2025)	सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद, जिससे खरीफ की बुवाई को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगेगा।
चीनी क्षेत्र	गन्ना उत्पादन (2025–26): ~35 मीट्रिक टन (+20%) भारत निर्यात पुनः शुरू कर सकता है (3 मिलियन टन तक)।
कपास की फसल (पंजाब)	क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि: सब्सिडी और विविधीकरण के कारण 2.98 लाख एकड़ में रोपण हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि की प्रासंगिकता :

1. **आजीविका का प्रमुख स्रोत :** कृषि भारत के 50% से अधिक कार्यबल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
2. **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है, फिर भी कृषि भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में लगभग 15-18% का योगदान देती है।
3. **खाद्य सुरक्षा की रीढ़ :** कृषि 1.4 अरब से अधिक आबादी के लिए चावल, गेहूं और दालों जैसे आवश्यक खाद्यान्नों का उत्पादन करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
4. **कच्चा माल प्रदाता :** यह कपड़ा (कपास), चीनी (गन्ना), खाद्य प्रसंस्करण और कृषि रसायन जैसे प्रमुख उद्योगों को महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करता है।
5. **निर्यात आय :** भारत चावल, मसाले, कपास, चाय और समुद्री उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक है। 2022-23 में कृषि-निर्यात का मूल्य 50 बिलियन डॉलर से अधिक था।
6. **ग्रामीण विकास इंजन :** कृषि ग्रामीण मांग, बुनियादी ढांचे, ऋण प्रवाह को बढ़ावा देती है तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।
7. **महिलाओं के लिए रोजगार :** ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है, विशेष रूप से कटाई के बाद और छोटे पैमाने की खेती में।
8. **एमएसएमई को सहायता :** कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इनपुट के लिए कृषि पर निर्भर हैं और कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं में काम करते हैं।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

9. **आर्थिक झटकों के विरुद्ध बफर:** कोविड-19 जैसे संकट के दौरान, कृषि ने लचीलापन दिखाया और जब अन्य क्षेत्रों में संकुचन हुआ, तब कृषि ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

भारतीय कृषि में सुधार के लिए सरकारी नीतियां :

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) :** प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में सभी भूमिधारक किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 प्रदान किए जाते हैं।

2. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) :** प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के विरुद्ध कम प्रीमियम दरों पर फसल बीमा प्रदान करता है, जिससे जोखिम कवरेज सुनिश्चित होता है।

3. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) :** कृषि में सूक्ष्म सिंचाई और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देकर "हर खेत को पानी" का लक्ष्य।

4. **ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) :** 1300 से अधिक मंडियों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।

5. **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मृदा गुणवत्ता आकलन और फसल-विशिष्ट उर्वरक सिफारिशें प्रदान करता है।

6. **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ):** शीत श्रृंखला, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे फसलोत्तर बुनियादी ढांचे के निर्माण को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष।

7. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति:** 23 फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी और एफसीआई तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से खरीद करके किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है।

8. **कृषि स्टार्टअप और नवाचार के लिए समर्थन (उदाहरण के लिए, नमो ड्रोन दीदी, एग्रीश्योर):** खेती को अधिक सटीक, डेटा-संचालित और उत्पादक बनाने के लिए एआई, ड्रोन और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देता है।

भारतीय कृषि में क्या मुद्दे हैं?

1. **खंडित एवं छोटी भूमि जोत :** 85% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिसके कारण उत्पादकता कम है और अर्थव्यवस्था का स्तर खराब है।

2. **मानसून पर निर्भरता और खराब सिंचाई :** लगभग 50% कृषि भूमि अभी भी वर्षा पर निर्भर है; अनियमित मानसून के कारण फसलें खराब हो जाती हैं और संकट पैदा होता है।

3. **कम उत्पादकता और उपज :** भारत की फसल पैदावार, विशेष रूप से दालों और तिलहनों में, पुरानी पद्धतियों और इनपुट्स के कारण, वैश्विक औसत से कम है।

4. **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा :** शीतगृह, भंडारण, ग्रामीण सड़कों और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के कारण फसल-उपरान्त भारी नुकसान होता है (20-30% तक)।

5. **बाजार की अकुशलताएं और मूल्य अस्थिरता :** बाजार तक पहुंच और मूल्य निर्धारण की कमी के कारण किसानों को अक्सर संकटपूर्ण बिक्री का सामना करना पड़ता है; विभिन्न फसलों और क्षेत्रों में एमएसपी का कवरेज असमान है।

6. **उच्च इनपुट लागत और ऋण बोझ :** बीज, उर्वरक और डीजल की बढ़ती लागत तथा कम लाभ के कारण कई किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

7. **ऋण और बीमा तक सीमित पहुंच :** औपचारिक ऋण तक पहुंच सीमित है; पीएमएफबीवाई के बावजूद, प्रक्रियागत बाधाओं के कारण कई किसान बीमा रहित या अपर्याप्त बीमा वाले रह गए हैं।

8. **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव:** सूखे, बाढ़, गर्म लहरों की बढ़ती आवृत्ति तथा मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के कारण उत्पादकता कम हो रही है तथा जोखिम बढ़ रहा है।

समाधान / आगे की राह :

1. **भूमि चकबंदी और सुधार :** विखंडन को दूर करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए सहकारी और समूह कृषि मॉडल को बढ़ावा देना।

2. **सिंचाई बुनियादी ढांचे का विस्तार :** पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और जल-उपयोग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) अपनाएं।

3. **जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना :** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी और लचीली बीज किस्मों को प्रोत्साहित करें।

4. **कृषि अवसंरचना को मजबूत करना :** एआईएफ और पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के तहत कोल्ड चेन, गोदामों, ग्रामीण सड़कों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करें।

5. **बाजार सुधार और ई-नाम एकीकरण :** विस्तारित एमएसपी कवरेज, ई-नाम लिंकेज और एपीएमसी बाधाओं को हटाने के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।

6. **कृषि-तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना :** डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीश्योर जैसी योजनाओं के माध्यम से ड्रोन, एआई, सटीक खेती और स्टार्टअप के उपयोग को बढ़ावा देना।

7. **संस्थागत ऋण और बीमा में सुधार :** तेजी से दावा निपटान और बेहतर कवरेज के साथ केसीसी तक पहुंच का विस्तार करें और पीएमएफबीवाई को मजबूत करें।

8. **किसानों की आय और कल्याण में वृद्धि :** पीएम-किसान के अंतर्गत समय पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), कौशल विकास

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

तथा डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष :

- भारतीय कृषि निःसंदेह हमारे राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक धुरी है, जो न केवल भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि करोड़ों लोगों को आजीविका और रोज़गार भी प्रदान करती है। हालाँकि इसे हमेशा से कम उपज, मौसमी अनिश्चितताओं और बाज़ारी विसंगतियों जैसी ढाँचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, फिर भी इसने, विशेषकर हाल के वर्षों में, उल्लेखनीय दृढ़ता और प्रगति का प्रदर्शन किया है। पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, एआईएफ और विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसी सरकारी योजनाएं कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी, प्रौद्योगिकी-आधारित और बाज़ार-सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। भविष्य की ओर देखते हुए, हमें एक ऐसे एकीकृत और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो किसानों के कल्याण, कृषि अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों पर केंद्रित हो। यही मार्ग भारतीय कृषि को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग और प्रत्येक किसान के लिए वास्तव में लाभकारी बना सकता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय कृषि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान प्रदान करता है।

2. पीएम-किसान योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

3. भारत दालों, दूध और मसालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1

उत्तर - (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि निरंतर प्रयासों और सुधारों के बावजूद, भारतीय कृषि को अब भी कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, भारतीय कृषि के क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, और इसे अधिक लचीला, लाभदायक व टिकाऊ बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

तकनीकी वस्त्रों से भारत को सशक्त बनाना : मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में भारत द्वारा हासिल की जा रही प्रगति पर ध्यान आकृष्ट किया है।
- उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि ये योजनाएं देश में घरेलू निर्माण को सशक्त बना रही हैं, नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हैं और निर्यात क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रही हैं।
- सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह की एक पोस्ट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इन पहलों की तेज रफ्तार प्रगति भारत को तकनीकी वस्त्र उद्योग में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रही है।



तकनीकी वस्त्र क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है ?

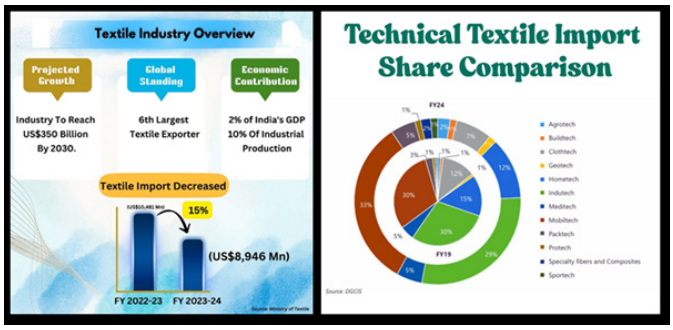
- तकनीकी वस्त्र वे उन्नत कपड़े होते हैं जिन्हें पारंपरिक फैशन या सजावटी उपयोग के बजाय विशिष्ट कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। ये वस्त्र उच्च स्तर की मजबूती, टिकाऊपन, तापमान और रसायनों के प्रति प्रतिरोध, तथा सुरक्षा या निस्पंदन जैसी विशेषताएँ प्रदान करते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- इनका व्यापक उपयोग ऑटोमोबाइल निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, और निर्माण जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। उदाहरण स्वरूप एयरबैग, फसलों को ढकने वाले कवर, भू-तकनीकी वस्त्र (जियोटेक्सटाइल), और चिकित्सकीय गाउन तकनीकी वस्त्रों के प्रमुख उदाहरण हैं।

- जहाँ पारंपरिक वस्त्र सौंदर्य और पहनावे पर केंद्रित होते हैं, वहीं तकनीकी वस्त्र व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान के लिए विकसित किए जाते हैं। आधुनिक उद्योगों में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है और ये नवाचार व औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।

भारत में कपड़ा तकनीकी क्षेत्र : आंकड़े



राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन : नवाचार, कौशल और निवेश की ओर एक सशक्त पहल :

- भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM), देश के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह मिशन अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्टअप समर्थन और वैश्विक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

- **जीआईएसटी 2.0 :** शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु : 'Grant for Internship Support in Technical Textiles (GIST 2.0)' योजना के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह पहल न केवल शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करती है, बल्कि स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देती है, 'मेक इन इंडिया' को सशक्त बनाती है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है।





- **ग्रेट योजना :** नवप्रवर्तन को व्यवसाय में बदलने की दिशा में कदम : 'Grant for Research and Entrepreneurship in Technical Textiles (GREAT)' योजना, अगस्त 2023 में आरंभ की गई, नवाचार को व्यावसायिक उत्पादों में रूपांतरित करने हेतु स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक, चिकित्सा, औद्योगिक और सुरक्षात्मक वस्त्रों में नवाचार के लिए 8 स्टार्टअप को ₹50 लाख तक की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही, IIT इंदौर और NIT पटना समेत तीन प्रमुख संस्थानों को विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ₹6.5 करोड़ का अनुदान मिला है।

- **कौशल विकास :** 50,000 से अधिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य : NTTM के अंतर्गत तकनीकी वस्त्र उद्योग में कार्यरत व आकांक्षी जनशक्ति के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। SITRA, NITRA और SASMIRA जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा विकसित 12 उद्योग-केंद्रित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, मेडिकल, सुरक्षात्मक, कृषि और मोबाइल टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- **टेक्नोटेक्स 2024 :** नवाचार का भव्य प्रदर्शन : भारत टेक्स 2024 के अंतर्गत आयोजित टेक्नोटेक्स 2024 कार्यक्रम ने भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग की क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। 693 वर्ग मीटर में फैले 'इनोवेशन ज़ोन' में 71 उन्नत परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 48 कार्यशील प्रोटोटाइप और 23 जानकारीपरक पोस्टर शामिल थे। इस मंच ने वैश्विक निवेशकों को भारत के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अवसर तलाशने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया है।

तकनीकी वस्त्रों के विविध उपयोग क्षेत्र :

1. **एग्रोटेक (कृषि संबंधी वस्त्र) :** कृषि उत्पादन को बढ़ाने और पर्यावरणीय कारकों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी वस्त्रों का उपयोग छाया जाल, फसल आवरण (क्रॉप कवर) और मल्च मैट के रूप में किया जाता है। ये समाधान कीट-नाशकों की निर्भरता को कम करने के साथ-साथ मौसम जनित जोखिमों से भी रक्षा करते हैं।

2. **बिल्डटेक (निर्माण क्षेत्र के वस्त्र) :** बिल्डटेक सामग्री जैसे जियो ग्रिड और स्कैफोल्डिंग नेट्स (मचान जाल) भवनों और ढांचागत परियोजनाओं की मजबूती, ध्वनि नियंत्रण और संरचनात्मक स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। इनका प्रयोग पुल, सुरंग, सड़क एवं ऊँची इमारतों के निर्माण में किया जाता है।

3. **क्लॉथटेक (फैशन एवं परिधान वस्त्र) :** वस्त्र उद्योग में क्लॉथ-टेक का उपयोग परिधान की गुणवत्ता, टिकाऊपन और सौंदर्य

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

को बढ़ाने के लिए इंटरलाइनिंग, सिलाई धागे और ज़िपर जैसे सहायक सामग्रियों में होता है। यह रोज़मर्रा की पहनावे को अधिक कार्यक्षम और दीर्घजीवी बनाता है।

4. **जियोटेक (भू-तकनीकी वस्त्र) :** जियोटेक्सटाइल्स का उपयोग सड़क निर्माण, जल निकासी तंत्र और कटाव नियंत्रण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाता है। ये मृदा स्थिरता को सुधारते हैं और निर्माण की लंबी उम्र सुनिश्चित करते हैं।

5. **मेडिटेक (स्वास्थ्य सेवा हेतु वस्त्र) :** मेडिटेक उत्पाद जैसे सर्जिकल मास्क, गाउन, घाव की ड्रेसिंग और सैनिटरी आइटम चिकित्सा क्षेत्र में स्वच्छता, रोगी सुरक्षा और संक्रमण रोकथाम के लिए अनिवार्य हैं। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में इनकी महत्ता और अधिक स्पष्ट हुई।

6. **मोबिलटेक (वाहन संबंधी वस्त्र) :** ऑटोमोबाइल उद्योग में तकनीकी वस्त्रों का प्रयोग सीट बेल्ट, एयरबैग, सीट कवर और इंटीरियर असबाब में किया जाता है। ये चालक और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ वाहन के आराम और प्रदर्शन को भी सुधारते हैं।

7. **पैकटेक (पैकेजिंग सामग्री के वस्त्र) :** टिकाऊ, पुन: प्रयोज्य और नमी प्रतिरोधी पैकेजिंग के लिए तकनीकी वस्त्रों का प्रयोग बुने हुए बोरे, जूट बैग और एफआईबीसी (फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर) जैसे उत्पादों में किया जाता है। यह समाधान पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी प्रस्तुत करता है।

8. **इंडुटेक (औद्योगिक क्षेत्र के वस्त्र) :** इंडो टेक्सटाइल्स जैसे निस्पंदन (फिल्ट्रेशन) फैब्रिक, कन्वेयर बेल्ट और थर्मल इन्सुलेशन उत्पाद विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं की दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये वस्त्र उच्च तापमान, रसायनों और घर्षण के प्रति भी उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं।



भारत में तकनीकी वस्त्र संवर्धन :

पहल/क्षेत्र	विवरण
1. एनटीटीएम (2020-24)	घरेलू उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ₹1,480 करोड़ का मिशन।
2. जीआईएसटी 2.0	छात्रों को इंटर्नशिप सहायता उद्योग-अकादमिक अंतर को पाटती है।
3. महान योजना	प्रत्येक स्टार्टअप को 50 लाख रुपये; विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों (जैसे, आईआईटी इंदौर, एनआईटी पटना) को 6.5 करोड़ रुपये।
4. कौशल विकास	SITRA, NITRA, SASMIRA आदि द्वारा 12 उद्योग-विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से 50,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।
5. टेक्नोटेक्स 2024	71 नवाचारों (48 प्रोटोटाइप) का प्रदर्शन; निवेश और वैश्विक पहुंच के लिए मंच।
6. शिक्षा सहायता	आईआईटी, एनआईटी और कपड़ा संस्थानों में विशेष तकनीकी वस्त्र पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
7. बीआईएस मानक	उत्पाद की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए 500 से अधिक मानक विकसित किए गए।
8. मेक इन इंडिया फोकस	मशीनरी और सामग्री के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन।
9. निर्यात एवं एफडीआई प्रोत्साहन	पीएलआई योजनाओं, व्यापार मेले में भागीदारी और निवेश सुविधा के माध्यम से समर्थन।
10. राज्य स्तरीय समर्थन	तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य नीतिगत और बुनियादी ढांचे संबंधी प्रोत्साहन दे रहे हैं।

तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख बाधाएँ एवं मुख्य चुनौतियाँ :

- **जागरूकता की कमी :** तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग और लाभों को लेकर नीति निर्माताओं, उद्यमियों और आम उपभोक्ताओं के बीच सीमित समझ है, जिससे इसकी संभावनाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा।
- **सीमित घरेलू मांग :** कृषि, निर्माण, और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों को अपेक्षाकृत धीमी गति से अपनाया जा रहा है, जिससे बाजार की वृद्धि बाधित हो रही है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **कौशल एवं विशेषीकृत प्रशिक्षण का अभाव :** विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी और प्रशिक्षित मानव संसाधन की सीमित उपलब्धता उद्योग की दक्षता और विस्तार में बाधा बन रही है।
- **आयात पर निर्भरता :** उन्नत मशीनरी और विशिष्ट कच्चे माल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति धीमी रहती है।
- **अनुसंधान व नवाचार में निवेश की कमी :** उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय का अभाव और अनुसंधान में अपर्याप्त निवेश नवाचार की गति को सीमित करते हैं।
- **परीक्षण प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता मानकों की अनुपलब्धता एवं परीक्षण अवसंरचना की कमी :** भारत में मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता मानकों की अनुपलब्धता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बाधित करती है।
- **सीमित संसाधनों और तकनीकी औद्योगिक अवसंरचना :** इस क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों का प्रभुत्व है, जो अक्सर सीमित संसाधनों और तकनीकी अवसंरचना के साथ कार्य करती हैं, जिससे विस्तार और निर्यात में कठिनाइयाँ आती हैं।
- **विनियामक ढांचे में असंगति :** BIS मानकों के क्रियान्वयन में देरी और प्रमुख क्षेत्रों में अनिवार्य उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों का अभाव एकरूपता और पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

समाधान की राह :

- **व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत :** तकनीकी वस्त्रों के लाभ और अनुप्रयोगों के बारे में उद्योगों, नीति-निर्माताओं और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए जाएं।
- **कौशल निर्माण पर बल :** उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करें और उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी वस्त्रों को एकीकृत करें।
- **स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता :** 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों के अंतर्गत मशीनरी और कच्चे माल का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएं।
- **नवाचारों के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान वित्त पोषण में वृद्धि करने की जरूरत :** नवाचारों के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान वित्त पोषण में वृद्धि की जाए और उद्योग-अकादमिक साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
- **बाजार विस्तार के लिए नीति हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- **प्रयोगशाला एवं परीक्षण अवसंरचना विकास केंद्र स्थापित करने की जरूरत :** गुणवत्ता प्रमाणीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं।
- **एमएसएमई को सक्षम बनाने की जरूरत :** तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहयोग के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को सशक्त बनाया जाए।
- **विनियामक प्रक्रिया का सरलीकरण एवं एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से नीति क्रियान्वयन को तेज़ और पारदर्शी बनाने की जरूरत :** BIS मानकों का शीघ्र क्रियान्वयन और एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से नीति क्रियान्वयन को तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए।

निष्कर्ष :

- तकनीकी वस्त्र उद्योग भारत की औद्योगिक संरचना में नवाचार, मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है।
- सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, GIST 2.0, GREAT योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उठाए गए कदम एक सकारात्मक दिशा में संकेत करते हैं।
- तकनीकी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जब तक जागरूकता, कौशल, अनुसंधान और विनियमन से जुड़ी चुनौतियों का योजनाबद्ध और सहयोगात्मक रूप से समाधान नहीं किया जाता, तब तक इस क्षेत्र की पूर्ण संभावनाओं का दोहन संभव नहीं है।
- नीति - निर्माताओं, उद्योग, शैक्षणिक जगत और स्टार्टअप समुदाय को मिलकर एक समेकित रणनीति अपनानी होगी, जिससे भारत तकनीकी वस्त्रों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ा सके।
- भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग की प्रगति संभावनाओं से भरपूर है, फिर भी इसके व्यापक कार्यान्वयन की राह में कई जमीनी और संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये बाधाएँ न केवल उद्योग के विकास को धीमा करती हैं, बल्कि नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को भी सीमित करती हैं।

स्त्रोत - पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में तकनीकी वस्त्रों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य घरेलू खपत और निर्यात दोनों को बढ़ावा देना है।

2. ग्रेट योजना केवल वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है।

3. जीआईएसटी 2.0 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप को समर्थन देने की एक पहल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तर - (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : s

Q.1. चर्चा कीजिए कि तकनीकी वस्त्र भारत की औद्योगिक नवाचार और आत्मनिर्भरता की आकांक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? भारत में इसके कार्यान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, और इनके समाधान के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विकसित कृषि संकल्प अभियान

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों के साथ प्रत्यक्ष संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 मई 2025 को 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' (VKSA) की शुरुआत की गई।
- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रारंभ यह 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पहल, देश के 700 से अधिक जिलों में 1.5 करोड़ से भी अधिक किसानों तक पहुँचने का लक्ष्य रखती है।
- इस अभियान में 16,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों और 2,170 अंतःविषय टीमों की सक्रिय भागीदारी से, किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा सतत कृषि विकास की अवधारणाओं से अवगत कराया जा रहा है।
- विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) का मुख्य उद्देश्य है – ज्ञान के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना, ताकि वे न केवल कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनें, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) क्या है ?

- विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) 29 मई 2025 को पुरी, ओडिशा से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी कृषि आउटरीच अभियान है। श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर की खेती के बीच की खाई को पाटना है।
- यह अभियान 16,000 कृषि वैज्ञानिकों और 2,170 अंतःविषय टीमों के प्रयासों के माध्यम से 700 से अधिक जिलों में 1.5 करोड़ किसानों को लक्षित करता है।
- VKSA आधुनिक कृषि तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य जागरूकता, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है। यह "लैब टू लैंड" के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है, जो उत्पादकता और आय में सुधार करने के लिए किसानों को ज्ञान से सशक्त बनाता है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) का उद्देश्य :

1. **प्रयोगशाला-से-भूमि के बीच की खाई को पाटना :** वीकेएसए 700 से अधिक जिलों में 16,000 से अधिक वैज्ञानिकों और 2,170 टीमों को किसानों से जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक ज्ञान जमीनी स्तर तक पहुंचे।
2. **किसानों तक व्यापक पहुंच :** इसका लक्ष्य लक्षित क्षेत्र दौरों और प्रदर्शनों के माध्यम से पूरे भारत में 1.5 करोड़ किसानों को शामिल करना है।
3. **खरीफ पूर्व जागरूकता :** मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ मौसम से पहले इसका समय निर्धारित किया गया है।
4. **अनुकूलित क्षेत्र समर्थन :** प्रत्यक्ष कृषक संपर्क के माध्यम से बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण पर स्थानीय समाधान प्रदान करता है।
5. **टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना :** प्रत्यक्ष-बीजित चावल (डीए-सआर), जैविक आदानों, जैव-उर्वरकों और जल-बचत तकनीकों को प्रोत्साहित करता है।
6. **उत्पादकता और आय बढ़ाना :** 1 क्विंटल/हेक्टेयर उपज वृद्धि से राष्ट्रीय उत्पादन 20 मिलियन टन बढ़ सकता है, जिससे कृषि आय में सुधार होगा।
7. **फीडबैक आधारित नीति निर्माण :** कृषि नीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों से जमीनी स्तर पर फीडबैक एकत्रित करना।

8. **आत्मनिर्भर कृषि की ओर :** कृषि में प्रौद्योगिकी, नवाचार और जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करके प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टि-कोण को आगे बढ़ाना।

विकसित भारत के लिए विकसित कृषि क्यों महत्वपूर्ण है ?

1. **रोजगार सृजन :** भारत की 50% से ज़्यादा आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। विकसित कृषि क्षेत्र ग्रामीण रोज़गार, कृषि-प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देता है।

2. **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना :** आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती है, कीमतें स्थिर होती हैं तथा आयात पर निर्भरता कम होती है।

3. **ग्रामीण-शहरी प्रवास में कमी :** लाभदायक कृषि द्वारा संचालित जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं शहरी क्षेत्रों पर प्रवास के दबाव को कम करती हैं।

4. **ग्रामीण आय और मांग को बढ़ावा :** किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे उपभोग और स्थानीय आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।

5. **कृषि-तकनीक नवाचार को प्रोत्साहित करता है :** सटीक खेती के लिए एआई, आईओटी और ड्रोन में नवाचार को बढ़ावा देना, नए युग के ग्रामीण रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना।

6. **जलवायु लचीलेपन का समर्थन करता है :** टिकाऊ खेती, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना - जो पर्या-वरणीय रूप से सुरक्षित विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

7. **निर्यात क्षमता को मजबूत करता है:** अधिशेष और उच्च गुण-वत्ता वाली उपज के साथ, भारत कृषि-निर्यात बढ़ा सकता है, जिससे व्यापार संतुलन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

8. **संबद्ध क्षेत्रों के लिए रीढ़ :** कृषि डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, रसद और खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे यह एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनती है।

9. **समावेशी विकास :** हाशिए पर पड़े समूहों - महिला किसानों, छोटे किसानों, आदिवासी समुदायों तक पहुँचकर न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) की राह में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ :

1. **किसानों की सीमित जागरूकता :** कई छोटे और सीमांत किसानों में अभी भी आधुनिक प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ प्रथाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव है।

2. **प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएं :** उच्च लागत, कम डिजिटल सा-क्षरता और कृषि-तकनीक उपकरणों तक अपर्याप्त पहुंच, विज्ञान आधारित कृषि के कार्यान्वयन में बाधा डालती है।

3. **बुनियादी ढांचे का अंतराल :** सिंचाई, भंडारण, शीत श्रृंखला और परिवहन जैसे अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढांचे से उत्पादकता प्रभा-वित होती है और किसानों का लाभ कम होता है।

4. **खंडित भूमि जोत :** छोटे और खंडित भूखंडों के कारण लाखों किसानों के लिए मशीनीकरण और संसाधनों का कुशल उपयोग चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

5. **ऋण और बीमा अड़चनें :** संस्थागत ऋण और फसल बीमा कवरेज तक पहुंच में देरी, नई प्रथाओं में निवेश को हतोत्साहित करती है।

6. **जलवायु संबंधी कमज़ोरियाँ :** अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसे बढ़ते जलवायु जोखिम कृषि हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को कम करते हैं।

7. **संक्षिप्त कार्यान्वयन समय सीमा :** वीकेएसए एक 15 दिवसीय अभियान है, जो निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बिना गहन, दीर्घका-लिक व्यवहार परिवर्तन को सीमित कर सकता है।

8. **समन्वय संबंधी मुद्दे :** वैज्ञानिकों, स्थानीय प्रशासन और किसान समूहों के बीच प्रभावी सहयोग के लिए मजबूत योजना और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।

आगे की राह :

1. **सतत् सहभागिता :** वीकेएसए को 15 दिवसीय अभियान से आगे बढ़ाकर मौसमी अनुवर्ती कार्रवाई और ग्राम स्तर तक पहुंच के साथ एक सतत राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलना।

2. **कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना :** कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके), एफपीओ और पंचायती राज संस्थाओं का लाभ उठाते हुए प्रशिक्षित कर्मियों के साथ कृषि विस्तार नेटवर्क को संस्थागत बनाना।

3. **डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना :** पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मोबाइल सलाहकार ऐप्स, ई-एनएएम, एआई और जी-आईएस-आधारित फसल सलाह जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग में तेजी लाएं।

4. **बुनियादी ढांचे का समर्थन बढ़ाना :** खेत से बाजार तक सम्पर्क सुधारने के लिए सिंचाई, शीतगृह, गोदाम और सड़क जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करें।

5. **समावेशी नीति समर्थन :** समान विकास और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला किसानों, छोटे किसानों और जनजातीय समुदायों के लिए विशेष योजनाएं तैयार करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **जलवायु-स्मार्ट कृषि :** जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए जलवायु-अनुकूल बीजों, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।

7. **फीडबैक आधारित सुधार :** वीकेएसए के दौरान एकत्रित किसानों की प्रतिक्रिया का उपयोग इनपुट वितरण प्रणालियों, फसल बीमा और एमएसपी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा।

8. **शिक्षा एवं अनुसंधान से संपर्क :** नवाचार के लिए ज्ञान-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कृषि शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स को वीकेएसए के साथ एकीकृत करना।

निष्कर्ष :

- विकसित कृषि संकल्प अभियान, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर कृषि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैज्ञानिकों को सीधे कृषक समुदाय से जोड़कर, इस अभियान में भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, लचीला और समावेशी क्षेत्र में बदलने की क्षमता है। हालाँकि, इस अल्पकालिक पहल को स्थायी प्रभाव में बदलने के लिए, निरंतर आउटरीच को संस्थागत बनाना, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और विखंडन, जलवायु जोखिम और प्रौद्योगिकी पहुँच जैसी प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। समन्वित प्रयासों और निरंतर किसान-केंद्रित नीतियों के साथ, विकसित कृषि संकल्प अभियान (वीकेएसए) 2047 तक कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि की ओर भारत की यात्रा में आधारशिला बन सकता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विकसित कृषि संकल्प अभियान (वीकेएसए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विकसित कृषि संकल्प अभियान (वीकेएसए) एक वर्षीय कृषि विकास कार्यक्रम है जो नकदी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

2. इसका नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्रालय करता है और इसका उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ना है।

3. यह अभियान प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और जलवायु-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देता है।

4. विकसित कृषि संकल्प अभियान (वीकेएसए) को 2025 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) का उद्देश्य भारत में कृषि अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच की खाई को पाटना है। ऐसे में, भारतीय कृषि को बदलने में इस अभियान का क्या महत्व है? इस संदर्भ में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और उसके समाधान का उपाय क्या हो सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

मई में भारत का निर्यात 2.77% बढ़कर 71.12 अरब डॉलर पर पहुंचा व्यापार घाटा कम हुआ

खबरों में क्यों?



- वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 में भारत का कुल निर्यात, जिसमें माल और सेवाएँ दोनों शामिल हैं, साल-दर-साल 2.77% बढ़कर 71.12 बिलियन डॉलर हो गया, जो मई 2024 में 69.20 बिलियन डॉलर था।

- यह वृद्धि सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित थी, जो 29.61 बिलियन डॉलर से बढ़कर 32.39 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि माल निर्यात थोड़ा कम होकर 38.73 बिलियन डॉलर हो गया। आयात मामूली रूप से घटकर 77.75 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा एक साल पहले के 9.35 बिलियन डॉलर से घटकर 6.62 बिलियन डॉलर रह गया।

- अप्रैल-मई 2025 के दौरान, संचयी निर्यात 5.75% बढ़कर 142.43 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 6.52% बढ़कर 159.57 बिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि, इस अवधि के दौरान व्यापार घाटा थोड़ा बढ़कर 17.14 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-मई 2024 में यह 15.12 बिलियन डॉलर था।

व्यापार प्रदर्शन अवलोकन :

1. **समग्र विकास:** मई 2025 में भारत का निर्यात 2.77% बढ़कर 71.12 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 69.20 बिलियन डॉलर था।
2. **व्यापारिक निर्यात में गिरावट:** मई 2024 में माल निर्यात 39.59 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम होकर 38.73 बिलियन डॉलर हो जाएगा।
3. **सेवा निर्यात में वृद्धि:** सेवा निर्यात 29.61 बिलियन डॉलर से बढ़कर 32.39 बिलियन डॉलर हो गया।
4. **आयात में मामूली गिरावट:** मई 2024 में कुल आयात 78.55 बिलियन डॉलर से घटकर 77.75 बिलियन डॉलर हो गया।
5. **बेहतर व्यापार संतुलन:** व्यापार घाटा एक वर्ष पूर्व के 9.35 बिलियन डॉलर से घटकर 6.62 बिलियन डॉलर हो गया।
6. **सेवा क्षेत्र को सहायता:** समग्र व्यापार निष्पादन को संतुलित करने में सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
7. **कम आयात बिल:** तेल और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से आयात में कमी आई।
8. **वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिरता:** वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के बाह्य क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया।

क्षेत्रवार विवरण :

1. **कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र:** वस्त्र, रत्न एवं आभूषण तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट देखी गई।
2. **निर्यात चुनौतियाँ:** कमजोर वैश्विक मांग और उच्च माल ढुलाई लागत जैसे कारकों ने वस्तु व्यापार को प्रभावित किया।
3. **लचीले क्षेत्र:** इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि-उत्पादों में सापेक्ष स्थिरता देखी गई.
4. **आईटी-आधारित सेवाओं में वृद्धि:** सॉफ्टवेयर सेवाओं, बीपीओ और परामर्श सेवाओं में वृद्धि से समग्र सेवा निर्यात को बढ़ावा मिला।
5. **वैश्विक आईटी मांग:** भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई समाधान और साइबर सुरक्षा सेवाओं की मांग से लाभ हुआ।
6. **पर्यटन में सुधार:** यात्रा एवं पर्यटन सेवाओं में पुनः सुधार से सेवा निर्यात में वृद्धि हुई।
7. **ज्ञान सेवा विस्तार:** शिक्षा, डिजाइन और अनुसंधान आधारित सेवाओं का निर्यात बढ़ रहा है।
8. **सेवाओं में विविधीकरण:** भारत अब केवल सूचना प्रौद्योगिकी से आगे बढ़कर एक व्यापक सेवा निर्यातक के रूप में विकसित हो रहा है।

वित्तीय वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन :

बिंदु	विवरण
अप्रैल-मई निर्यात वृद्धि	भारत ने अप्रैल-मई 2025 में 142.43 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5.75% की वृद्धि दर्शाता है।
आयात में तेजी से वृद्धि	आयात 159.57 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो अप्रैल-मई 2024 की तुलना में 6.52% की वृद्धि है।
बढ़ता व्यापार अंतर	संचयी व्यापार घाटा बढ़कर 17.14 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 15.12 बिलियन डॉलर था।
सकारात्मक निर्यात गति	प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद निर्यात में लचीलापन और तेजी देखी गई।
विकास को गति देने वाली सेवाएँ	सेवा क्षेत्र ने निर्यात वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे वस्तु निर्यात में गिरावट को कम किया जा सका।
दबाव में माल	कमजोर वैश्विक मांग और बाह्य झटकों के कारण व्यापारिक निर्यात प्रभावित हुआ।
ड्राइवर आयात करें	इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा आवश्यकताओं और उर्वरकों के कारण आयात में वृद्धि हुई।
संतुलित व्यापार रणनीति की आवश्यकता	निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन पर सुसंगत नीतियों की आवश्यकता का सुझाव दिया गया।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :

1. **चालू खाता प्रभाव:** कम मासिक व्यापार घाटा चालू खाता शेष (सीएबी) को बेहतर बनाने में मदद करता है।
2. **रुपया स्थिरता:** बेहतर व्यापार आंकड़े मुद्रा स्थिरता और निवेशक विश्वास को समर्थन देते हैं।
3. **कमजोरी की भरपाई:** सेवा निर्यात, वस्तु निर्यात में गिरावट को कम कर रहा है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **रोजगार प्रभाव:** सेवा क्षेत्र की वृद्धि से सफेदपोश रोजगार को बढ़ावा मिलता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में।

5. **विदेशी मुद्रा रिजर्व समर्थन:** बढ़ते निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार और वृहद स्थिरता में योगदान मिलता है।

6. **मुद्रास्फीति में कमी:** नियंत्रित आयात बिल आयातित मुद्रास्फीति जोखिमों को प्रबंधित करने में मदद करता है।

7. **एमएसएमई चिंताएं:** व्यापारिक निर्यात में मंदी से एमएसएमई-आधारित क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

8. **जीडीपी वृद्धि लिंकेज:** भारत की जीडीपी वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए मजबूत व्यापार प्रदर्शन आवश्यक है।

सरकारी उपाय और व्यापार नीति :

1. **अधिक प्रोत्साहन:** उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं उच्च मूल्य और रणनीतिक निर्यात को बढ़ावा देती हैं।

2. **एफटीए और सीईपीए:** भारत अधिक बाजार पहुंच के लिए संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ एफटीए का लाभ उठा रहा है।

3. **सेवा निर्यात पुश:** नीति नियोजन में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फिनटेक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

4. **डिजिटल अवसंरचना:** आइसगेट और डीजीएफटी पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म व्यापार लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित कर रहे हैं।

5. **बाजार विविधीकरण:** भारत निर्यात गंतव्यों का विस्तार करने के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया में संभावनाएं तलाश रहा है।

6. **वैश्विक व्यापार सहभागिता:** व्यापार मुद्दों को हल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन, आईपीईएफ और द्विपक्षीय वार्ता में सक्रिय भागीदारी।

7. **एमएसएमई निर्यात सहायता:** एमएसएमई को क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

वैश्विक व्यापार संदर्भ :

1. **असमान वसूली:** वैश्विक व्यापार सुधार असंगत बना हुआ है, जो संघर्षों और मुद्रास्फीति से प्रभावित है।

2. **मांग में सुस्ती:** यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे निर्यात बाजारों में मांग में कमी देखी जा रही है.

3. **चीन की वापसी:** चीन की नई निर्यात नीति से भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

4. **मौद्रिक सख्ती के प्रभाव:** विश्व स्तर पर उच्च ब्याज दरों ने आयात की इच्छा को कम कर दिया है।

5. **बढ़ता संरक्षणवाद:** व्यापार बाधाएं और गैर-टैरिफ प्रतिबंध भारत की बाजार पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं।

6. **फ्रेंड-शोरिंग से अवसर:** भारत आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है।

7. **वस्तु मूल्य में उतार-चढ़ाव:** कच्चे तेल, उर्वरक और धातुओं की कीमतें व्यापार लागत को प्रभावित कर रही हैं।

8. **समकक्ष तुलना:** ब्राजील और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है।

आगे की राह :

1. **विनिर्माण को बढ़ावा देना:** प्रमुख औद्योगिक निर्यात क्षेत्रों में उत्पादकता और उत्पादन को मजबूत करना।

2. **मेक इन इंडिया को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में घरेलू क्षमता बढ़ाना।

3. **ब्रांड इंडिया:** ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना।

4. **नए बाज़ारों की खोज करें:** अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे कम विकसित क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करना।

5. **रसद में सुधार:** बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स पार्कों और निर्बाध सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में निवेश करें।

6. **एमएसएमई को सशक्त बनाना:** छोटे निर्यातकों को ऋण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना।

7. **डिजिटल निर्यात विस्तार:** ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना, विशेष रूप से हस्तशिल्प और विशिष्ट क्षेत्रों में।

8. **आयात निर्भरता कम करना:** इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और पूंजीगत वस्तुओं में घरेलू विकल्पों को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष :

- मई 2025 में भारत की व्यापार कहानी लचीलापन और अवसर दोनों को दर्शाती है। सेवाओं का निर्यात तेजी से बाहरी व्यापार की रीढ़ बनता जा रहा है, भले ही माल वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा हो। एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण - विनिर्माण को बढ़ावा देना, सेवाओं में विविधता लाना और बाजार का विस्तार करना - निर्यात की गति को बनाए रखने, व्यापार घाटे का प्रबंधन करने और अनिश्चित वैश्विक माहौल में व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी.आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मई 2025 में भारत के व्यापार प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वस्तु निर्यात में तीव्र वृद्धि के कारण भारत के समग्र निर्यात में वृद्धि हुई।

2. सेवा निर्यात से व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली।

3. मई 2025 में आयात मई 2024 की तुलना में अधिक था।

निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मई 2025 में भारत का व्यापार प्रदर्शन बाहरी क्षेत्र के लिए मिश्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। जबकि सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है, व्यापारिक व्यापार वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय गतिशीलता और निहितार्थों पर चर्चा करें। एक स्थिर और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नीति रोडमैप का सुझाव दें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 2025 : प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास

खबरों में क्यों?



- हाल ही में हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति में जीवन की विविधता के महत्व को रेखांकित करता है। यह दिवस न केवल हमें पर्यावरण की समृद्ध विविधताओं की याद दिलाता है, बल्कि इसे सुरक्षित रखने की बढ़ती जरूरत पर भी बल देता है।
- वर्ष 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity - CBD) के अंगीकरण की स्मृति में यह दिन निर्धारित किया गया था।
- आज जब पारिस्थितिक असंतुलन और प्रजातियों के लुप्त होने की दर बढ़ती जा रही है, यह दिवस संरक्षण की दिशा में वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को प्रेरित करता है।

क्या है जैव विविधता?

- जैव विविधता, जिसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीवित प्रजातियों की विविधता का समग्र रूप है। इसमें वनस्पतियाँ, जीव-जंतु, सूक्ष्मजीव और इनसे जुड़े पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं।
- जैव विविधता का यह व्यापक दायरा अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता—इन तीन प्रमुख स्तरों पर फैला होता है।
- यह केवल प्रजातियों की गिनती नहीं, बल्कि उनके बीच अंतर्संबंधों, कार्यों और पर्यावरण में निभाई जाने वाली भूमिकाओं का भी गहन अध्ययन है। जैव विविधता प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने, खाद्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने, जलवायु को नियंत्रित करने, और औषधीय संसाधनों से लेकर स्वच्छ वायु और जल तक, जीवन को पोषित करने वाली अनगिनत सेवाएँ प्रदान करती है।

जैव विविधता के प्रमुख घटक :



PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **आनुवंशिक विविधता** – किसी एक प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले विभिन्न जीनों की विविधता, जो जीवों को बदलते वातावरण और रोगों के प्रति अनुकूलन में सहायक बनाती है।
- **प्रजातीय विविधता** – किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी बहुतायत, जो पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **पारिस्थितिक तंत्र विविधता** – किसी भू-भाग में उपस्थित विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समृद्धता, जो जीवन के लिए विभिन्न आवासों और प्रक्रियाओं का पोषण करती है।
- **कार्यात्मक विविधता** – किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा निभाई जाने वाली जैविक भूमिकाओं और कार्यों की श्रृंखला से संबंधित है।
- **वर्गीकरण विविधता** – यह प्रजातियों के बीच आनुवंशिक और विकासात्मक संबंधों की जटिलता को दर्शाने वाली विविधता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **संरचनात्मक विविधता** – यह किसी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विभिन्न प्रजातियों और आवासों की भौगोलिक और स्थानिक व्यवस्था से संबंधित है।
- **लौकिक विविधता** – इसके तहत समय के साथ जैव विविधता में आने वाले मौसमी, वार्षिक या दीर्घकालिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।

जैव विविधता का महत्व :

- **पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना :** यह पोषक चक्र, परागण, और खाद्य शृंखला जैसे तंत्रों को सुदृढ़ बनाती है।
- **प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता :** शुद्ध जल, वायु, उपजाऊ मिट्टी और जलवायु नियंत्रण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएं जैव विविधता की बदौलत ही संभव है।
- **खाद्य सुरक्षा और पोषण :** विभिन्न कृषि फसलें, पशु प्रजातियाँ और मछलियाँ भोजन और पोषण की विविधता सुनिश्चित करती हैं।
- **औषधीय महत्व :** अनेक औषधियाँ और उपचार पारंपरिक जड़ी-बूटियों और जैविक यौगिकों से प्राप्त होते हैं।
- **आजीविका और अर्थव्यवस्था :** कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जैव विविधता का प्रत्यक्ष योगदान होता है।
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य :** विभिन्न समुदायों के धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में प्रकृति का गहरा स्थान है।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना :** जैव विविधता युक्त तंत्र आपदाओं और जलवायु संकटों से बेहतर ढंग से उबरने में सक्षम होते हैं।

वर्ष 2025 का विषय और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता :

- वर्ष 2025 का विषय : " प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास " — यह नारा न केवल जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) के उद्देश्यों के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
- वर्तमान में दुनिया जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में जैव विविधता का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक नीति-निर्माण का भी एक अहम आधार बन चुका है।

जैव विविधता संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास :

अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और महत्वपूर्ण पहल :

- **जैव विविधता सम्मेलन (CBD), 1992 :** पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकार की गई यह ऐतिहासिक संधि जैव विविधता के संरक्षण, उसके सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों के न्यायपूर्ण वितरण पर केंद्रित है।
- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF), 2022 :** यह नवीनतम वैश्विक समझौता 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए 23 कार्यात्मक लक्ष्यों और 2050 तक पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs) :** जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से निपटने, भुखमरी उन्मूलन, स्वच्छ जल की उपलब्धता और भूमि पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण जैसे अनेक सतत विकास लक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।
- **कार्टाजेना प्रोटोकॉल :** यह समझौता जैव विविधता की रक्षा के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के सुरक्षित उपयोग को विनियमित करता है।
- **नागोया प्रोटोकॉल :** आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहमति-पत्र है, जो स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- **वैश्विक जैव विविधता सूचना प्रणाली (GBIF) :** जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़ों तक निःशुल्क और खुली पहुँच प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय डेटा नेटवर्क, जो अनुसंधान और नीति निर्माण में सहायक है।

भारत की नीतियाँ और संस्थागत तंत्र :

कानूनी ढांचा :

- **जैव विविधता अधिनियम, 2002 :** भारत में जैव विविधता संरक्षण का मूल आधार, जो जैविक संसाधनों तक पहुँच, उनके उपयोग और लाभों के साझाकरण को कानूनी ढांचे में लाता है।
- **जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 :** अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस कानून में आवश्यक सुधार किए गए हैं।

संस्थागत संरचना :

- **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) :** इस केंद्रीय निकाय की भूमिका जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन, नीति सलाह, और लाभ-साझाकरण निगरानी में महत्वपूर्ण है।
- **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) :** राज्य स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण, प्रबंधन और नियमन के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ।
- **जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) :** स्थानीय स्तर पर कार्यरत ये समितियाँ जैव विविधता की निगरानी, स्थानीय संसाधनों का दस्तावेजीकरण और जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR) के संधारण में अहम भूमिका निभाती हैं।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत की जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहल :

- **पवित्र उपवनों का संरक्षण :** परंपरागत रूप से पूजनीय वनों का संरक्षण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। 14,000 से अधिक पवित्र उपवन विविधतापूर्ण प्रजातियों का आश्रय हैं।
- **कृषि-जैव विविधता का संवर्धन :** विभिन्न स्थानीय फसलों और पशु नस्लों के संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **पारंपरिक संरक्षण ज्ञान का उपयोग :** आदिवासी और ग्रामीण समुदायों द्वारा अपनाई गई पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही सतत उपयोग और पारिस्थितिक प्रबंधन की पद्धतियाँ जैव विविधता के संरक्षण में अहम हैं।
- **जैविक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा :** योजनाएं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) किसानों को जैविक खेती अपनाने और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- **जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण :** भारत के चार प्रमुख हॉटस्पॉट — हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा, और सुंदरलैंड — में विशेष संरक्षण क्षेत्र और संवेदनशील पारिस्थितिकी जोन बनाए गए हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय मंच पर भागीदारी :** भारत जैव विविधता सम्मेलन (COP) जैसी वैश्विक बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाता है, और जैव विविध देशों की आवाज़ को सशक्त करता है।

जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :



- **प्राकृतिक आवासों का क्षरण और विखंडन :** नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास ने वनों और आर्द्रभूमियों को तेजी से समाप्त किया है। भारत में पिछले दो दशकों में लगभग 7% वन क्षेत्र नष्ट हो चुका है, जिससे जैविक प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक आवासों से वंचित हो रही हैं।
- **प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव :** रासायनिक कीटनाशकों, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण ने वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर परागणकों, जलीय जीवों और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों की आबादी पर पड़ा है।
- **जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव :** असामान्य मौसमी परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और वर्षा के अनिश्चित पैटर्न पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर रहे हैं। हिमालयी ग्लेशियरों के सिकुड़ने से ठंडे जलवायु की प्रजातियाँ संकट में हैं।
- **आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार :** लैंटाना कैमरा, जलकुंभी और अन्य गैर-देशी प्रजातियाँ स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे देशी प्रजातियाँ पीछे हटती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।
- **प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन :** अनियंत्रित वनों की कटाई, अत्यधिक मछली पकड़ना और औषधीय पौधों का शोषण जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। भारत की लगभग 30% कशेरुकी प्रजातियाँ इस दबाव के चलते संकटग्रस्त हो चुकी हैं।
- **मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष :** जब मनुष्य वन क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है, तो यह बाघों, हाथियों और अन्य वन्यजीवों के गलियारों को बाधित करता है, जिससे दोनों पक्षों की जान-माल को खतरा होता है।
- **वित्तीय और संस्थागत सीमाएँ :** संरक्षण योजनाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। मंत्रालयों के सीमित बजट और संसाधन शोध, प्रवर्तन और निगरानी में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **जन-जागरूकता और भागीदारी की कमी :** ग्रामीण और शहरी समुदायों में जैव विविधता के महत्व को लेकर जागरूकता सीमित है, जिससे संरक्षण की सामूहिक भागीदारी कमजोर पड़ती है।

समाधान की राह :



- **कानूनी और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना :** जैव विविधता प्राधिकरणों के अधिकार, बजट और संसाधनों को बढ़ाना ताकि वे प्रभावी नीति निर्माण और प्रवर्तन कर सकें।
- **स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करना :** परंपरागत ज्ञान को संरक्षण प्रयासों में शामिल कर, समुदायों को अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देने की जरूरत है।
- **प्राकृतिक आवासों का पुनः सृजन और गलियारों का संरक्षण :** पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और

वन्यजीव गलियारों की बहाली दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए।

- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियाँ :** जलवायु-उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र आधारित समाधानों को नीति में प्राथमिकता देना आवश्यक है।
- **प्रदूषण नियंत्रण और आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन :** सख्त नियमन और जैविक नियंत्रण उपायों द्वारा पर्यावरणीय क्षरण को रोका जा सकता है।
- **हरित आजीविका और सतत विकास को बढ़ावा देना :** इको-टूरिज्म, जैविक खेती और टिकाऊ संसाधन उपयोग स्थानीय आर्थिक विकास के साथ-साथ जैव विविधता को भी सुरक्षित करता है।
- **शिक्षा और जन-जागरूकता में निवेश :** विद्यालयों, मीडिया और सामुदायिक मंचों के माध्यम से जैव विविधता के महत्व पर जनचेतना फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है।
- **विज्ञान और तकनीक आधारित अनुसंधान :** डेटा-संचालित निर्णयों के लिए जैव विविधता मानचित्रण, उपग्रह निगरानी और नागरिक विज्ञान को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाना :** वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी के साथ तकनीकी और वित्तीय संसाधनों का आदान-प्रदान संरक्षण प्रयासों को गति दे सकता है।

निष्कर्ष :

- जैवविविधता केवल पारिस्थितिक सुंदरता नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और सतत विकास का आधार है। वर्तमान समय की चुनौतियाँ उससे बड़ी हैं — चाहे वह आवास विनाश हो या जलवायु संकट — लेकिन प्रभावी नीतियाँ, स्थानीय भागीदारी, और वैज्ञानिक नवाचार मिलकर जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। यह समय है जब मानवता को प्रकृति के साथ साझेदारी की भावना विकसित करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धरती की जैविक विविधता का आनंद ले सकें।

स्त्रोत - पी. आई. बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों से लाभ का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है?

(a) कार्टाजेना प्रोटोकॉल (b) नागोया प्रोटोकॉल

(c) क्योटो प्रोटोकॉल (d) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " पारिस्थितिक संतुलन और मानव कल्याण के लिए जैविक विविधता आवश्यक है। जैव विविधता के महत्व, इसके सामने आने वाले प्रमुख खतरों पर चर्चा करें और इसके प्रभावी संरक्षण के उपाय सुझाएँ। " (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

जहाजों से समुद्री प्रदूषण : समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक उभरता खतरा

खबरों में क्यों?



- हाल ही में केरल के तट पर लाइबेरियाई झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूबने से समुद्री पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया है। कोच्चि के पास हुई इस घटना के कारण जहाज से तेल और खतरनाक रसायनों का रिसाव हुआ है, जो पहले से ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र और उसकी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है।
- उस जहाज पर सवार सभी 24 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन डूबे कंटेनरों से फैलते तेल और रसायनों ने समुद्री पारिस्थितिकी, स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और तटीय व्यवसायों को लेकर गंभीर आशंकाएं खड़ी कर दी हैं।
- इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, ताकि रिसाव को सीमित किया जा सके और आगे के नुकसान को रोका जा सके।
- यह घटना समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को फिर से उजागर करती है, कि समुद्री परिवहन में सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है।

जहाजों के कारण होने वाला समुद्री प्रदूषण क्या है?

- जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण से तात्पर्य जहाज-आधारित परिचालन, दुर्घटनाओं या लापरवाही के माध्यम से समुद्र में तेल, प्लास्टिक, रसायन, गिट्टी का पानी, सीवेज और वायु प्रदूषकों जैसे हानिकारक पदार्थों के छोड़े जाने से है। दुनिया भर में बढ़ते समुद्री व्यापार के साथ, जहाजों से होने वाला समुद्री प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यह सिर्फ तेल रिसाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य स्रोत शामिल हैं जो हमारे महासागरों और तटीय क्षेत्रों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं।

समुद्री प्रदूषण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत :

- **तेल और ईंधन का रिसाव :** बड़े टैंकरों और मालवाहक जहाजों से होने वाला तेल रिसाव सबसे विनाशकारी होता है, जब वे आपस में टकराते हैं, फंसते हैं या डूब जाते हैं।
- **ठोस कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट :** पैकेजिंग, मछली पकड़ने के पुराने उपकरण और कूड़े का गलत तरीके से निपटान समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तूफानों में जहाजों से गिरने वाले कंटेनर भी प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा स्रोत हैं।
- **बैलस्ट जल का विसर्जन :** जहाज अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते समय अपने बैलस्ट टैंकों में पानी भरते हैं, जिसमें विदेशी समुद्री जीव और रोगाणु होते हैं। इस पानी को दूसरी जगह छोड़ने पर ये जीव नए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में घुसकर वहां की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं।
- **सीवेज और गंदा पानी :** क्रूज़ और यात्री जहाजों से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज और गंदा पानी सीधे तटीय जल को प्रदूषित करता है, जिससे समुद्री जीवन और मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है।
- **वायु प्रदूषण और समुद्री अम्लीकरण :** जहाजों से निकलने वाले सल्फर ऑक्साइड (SOx), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और अन्य कण न केवल वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि समुद्री जल को अम्लीय भी बनाते हैं, जिससे समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **रासायनिक और खतरनाक पदार्थों का रिसाव :** उर्वरक, औद्योगिक रसायन और सॉल्वेंट्स जैसे जहरीले पदार्थों का आकस्मिक रिसाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है।

समुद्री प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख कारण :

- **वैश्विक समुद्री यातायात में वृद्धि :** वैश्विक व्यापार में उछाल के कारण मालवाहक जहाजों, टैंकरों और क्रूज़ जहाजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
- **पुराने जहाज और रखरखाव की कमी :** पुराने और खराब रखरखाव वाले जहाजों में तकनीकी खराबी और रिसाव का खतरा अधिक होता है, जिससे प्रदूषण की आशंका बढ़ जाती है।
- **कमजोर अपशिष्ट प्रबंधन :** कई जहाजों पर सीवेज, गंदे पानी और कचरे के समुचित उपचार और निपटान की सुविधाएँ अपर्याप्त होती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों का लचर क्रियान्वयन :** MARPOL जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के नियमों का कमजोर प्रवर्तन, खासकर खुले समुद्र में, जहाजों को प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन न करने की छूट देता है।
- **सुविधा झंडा नीति :** कुछ जहाज ऐसे देशों में पंजीकृत होते हैं जहाँ पर्यावरण मानक उदार होते हैं, जिससे वे सख्त प्रदूषण नियंत्रणों से बच निकलते हैं।
- **मालवाहक कंटेनरों की क्षति और समुद्री कूड़ा :** खराब मौसम या खराब लोडिंग के कारण कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे प्लास्टिक और खतरनाक सामग्री का रिसाव होता है।
- **बैलस्ट जल प्रबंधन की कमी :** बैलस्ट जल का अनुपचारित निर्वहन जैविक प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का कारण बनता है।
- **निम्न गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग :** जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च-सल्फर ईंधन हानिकारक प्रदूषक छोड़ते हैं, जो वायु और समुद्री जल दोनों को प्रदूषित करते हैं।
- **आकस्मिक रिसाव और टक्करें :** समुद्री यातायात की बढ़ती सघनता दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप तेल और रासायनिक रिसाव होते हैं।

जहाज-जनित प्रदूषण के गंभीर प्रभाव :

- **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश :** तेल और रासायनिक रिसाव प्रवाल भित्तियों, मछलियों और समुद्री स्तनधारियों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला बाधित होती है।
- **स्थानीय जैव विविधता का नुकसान होना :** बैलस्ट जल से आने वाली आक्रामक प्रजातियां स्थानीय समुद्री वनस्पतियों और जीवों के लिए खतरा पैदा करती हैं।
- **तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण :** ठोस कचरा, सीवेज और समुद्र में तैरता हुआ माल समुद्र तटों को गंदा कर देता है, जिससे स्थानीय आवास और आजीविका प्रभावित होती है।
- **मत्स्य संपदा का क्षरण :** प्रदूषित पानी मछली के भंडारों और प्रजनन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा :** प्रदूषित समुद्री भोजन और दूषित जल स्रोत तटीय समुदायों में बीमारियों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
- **पर्यटन उद्योग को नुकसान :** गंदे समुद्र तट, मृत समुद्री जीव और तेल के रिसाव पर्यटकों को आकर्षित नहीं करते, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी घाटा होता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **वायु गुणवत्ता में गिरावट :** जहाजों से निकलने वाले प्रदूषक तटीय और वैश्विक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
- **महासागरीय अम्लीकरण और जलवायु परिवर्तन :** जहाजों के उत्सर्जन से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, जिससे समुद्री अम्लीकरण और ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया तेज होती है।

वैश्विक समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था :

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते :

- **मार्पोल सम्मेलन (MARPOL 1973/78) :** यह अंतर्राष्ट्रीय संधि समुद्री जहाजों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है। इसमें तेल, हानिकारक द्रव, सीवेज, ठोस कचरा और वायु प्रदूषण को सीमित करने के लिए छह तकनीकी परिशिष्ट शामिल हैं।
- **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS - 1982) :** यह सम्मेलन सभी देशों को समुद्री पर्यावरण के संरक्षण की कानूनी ज़िम्मेदारी सौंपता है और राष्ट्रीय समुद्री सीमा (12 नॉटिकल मील) एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को वैधता प्रदान करता है।
- **बैलास्ट जल प्रबंधन संधि (2004) :** इस समझौते का उद्देश्य जहाजों द्वारा बैलास्ट जल के माध्यम से आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकना है। यह उपचारित जल निर्वहन के स्पष्ट मानदंड तय करता है ताकि समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके।
- **बेसल कन्वेंशन (1989) :** यह समझौता खतरनाक अपशिष्टों के सीमापार आवागमन, विशेष रूप से जहाजों के विघटन से उत्पन्न अपशिष्ट के निर्यात और निपटान को नियंत्रित करता है, जिससे पर्यावरणीय अन्याय से बचाव किया जा सके।
- **लंदन कन्वेंशन (1972) एवं प्रोटोकॉल (1996) :** यह संधि समुद्र में जहरीले और खतरनाक अपशिष्टों के डंपिंग पर नियंत्रण लगाती है। प्रोटोकॉल इसे और अधिक कठोर बनाता है, जिससे केवल कुछ निर्दिष्ट अपशिष्टों के सीमित निस्तारण की अनुमति मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) :** संयुक्त राष्ट्र की यह विशेष संस्था वैश्विक नौवहन सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख सम्मेलनों के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी की भूमिका निभाती है।

प्रवर्तन से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ :

- **खुले समुद्र में निगरानी का अभाव :** विशाल महासागरीय क्षेत्र के कारण अंतरराष्ट्रीय जल में प्रदूषण की घटनाओं पर नज़र रखना बेहद मुश्किल होता है।
- **'फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस' प्रणाली :** ऐसे देश जहाँ पर्यावरणीय मानदंड शिथिल हैं, वहाँ पंजीकृत जहाज़ कठोर नियमों से बच निकलते हैं। इससे वैश्विक अनुपालन कमजोर होता है।
- **बंदरगाह राज्यों की सीमित क्षमता :** कई बंदरगाहों में आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण जहाजों की प्रभावी जाँच नहीं हो पाती।
- **तकनीकी अवसंरचना की कमी :** विकासशील देशों में उपग्रह, समुद्री रडार और निगरानी नौकाओं जैसी आधुनिक तकनीकों का अभाव प्रभावी प्रवर्तन में बाधा बनता है।
- **न्यायिक क्षेत्राधिकार की जटिलता :** समुद्र संबंधी अपराधों की कानूनी प्रक्रिया कई देशों की संप्रभुता से जुड़ी होने के कारण मुकदमेबाज़ी जटिल और धीमी हो जाती है।
- **शिपिंग उद्योग पर आर्थिक दबाव :** लागत में कटौती के कारण अक्सर जहाज संचालक अपशिष्ट उपचार और ईंधन मानकों का पालन करने में कोताही बरतते हैं।
- **कमजोर निवारक उपाय और कमज़ोर दंडात्मक प्रावधान :** प्रदूषण के लिए दिए जाने वाले जुर्माने या कानूनी कार्रवाई अक्सर इतने हल्के होते हैं कि वे उल्लंघन को रोकने में प्रभावी नहीं होते हैं।
- **घटनाओं की विलंबित रिपोर्टिंग :** प्रदूषण की कई घटनाएं या तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती है या इतनी देर से रिपोर्ट की जाती हैं कि प्रभावी प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष :

- समुद्री प्रदूषण की बढ़ती घटनाएँ वैश्विक समुद्री शासन की खामियों को उजागर करती हैं। MARPOL, UNCLOS जैसे प्रमुख विधिक उपकरणों के बावजूद, वास्तविक प्रवर्तन और निगरानी तंत्र की कमी के चलते प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं हो पाया है।
- केरल तट पर हालिया जहाज़ दुर्घटना इस ओर स्पष्ट संकेत देती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग, प्रौद्योगिकी में निवेश, स्थानीय क्षमता निर्माण और कठोर दंडात्मक उपायों की भी सख्त आवश्यकता है।
- टिकाऊ और जिम्मेदार नौवहन प्रणाली विकसित करने को सुनिश्चित करना न केवल हमारे महासागरों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन लाखों लोगों की आजीविका और कल्याण को सुरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है जो समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. समुद्री नौवहन से सामान्यतः जुड़े निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करें:

1. गिट्टी का पानी
2. सल्फर ऑक्साइड
3. माइक्रोप्लास्टिक
4. औद्योगिक अपशिष्ट जल

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उपर्युक्त में से कौन सा सीधे तौर पर जहाजों से होने वाले प्रदूषण से जुड़ा हुआ है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1, 2, और 3

C. केवल 1, 2, और 4

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि जहाज़ों से होने वाला समुद्री प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय अर्थव्यवस्थाओं और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा क्यों है? इसके प्रमुख स्रोत, प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा और प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? इस संदर्भ में महासागर शासन को मजबूत करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विश्व पर्यावरण दिवस 2025

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, 5 जून, 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस (WED) मनाया गया, जिसकी वैश्विक मेज़बानी इस बार दक्षिण कोरिया (कोरिया गणराज्य) ने की। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' के तहत 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के अंतर्गत एक बरगद का पौधा लगाया।
- यह दिन पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने तथा वैश्विक समुदाय को सतत विकास की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 क्या है?



- विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1972 में की गई थी।
- इस विषय पर पहली बार चर्चा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा आयोजित पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित पहले प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- सन 1973 में अपनी स्थापना के बाद से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) इस आयोजन का नेतृत्व कर रहा है। यह ऐतिहासिक सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य थीम / विषय था – "प्लास्टिक प्रदूषण को हराना" (Beat Plastic Pollution)। इसका प्रमुख उद्देश्य प्लास्टिक की बढ़ती समस्या पर जागरूकता फैलाना और इसके समाधान के लिए 'Refuse, Reduce, Re-use, Recycle' जैसे टिकाऊ उपायों को प्रोत्साहित करना है।
- प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता क्षरण और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालता है। आँकड़ों के अनुसार, हर वर्ष करीब 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जल स्रोतों में समा जाता है, और भारत अकेले 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है – जो वैश्विक प्लास्टिक कचरे का लगभग 20% है।
- इससे उत्पन्न माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी और जल दोनों को प्रदूषित करते हैं, जबकि ईंधन जलाने से 5.8 मिलियन टन से अधिक विषैले प्रदूषक वातावरण में घुलते हैं। इस प्रदूषण की वैश्विक आर्थिक लागत 300 से 600 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच आँकी गई है।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान : प्रकृति को नमन - मातृत्व का सम्मान :

- विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' के तहत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को आगे बढ़ाया गया। इस पहल की खासियत यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाता

है – यह भावनात्मक पहल मातृत्व और प्रकृति के पोषण गुणों को एक साथ जोड़ती है।

- यह इस बात का भी प्रतीक है कि जिस तरह पेड़ जीवन को पोषित और पालते हैं, ठीक वैसे ही माताएँ भी करती हैं। इस पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून, 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना और माताओं को सम्मान देते हुए सतत विकास का समर्थन करना है।
- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व रिकॉर्ड उपलब्धि के संदर्भ में 22 सितंबर, 2024 को, प्रादेशिक सेना की 128 इन्फैंट्री बटालियन और पारिस्थितिक कार्य बल ने जैसलमेर में मात्र एक घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।



पर्यावरणीय स्थिरता में भारत का योगदान :

भारत ने पर्यावरणीय स्थिरता के लिए निम्नलिखित योगदान दिए हैं:

1. **मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) :** यह एक वैश्विक पहल है जो लोगों को सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
2. **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) :** इसका लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है।
3. **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) :** इसके तहत वर्ष 2020 तक 21.47 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण किया गया है।
4. **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना :** यह भारत की जैवविविधता की रक्षा और संवर्धन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है।
5. **नगर वन योजना (शहरी वन योजना) :** यह शहरों और कस्बों के भीतर छोटे शहरी वन या "नगर वन" विकसित करने पर केंद्रित है।
6. **स्कूल नर्सरी योजना :** यह योजना स्कूलों को अपनी नर्सरी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
7. **CAMPA कोष :** वनरोपण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
8. **आर्द्रभूमि संरक्षण और जैवविविधता संरक्षण :** भारत अपने रामसर स्थलों की संख्या को दिन - ब - दिन बढ़ा ही रहा है, जिसके तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में नए स्थल शामिल किये गए हैं। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल वेटलैंड्स प्रबंधकों और हितधारकों के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है और बहुमूल्य जानकारी एवं संसाधन प्रदान करता है। ये सभी पहल भारत की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और विभिन्न स्तरों पर वनरोपण, जैवविविधता संरक्षण, और आर्द्रभूमि प्रबंधन में योगदान करती हैं।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति :



- वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने पिछले 15 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें शुद्ध वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में वह विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021 के अनुसार, देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है।
- भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष और प्रोजेक्ट एलीफेंट के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है , जिससे वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम' की शुरुआत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और बंजर वन भूमि के पुनरुद्धार के लिए की गई है, जो जलवायु कार्रवाई पहल में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- मैंग्रोव पुनरुद्धार के लिए, भारत सरकार ने तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत 'मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं प्रबंधन' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागू की गई है।

- केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव पहल (MISHTI) की घोषणा की गई, जो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए है।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संदर्भ में, सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से 2016 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस मिशन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना है, जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा, अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करेगा और वैऔर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति प्रदान करेगी।

जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया प्रमुख पहल :

- भारत ने सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता के लिए वैश्विक गठबंधन (Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency- GACERE) और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल (International Resource Panel- IRP) के साथ मिलकर काम किया है।
- इन मंचों के माध्यम से, भारत ने वैश्विक और न्यायसंगत चक्रीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की वकालत की है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) की छठी सभा 31 अक्तूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें 116 सदस्य देश और अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
- पर्यावरण दिवस पर, कोयला मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से भूमि पुनर्प्राप्ति के प्रयासों का विवरण है।
- इस रिपोर्ट में "कोयला एवं लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हरित पहल" के तहत खनन द्वारा प्रभावित भूमि को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के प्रयासों को उजागर किया गया है।
- यह रिपोर्ट बताती है कि कोयला क्षेत्र भूमि पुनरुद्धार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास लगभग 50,000 हेक्टेयर का हरित आवरण बनाया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक का उत्सर्जन होने का अनुमान है।
- इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है।

विश्व पर्यावरण दिवस और जैव विविधता के संरक्षण में समाधान / आगे की राह :



1. **जैव विविधता के महत्व के प्रति जन जागरूकता फ़ैलाने की जरूरत :** जैव विविधता के महत्व को लोगों के बीच जागरूक करने के लिए शिक्षा का महत्व है। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए।
2. **समुद्री और जलवायु संरक्षण के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत :** समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए समुद्री बागवानी के अधिकारियों को नवाचारिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनका संवाद करने के लिए भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
3. **वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नवाचारिक तरीकों का अध्ययन करना चाहिए। वन्यजीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए।
4. **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देकर वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फ़ैलाने की जरूरत :** वृक्षारोपण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देकर लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना होगा।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना
2. वन क्षेत्र में वृद्धि करना
3. माताओं को सम्मान देना
4. केवल शहरीकरण को बढ़ावा देना
5. सतत विकास का समर्थन करना

नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें :

A. केवल 1, 2, 3 और 4 B. केवल 1, 2, 3 और 5

C. केवल 2, 3 और 5 D. 1, 2, 3, 4, 5 सभी

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1."वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए।

(UPSC CSE - 2018 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

Q.2. भारत में भूमि पुनर्स्थापन की प्रमुख चुनौतियों और उससे उत्पन्न होने वाले प्रमुख अवसरों की व्याख्या करते हुए यह चर्चा कीजिए की पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपाय क्या - क्या हो सकते हैं ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

पृथ्वी को स्वस्थ बनाना : 2025 में मरुस्थलीकरण पर कार्रवाई का आह्वान

खबरों में क्यों?

- हाल ही में 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था — "भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें।"
- संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक लगभग 16 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि — जो क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका के बराबर है — गंभीर रूप से क्षरण के खतरे में है।
- वर्तमान समय में , भूमि क्षरण और सूखे के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 878 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है।
- विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित किया जाए, तो यह एक ट्रिलियन डॉलर मूल्य की पुनर्स्थापना अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है। यह परिदृश्य निजी निवेश और भागीदारी की तत्काल और सशक्त आवश्यकता को रेखांकित करता है।



वैश्विक संकट के रूप में भूमि क्षरण की व्यापकता और परिणाम :

1. **भूमि क्षरण की चपेट में विशाल भूभाग :** अनुमान है कि 2050 तक लगभग 16 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि, जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल के बराबर है, गंभीर रूप से क्षरित हो सकती है। इसका सीधा असर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि उत्पादन और जैव विविधता पर पड़ेगा।
2. **बढ़ता आर्थिक बोझ :** भूमि क्षरण और सूखे के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष $878 बिलियन का भारी नुकसान होता है। यह आंकड़ा 2023 में प्रदान की गई कुल वैश्विक सहायता राशि से तीन गुना अधिक है, जो इस समस्या की आर्थिक गंभीरता को दर्शाता है।
3. **आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर खतरा :** भूमि की उर्वरता घटने से कृषि उत्पादकता में कमी आती है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ती है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं।
4. **जलवायु और पर्यावरणीय दुष्परिणाम :** भूमि क्षरण से जैव विविधता का तेजी से नुकसान होता है, जल चक्र बाधित होता है, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति तेज होती है।

5. **सुरक्षा संबंधी चुनौतियां :** संसाधनों की कमी, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में, संघर्ष, पलायन और अस्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मरुस्थलीकरण के मुख्य कारक :

1. **वनोन्मूलन :** वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी की स्थिरता घट जाती है, जिससे कटाव और क्षरण में तेजी आती है।
2. **असंतुलित कृषि पद्धतियां :** अत्यधिक खेती, एकल फसल उत्पादन और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
3. **अतिचारण :** पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे मिट्टी हवा और पानी के कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।
4. **शहरीकरण :** अनियोजित शहरी विस्तार से उत्पादक कृषि भूमि का नुकसान होता है और भूमि सील हो जाती है।
5. **जलवायु परिवर्तन :** बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा पैटर्न सूखे और भूमि क्षरण को बढ़ावा देते हैं।
6. **जल अभाव :** सीमित जल उपलब्धता मिट्टी के स्वास्थ्य और वनस्पति के विकास को सीधे प्रभावित करती है।
7. **मिट्टी का लवणीकरण :** खराब सिंचाई पद्धतियों से मिट्टी में नमक का जमाव हो जाता है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है।
8. **गरीबी और संसाधनों का अति उपयोग :** गरीबी और असंतुलित जीवनशैली अक्सर संसाधनों के अत्यधिक उपयोग की ओर ले जाती है, जिससे भूमि क्षरण की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

भूमि पुनरुद्धार : एक बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय अवसर :

1. **बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता :** वर्ष 2030 तक वैश्विक भूमि पुनरुद्धार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगभग $1 बिलियन के भारी निवेश की आवश्यकता होगी।
2. **उच्च प्रतिफल की संभावना :** भूमि पुनरुद्धार में निवेश किए गए प्रत्येक $1 के लिए, बेहतर पारिस्थितिकी सेवाओं और आजीविका के माध्यम से $7 से $30 तक का प्रतिफल मिल सकता है। यह एक अत्यंत आकर्षक निवेश अवसर है।
3. **ट्रिलियन डॉलर का अवसर :** विश्व भर में 1 बिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनःस्थापित करने से वार्षिक $1.8 ट्रिलियन तक का भारी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
4. **नवीन आर्थिक क्षेत्र का विकास :** भूमि पुनरुद्धार एक ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है, जो सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
5. **पर्यावरणीय लाभ :** पुनरुद्धार से मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता, जैव विविधता और कार्बन अवशोषण में वृद्धि होती है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक हैं।
6. **रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं :** पुनरुद्धार पहलें, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में, कृषि, वानिकी और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों हरित रोजगार सृजित कर सकती हैं।
7. **वर्तमान वित्त पोषण का अंतराल :** वर्तमान में, निजी क्षेत्र कुल पुनरुद्धार वित्तपोषण में केवल 6% का योगदान देता है, जो एक बड़े निवेश अंतराल को दर्शाता है।
8. **निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता :** भूमि की पूर्ण आर्थिक और पारिस्थितिक क्षमता को खोलने के लिए अधिक निजी निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) अत्यंत आवश्यक है।

क्षेत्रीय मुख्य आकर्षण :

क्षेत्र	गिरावट की सीमा	पुनर्स्थापना लक्ष्य	मुख्य बातें
उप-सहारा अफ्रीका	विश्व की 45% भूमि क्षरित हो चुकी है	440 मिलियन हेक्टेयर	10 मिलियन स्थायी नौकरियाँ सृजित करने की संभावना, साहेल क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित
लैटिन अमेरिका और कैरि-बियन	वैश्विक क्षरित भूमि का 14%	220 मिलियन हेक्टेयर से अधिक	टिकाऊ भूमि उपयोग और कृषि-पारिस्थितिकी नियोजन पर जोर
पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका	लगभग 90% भूमि पहले ही क्षरित हो चुकी है	150 मिलियन हेक्टेयर से अधिक	जल संकट और बढ़ते तापमान का सामना करते हुए लचीली कृषि पर ध्यान केंद्रित करना
कोलंबिया (मेजबान, 2025)	30% भूमि क्षरित; 40% मिट्टी लवणीय	560,000 हेक्टेयर भूमि पुन-र्स्थापन के अधीन	कृषि वानिकी, टिकाऊ कॉफी/ पशुपालन, तथा जलग्रहण पुनरुद्धार पर ध्यान केन्द्रित करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मरुस्थलीकरण से निपटने में यूएनसीसीडी (UNCCD) की भूमिका :

1. **व्यापक सदस्यता :** भारत सहित 197 पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित, यूएनसीसीडी लगभग सार्वभौमिक वैश्विक प्रतिनिधित्व और सहयोग सुनिश्चित करता है, जो इसे एक शक्तिशाली वैश्विक पहल बनाता है।

2. **रणनीतिक दृष्टिकोण :** यूएनसीसीडी प्रभावी भूमि प्रशासन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं (NAPs), क्षेत्रीय समन्वय और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से विभिन्न पहलों को क्रियान्वित करता है। यह एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है।

3. **मुख्य उद्देश्य :** इसका प्राथमिक उद्देश्य सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के हिस्से के रूप में 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्राप्त करना है।

4. **विज्ञान और नीति का आपस में समन्वय :** विज्ञान-नीति इंटरफ़ेस (SPI) के माध्यम से, यूएनसीसीडी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करता है, जो वैश्विक भूमि बहाली प्रयासों को मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक है।

5. **निगरानी और रिपोर्टिंग :** यह प्रदर्शन संकेतकों और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का उपयोग करते हुए एक मजबूत निगरानी प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन परिणामों पर नज़र रखता है, जिससे प्रगति का आकलन किया जा सके।

6. **वित्तीय और तकनीकी नवाचार संसाधन जुटाना :** यूएनसीसीडी सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है ताकि भूमि बहाली और प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जुटाई जा सके।

आगे की राह :

1. **सार्वजनिक-निजी वित्त पोषण में वृद्धि करने की जरूरत :** वर्तमान में निजी क्षेत्र का योगदान केवल 6% है। इस बड़े वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और मिश्रित वित्त मॉडल को प्रोत्साहित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. **प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देने की जरूरत :** पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए कृषि वानिकी, पुनर्योजी कृषि, वर्षा जल संचयन और मृदा संरक्षण जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है।

3. **एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता :** भूमि प्रबंधन प्रयासों को जलवायु अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों के साथ संरेखित करना होगा, ताकि एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

4. **स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण करने की जरूरत :** जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करने के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली और स्वदेशी पहलों को समर्थन देना चाहिए, खासकर कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों में।

5. **शासन और भूमि अधिकारों में सुधार की जरूरत :** भूमि स्वामित्व प्रणालियों में सुधार और महिलाओं, किसानों और स्वदेशी लोगों के लिए सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने से बेहतर प्रबंधन संभव होगा।

6. **अनुसंधान और नवाचार में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** बेहतर निर्णय लेने और प्रभाव आकलन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, भू-स्थानिक मानचित्रण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों (AI, रिमोट सेंसिंग) के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

7. **क्षमता निर्माण और जागरूकता :** किसानों, अधिकारियों और स्थानीय संस्थाओं को टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं और सूखे की तैयारी के बारे में प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

8. **ज्ञान साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत :** यूएनसीसीडी और क्षेत्रीय गठबंधनों जैसे मंचों के माध्यम से सीमा पार सहयोग, नीति सामंजस्य और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना वैश्विक प्रयासों को मजबूत करेगा।

निष्कर्ष :

- वर्तमान में हमारा ग्रह एक अभूतपूर्व वैश्विक भूमि संकट का सामना कर रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानवीय आजीविका पर पड़ रहे हैं। यह संकट केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखा जा रहा है। यह स्पष्ट है कि भूमि क्षरण एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसके समाधान के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों, पर्याप्त निवेश और नवीन दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। भूमि की बहाली एक पर्यावरणीय अनिवार्यता से कहीं अधिक है - यह वैश्विक आर्थिक लचीलेपन, सामाजिक स्थिरता और मानव कल्याण की आधारशिला है। क्षरित भूमि को बहाल करना पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने, खाद्य और जल सुरक्षा में सुधार करने, स्थायी आजीविका बनाने और जलवायु संकट से निपटने का एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। यह एक जीत-जीत समाधान का प्रतिनिधित्व करता है जो लोगों और ग्रह दोनों का पोषण करता है और दीर्घकालिक समृद्धि को अनलॉक करता है। जैसा कि UNCCD के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव ने ठीक ही कहा है - "पुनर्स्थापित भूमि अनंत अवसरों की भूमि है... भूमि के बिना, आजीविका, शांति या समृद्धि नहीं हो सकती।"

स्त्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पर्यावरण और विकास को टिकाऊ भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

2. यूएनसीसीडी का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में स्थित है।

3. भारत ने बॉन चैलेंज के अंतर्गत 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण द्वारा उत्पन्न वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता पर खतरे को देखते हुए, और UNCCD के प्रयासों व 2025 में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के आयोजन को ध्यान में रखते हुए, क्षरित भूमि को बहाल करने के प्रमुख कारणों, प्रभावों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 : विकासशील देशों की मांगों पर गतिरोध

खबरों में क्यों?



- हाल ही में चल रहे बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 (SB 62) में एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। इसकी वजह यह थी कि भारत सहित विकासशील देशों के समूह, LMDC ब्लॉक, ने दो नए मुद्दे एजेंडा में शामिल करने की मांग की है।
- ये मुद्दे थे: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्तपोषण और यूरोपीय संघ के CBAM जैसे एकतरफा व्यापार उपायों का विरोध। हालांकि, विकसित देशों ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे औपचारिक कार्यवाही में लगभग 48 घंटे की देरी हुई। आखिरकार 17 जून को एक समझौता हुआ। इसके तहत, इन मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत के ज़रिए चर्चा करने की अनुमति दी गई, लेकिन इन्हें अलग से कोई स्वतंत्र दर्जा नहीं दिया गया।
- इस फैसले की भारत, बोलीविया और नाइजीरिया जैसे देशों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने COP 30 में इन मांगों को फिर से उठाने का संकल्प लिया है। यह घटना जलवायु से संबंधित जिम्मेदारियों और समानता के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ते मतभेद को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 : एजेंडा विवाद की मुख्य जड़ें :

बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 (SB 62) में हालिया गतिरोध कुछ गहरे मतभेदों को उजागर करता है। यह पूरा विवाद एजेंडा में नए मुद्दों को शामिल करने की मांग से शुरू हुआ।

विवाद के मुख्य बिंदु :

- **प्रस्तावक:** समान विचारधारा वाले विकासशील देश (LMDC), जिन्हें G77+चीन का समर्थन प्राप्त था।
- **प्रस्तावित मुद्दे:**
  1. पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का कार्यान्वयन: इसमें विकसित देशों से सार्वजनिक जलवायु वित्त की मांग की गई, जो पूर्वानुमानित, रियायती और पारदर्शी हो।
  2. एकतरफा व्यापार उपायों का विरोध: इसमें यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे उपकरणों की आलोचना की गई, जिन्हें संरक्षणवादी और जलवायु समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया।

पक्ष और विपक्ष :

- **समर्थक: G77+चीन ब्लॉक** के तहत 130 से अधिक विकासशील देश।
- **विरोधी:** मुख्य रूप से यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और उनके सहयोगी जैसे विकसित देश।
- **विरोध के कारण:**
  - विकसित देशों का तर्क था कि ये मुद्दे मौजूदा वित्त चर्चाओं (जैसे NCQG) के साथ अतिव्यापी हैं।
  - उनका मानना था कि व्यापार से जुड़े मुद्दे UNFCCC के दायरे से बाहर हैं।
  - उन्हें यह भी चिंता थी कि इससे वार्ताओं का राजनीतिकरण हो सकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

वित्तीय मतभेद : अनुच्छेद 9.1 बनाम अनुच्छेद 9.3

यह विवाद मुख्य रूप से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 और अनुच्छेद 9.3 के तहत जलवायु वित्त पोषण की प्रकृति को लेकर है।

पहलू	अनुच्छेद 9.1	अनुच्छेद 9.3
वित्त की प्रकृति	विकसित देशों द्वारा सार्वजनिक वित्त का सीधा प्रावधान।	सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से वित्त जुटाना।
अधिदेश	विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व।	केवल प्रोत्साहन, कोई सख्त बाध्यता नहीं।
केंद्र	सार्वजनिक निधियों में पूर्वानुमान, रियायत और पारद-र्शिता।	निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग।
जवाबदेही	सरकार-से-सरकार हस्तांतरण के कारण उच्चतर जवाबदेही।	कम जवाबदेही; निजी प्रवाह को ट्रैक करना और निगरानी करना कठिन।
पसंद किया गया	विकासशील देशों (विशेष रूप से LMDC और G77+-चीन) द्वारा।	विकसित देश (यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा आदि) द्वारा।
COP29 परिणाम	COP29 में इसे मोटे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया।	NCQG लक्ष्य ($300 बिलियन/वर्ष; 2035 तक $1.3 ट्रिलियन) में परिलक्षित।
मुख्य चिंता	जलवायु वित्त में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।	बोझ को बाजारों पर डालता है, सार्वजनिक जिम्मेदारी को कम करता है।

व्यापार और जलवायु – CBAM विवाद :

- **एकतरफा उपाय :** यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली (CBAM) और ब्रिटेन व कनाडा की समान नीतियाँ विकासशील देशों से आयात पर कार्बन लागत लगाती हैं।
- **विकासशील देशों की चिंताएँ :** LMDC और BASIC जैसे विकासशील देश इन उपायों को संरक्षणवादी, असमान और जलवायु न्याय का उल्लंघन मानते हैं।
- **इक्विटी और CBDR उल्लंघन :** ये नीतियाँ UNFCCC के तहत सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) के सिद्धांत का खंडन करती हैं।
- **व्यापार निष्पक्षता मुद्दे :** इन उपायों से विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों का उल्लंघन होने, व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न होने और वैश्विक सहयोग को नुकसान पहुँचने का खतरा है।
- **वार्ता का आह्वान :** एक औपचारिक एजेंडा को रोक दिया गया था, लेकिन संबंधित चर्चाएँ न्यायसंगत परिवर्तन कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत जारी रहेंगी।

बॉन सम्मेलन गतिरोध के महत्व का मुख्य निष्कर्ष :

1. **उत्तर-दक्षिण विभाजन का गहराना :** इस गतिरोध ने जलवायु वित्तपोषण के दायित्वों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेदों को स्पष्ट कर दिया है। यह एक ऐसा विभाजन है जो लगातार बढ़ रहा है।
2. **बहुपक्षवाद पर घटता विश्वास :** इस घटना से UNFCCC प्रक्रिया में विश्वास कम हुआ है, जो सामूहिक जलवायु कार्रवाई के लिए हानिकारक है।
3. **महत्वपूर्ण वार्ताओं में देरी :** एजेंडा को लेकर हुई यह खींचतान COP 30 से पहले वित्त, शमन और अनुकूलन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा को बाधित करती है।
4. **अनुच्छेद 9.1 के दायित्वों की अनदेखी :** यह गतिरोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकसित देश पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत अपनी सार्वजनिक वित्त प्रतिबद्धताओं से कैसे बचना चाहते हैं।
5. **समानता और जलवायु न्याय पर खतरा :** इस घटना ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है कि वैश्विक जलवायु शासन, वैश्विक दक्षिण के लिए कम समावेशी और कम निष्पक्ष होता जा रहा है।
6. **व्यापार और जलवायु संबंधों में तनाव :** CBAM जैसे एकतरफा व्यापार उपायों और जलवायु समानता के सिद्धांतों के बीच बढ़ता टकराव स्पष्ट रूप से सामने आया है।
7. **संस्थागत सुधार की आवश्यकता :** यह गतिरोध वैश्विक जलवायु मंचों में अधिक पारदर्शी, समावेशी और प्रवर्तनीय तंत्रों की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।
8. **COP30 के लिए उच्च दांव :** बॉन में अनसुलझे रहे वित्त और व्यापार इक्विटी के मुद्दे, ब्राजील में COP30 पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वह इन मुद्दों का समाधान करें।

समाधान/ आगे की राह :

1. **अनुच्छेद 9.1 पर चर्चाओं को औपचारिक बनाना :** भविष्य के UNFCCC सत्रों में विकसित देशों के सार्वजनिक वित्तीय दायित्वों को बनाए रखने के लिए समर्पित एजेंडा स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. **एकतरफा व्यापार उपायों पर एक रूपरेखा :** CBAM जैसे व्यापार-संबंधित कार्यों की निष्पक्षता और जलवायु-संगतता का

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

आकलन करने के लिए UNFCCC के तहत एक बहुपक्षीय मंच विकसित किया जाना चाहिए।

3. **वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना :** जलवायु वित्त प्रवाह के लिए स्पष्ट ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली को अनिवार्य किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्त पूर्वानुमानित और अतिरिक्त है।

4. **विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाना :** G77, LMDC और कमजोर देशों की न्यायसंगत भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए वार्ता संरचनाओं में सुधार करना आवश्यक है।

5. **NCQG को रियायती सार्वजनिक वित्त के साथ संरेखित करना :** नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) को केवल निजी पूंजी जुटाने पर नहीं, बल्कि अधिक अनुदान-आधारित और रियायती वित्त की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए।

6. **वैश्विक स्तर पर न्यायोचित परिवर्तन सिद्धांतों को बढ़ावा देना :** जलवायु और व्यापार नीति चर्चाओं में निष्पक्ष व्यापार, श्रम अधिकार और विकासात्मक समानता को एकीकृत किया जाना चाहिए।

7. **वैश्विक जलवायु शासन तंत्र को मजबूत करना :** पर्यावरण और आर्थिक न्याय में संतुलन के लिए UNFCCC, विश्व व्यापार संगठन और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय में सुधार किया जाना चाहिए।

8. **COP 30 के लिए मजबूत परिणाम तैयार करना :** बाकू-से-बेलेम रोडमैप का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि COP 30 समानता-आधारित वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और समावेशी नीति प्रदान करे।

निष्कर्ष :

- बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 (SB 62) में हुआ यह सम्मेलन वैश्विक जलवायु कूटनीति के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ है। इसने विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्तपोषण और व्यापार में समानता को लेकर चली आ रही पुरानी दरारों को एक बार फिर सामने ला दिया है।
- इस सम्मेलन के पहले ही दिन पूरे एजेंडा को स्वीकार न कर पाना यह दर्शाता है कि विकसित देश सार्वजनिक जलवायु वित्त (अनुच्छेद 9.1) और एकतरफा व्यापार उपायों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा से लगातार कतरा रहे हैं।
- वर्तमान समय में दुनिया जैसे-जैसे ब्राजील में होने वाले COP30 की ओर बढ़ रही है, यह बेहद ज़रूरी है कि वार्ता प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और न्यायसंगत बनी रहे।
- वित्तीय मतभेदों को खत्म करना और व्यापार से जुड़ी जलवायु कार्रवाइयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, वैश्विक समुदाय में विश्वास बहाल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक सहयोग के ज़रिए ही हम जलवायु न्याय हासिल कर सकते हैं और एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जो सही मायने में टिकाऊ और न्यायसंगत हो।

स्त्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 और अनुच्छेद 9.3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों को विकासशील देशों को सार्वजनिक जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है।

2. अनुच्छेद 9.3 विकासशील देशों को कानूनी दायित्वों के साथ निजी जलवायु वित्त जुटाने की अनुमति देता है।

3. अनुच्छेद 9.3 को इसके लचीलेपन और बाज़ारों पर निर्भरता के कारण विकसित देशों द्वारा पसंद किया जाता है।

निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 (SB62) में उत्पन्न गतिरोध, जो जलवायु वित्त और व्यापार न्याय पर उत्तर-दक्षिण के बीच गहरे मतभेदों को उजागर करता है, वैश्विक जलवायु शासन के लिए क्या महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है? इस गतिरोध के आलोक में, यह चर्चा कीजिए कि एक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक जलवायु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आगे का सबसे प्रभावी रास्ता क्या हो सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)


PLUTUS IAS
UPSC/ PCS
MORNING BATCH
हिंदी साहित्य
वैकल्पिक
ONLINE BATCH AVAILABLE AT CHANDIGARH
BATCH STARTING FROM
22nd July 2025
05:20PM – 07:20PM
2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station Gate No. – 6, New Delhi 110005
OUR CENTERS Delhi I Chandigarh I Shimla I Bilaspur
info@plutusias.com
8448440231
www.plutusias.com
Click to Know More
Dr. Akhilesh Kr. Shrivastava
M. A , M. Phil & Ph.D JNU New Delhi.
UPSC CSE Interview - 2017, 2018 & 2020.
BPSC CSE 64th, 67th & 68th Interview.
UGC NET - JRF (2018)



भारत लौटे बुद्ध के अवशेष : बौद्ध धरोहर और भारत - वियतनाम का नव संवाद

खबरों में क्यों?



- हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भगवान बुद्ध के पूज्य अवशेष एक महीने की सफल और ऐतिहासिक यात्रा के उपरांत अब भारत लौटने को है। यह प्रदर्शनी यात्रा, जो प्रारंभिक रूप से 21 मई को समाप्त होने वाली थी, वियतनाम में लोगों की गहरी श्रद्धा और उत्साह के चलते 2 जून तक बढ़ा दी गई।
- वियतनाम सरकार के विशेष अनुरोध पर बढ़ाए गए इस धार्मिक और सांस्कृतिक अभियान के दौरान, अवशेषों ने नौ प्रमुख नगरों की यात्रा की और लगभग डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं ने इनके दर्शन किए।
- यह तीर्थ यात्रा न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव थी, बल्कि भारत और वियतनाम के प्राचीन सांस्कृतिक-संबंधों का सशक्त प्रतीक भी बन गई।
- भगवान बुद्ध के पूज्य अवशेषों की वापसी भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर रात लगभग 10 बजे होगी। उनके साथ भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसका नेतृत्व ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कमभमपति कर रहे हैं।
- पालम एयरबेस पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के पदाधिकारी और भारत के वरिष्ठ भिक्षु गण उनका औपचारिक स्वागत करेंगे, जो इस आध्यात्मिक धरोहर की गरिमा को और भी बढ़ाएगा।

बुद्ध के पवित्र अवशेष : दिव्य स्मृतियाँ, श्रद्धा, आस्था और विरासत का प्रतीक :

- भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष वे पवित्र भौतिक चिह्न हैं, जो उनके महापरिनिर्वाण और उनके दाह संस्कार के उपरांत संरक्षित किए गए थे — जैसे कि उनकी अस्थियाँ, दाँत या दाह संस्कार की राख।
- इन अवशेषों को न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है, बल्कि वे बुद्ध की दिव्य उपस्थिति, करुणा और बोधि-मार्ग की स्थायी स्मृति भी माने जाते हैं।
- परंपरागत रूप से इन्हें स्तूपों, विहारों या विशेष मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है, जहाँ ये ध्यान, साधना और भक्ति का केंद्र बनते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनके दर्शन से आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है और साधक को बुद्ध के आदर्शों के निकट पहुँचने की प्रेरणा मिलती है।
- इन अवशेषों का संरक्षण केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत को सहेजने का प्रयास भी है, जो न केवल अतीत से जुड़ाव को बनाये रखता है, बल्कि वर्तमान व भावी पीढ़ियों को भी बुद्ध के शांति, करुणा और ज्ञान के संदेश से जोड़ता है।

वियतनाम में बुद्ध अवशेष यात्रा : प्रमुख झलकियाँ और सारगर्भित निष्कर्ष :

1. **यात्रा अवधि में विस्तार :** प्रारंभिक रूप से 21 मई 2025 को समाप्त होने वाली इस पवित्र यात्रा को, वियतनाम की सरकार की विशेष मांग पर, श्रद्धालुओं की गहन आस्था और भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 2 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया।
2. **भौगोलिक व्यापकता :** इस आध्यात्मिक अभियान के अंतर्गत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम के नौ प्रमुख नगरों में ले जाया गया, जिससे विविध बौद्ध समुदायों तक समान श्रद्धा और सहभागिता सुनिश्चित हो सकी।
3. **अभूतपूर्व जन-सहभागिता :** पूरे तीर्थ मार्ग में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अवशेषों के दर्शन कर श्रद्धा अर्पित की, जो इस आयोजन की धार्मिक गूढ़ता और सांस्कृतिक व्यापकता को दर्शाता है।
4. **भारत सरकार की राजनयिक भागीदारी :** इन अवशेषों को भारत सरकार के एक विशेष प्रतिनिधिमंडल द्वारा लाया गया, जिसका

नेतृत्व ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कमभमपति ने किया। यह भारत की सांस्कृतिक संरक्षकता और कूटनीतिक सद्भाव का प्रतीक रहा।

5. **यात्रा का सफल समन्वय और संचालन :** इस यात्रा का सफल समन्वय भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) ने संयुक्त रूप से किया, जिससे आयोजन में सुचारु व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय समन्वय बना रहा।

6. **वियतनामी प्रशासन का सक्रिय सहयोग :** वियतनाम सरकार ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को न केवल सुलभ बनाया, बल्कि उसका विस्तार भी सुनिश्चित किया, जो बौद्ध धर्म और भारत-वियतनाम मित्रता के प्रति उसकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है।

7. **आध्यात्मिक जागृति और सामाजिक समरसता :** तीर्थयात्रा के दौरान जिन नगरों में अवशेष पहुंचे, वहाँ व्यापक स्तर पर आध्यात्मिक वातावरण बना। श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ पूजा-अर्चना कर धार्मिक सौहार्द का उदाहरण प्रस्तुत किया।

8. **सांस्कृतिक-सामरिक दृष्टिकोण से महत्व :** यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि भारत-वियतनाम सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने वाली एक प्रभावी पहल भी रही, जिससे भारत की 'सॉफ्ट पावर' का विस्तार हुआ।

बौद्ध कूटनीति में भारत की भूमिका : सांस्कृतिक संरक्षकता से वैश्विक प्रभाव तक :

1. **धर्म का उद्गम स्थल :** भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ (बोधगया), उन्होंने प्रथम उपदेश दिया (सारनाथ) और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए (कुशीनगर)। यह स्थान बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक आधार हैं।

2. **अवशेषों की जिम्मेदारी :** भारत में सुरक्षित रखे गए बुद्ध के पवित्र अवशेष, न केवल धार्मिक पूंजी हैं, बल्कि विश्व बौद्ध समुदाय के प्रति भारत की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं।

3. **आस्था के आदान-प्रदान का माध्यम :** भारत समय-समय पर बौद्ध बहुल देशों को बुद्ध के अवशेषों को दर्शनार्थ भेजता है, जिससे धार्मिक सद्भाव और अंतरराष्ट्रीय मैत्री को बढ़ावा मिलता है।

4. **सांस्कृतिक संवाद का सशक्त माध्यम :** यह प्रक्रिया भारत को एक आध्यात्मिक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करती है और विभिन्न देशों के बौद्ध समुदायों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है।

5. **संस्कृति मंत्रालय की सक्रियता :** भारत का संस्कृति मंत्रालय तीर्थयात्राओं, बौद्ध स्थलों के संरक्षण, और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में भागीदारी द्वारा बौद्ध विरासत के संरक्षण में योगदान देता है।

6. **अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) की भूमिका :** अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC), भारत की बौद्ध कूटनीति का मुख्य स्तंभ है, जो वैश्विक मंचों पर भारत की बौद्ध नीति का समन्वय और प्रतिनिधित्व करता है।

7. **सॉफ्ट पावर का वाहक :** बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी विरासत को साझा कर भारत अपनी सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है, विशेषकर एशियाई और बौद्ध-बहुल देशों में।

8. **'एक्ट ईस्ट नीति' में योगदान :** बौद्ध कूटनीति भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' को सशक्त करती है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से आसियान देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करती है।

भारत-वियतनाम साझेदारी में बौद्ध तीर्थ यात्रा का एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में महत्व :

- **सांस्कृतिक संवाद का सशक्त माध्यम :** यह तीर्थयात्रा भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक मैत्री और ऐतिहासिक निकटता को नए आयाम देती है, जिससे पारंपरिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हैं।
- **साझी बौद्ध विरासत का पुनर्स्मरण :** बौद्ध धर्म दोनों देशों के लिए एक साझा आध्यात्मिक धरोहर है, जो राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर गहन आत्मिक जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **जन स्तर पर संवाद और सहभागिता :** यह पहल केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिकों के बीच विश्वास, समझ और आपसी समर्पण को भी बल देती है।
- **'एक्ट ईस्ट नीति' को समर्थन :** तीर्थयात्रा जैसे सांस्कृतिक आयोजन भारत की 'एक्ट ईस्ट' रणनीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बहुआयामी सहयोग को गति प्रदान करते हैं।
- **व्यापक द्विपक्षीय सहयोग का आधार :** संस्कृति के माध्यम से निर्मित विश्वास, भविष्य में व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का द्वार खोलता है।
- **वियतनाम द्वारा भारत की आध्यात्मिक भूमिका की स्वीकृति :** अवशेष यात्रा की अवधि बढ़ाना यह दर्शाता है कि वियतनाम, भारत को एक गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में स्वीकार करता है।
- **धार्मिक साझेदारी की पुष्टि :** यह यात्रा ऐतिहासिक बौद्ध संबंधों की पुनः पुष्टि करती है और समकालीन वैश्विक संदर्भ में उन्हें प्रासंगिक बनाए रखती है।
- **बहुस्तरीय सहयोग की नई संभावनाओं को जन्म देना :** यह सांस्कृतिक संपर्क शिक्षा, अनुसंधान, तीर्थ पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाओं को जन्म देता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में कार्यक्रम : स्वागत, प्रदर्शनी और प्रतिष्ठापन

आयोजन	विवरण	तारीख	महत्व
दिल्ली में औपचारिक स्वागत	अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के अधिकारियों और वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा पालम वायुसेना स्टेशन पर अवशेषों का आधिकारिक स्वागत किया गया।	2 जून 2025	यह पवित्र अवशेषों की औपचारिक वापसी और स्वागत का प्रतीक है।
राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शनी	अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रदर्शित किया गया, ताकि भक्तगण उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।	3 जून 2025	आध्यात्मिक सम्पर्क के लिए सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है।
औपचारिक प्रार्थना सभा	वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं, आईबीसी महासचिव और राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित।	3 जून 2025	आध्यात्मिक और कूटनीतिक महत्व पर जोर दिया गया।
राष्ट्रपति का काफिला	अवशेषों को पूरे राजकीय प्रोटोकॉल के साथ वाराणसी के रास्ते दिल्ली से सारनाथ ले जाया गया।	4 जून 2025	अवशेषों के राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया।
मार्ग का महत्व	बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक के अवशेषों को जोड़ने वाली यात्रा।	4 जून 2025	आध्यात्मिक विरासत और निरंतरता का प्रतीक है।
मूलगंध कुटी विहार में प्रतिष्ठापन	सारनाथ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ में संरक्षित अवशेष।	4 जून 2025	यह तीर्थयात्रा के पवित्र समापन का प्रतीक है।
आध्यात्मिक समापन	अंतिम प्रतिष्ठापन अधिनियम बौद्ध विरासत के प्रति भारत की संरक्षकता को सुदृढ़ करता है।	4 जून 2025	आध्यात्मिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करता है।

संस्कृति के माध्यम से वैश्विक प्रभाव : भारत की सॉफ्ट शक्ति दृष्टि

1. **भारत की शांति - संचारक राष्ट्र की छवि :** भारत, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के माध्यम से विश्व समुदाय में एक शांतिप्रिय, समावेशी और नैतिक शक्ति के रूप में उभरता है।
2. **विदेश नीति के साथ समन्वय :** सांस्कृतिक कार्यक्रम 'पड़ोस प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' जैसी विदेश नीति पहलों को सामाजिक-सांस्कृतिक समर्थन प्रदान करते हैं।
3. **वैश्विक बौद्ध मंच पर नेतृत्व :** भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संवादों और सांस्कृतिक संरक्षण अभियानों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा सुदृढ़ होती है।
4. **धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा :** यह यात्रा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और सह अस्तित्व के मूल्य को रेखांकित करती है।
5. **बौद्ध पर्यटन को बल मिलना :** ऐसे आयोजनों से बौद्ध तीर्थ स्थलों — बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर आदि — की ओर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आकर्षित होता है।
6. **शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग :** यह अवसर विश्व के विद्वानों और शिक्षण संस्थानों को बौद्ध दर्शन, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान हेतु प्रेरित करता है।
7. **धरोहर स्थलों का वैश्विक महत्व :** भारत की भूमिका यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बौद्ध स्थलों के संरक्षण और प्रचार में लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है।
8. **शांति, समरसता और सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक के रूप में भारत की छवि :** शांति, समरसता और सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक के रूप में भारत की छवि को इस तरह की पहलें और अधिक प्रभावशाली बनाती हैं।

निष्कर्ष :

- भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वियतनाम यात्रा और भारत में उनकी पुनर्प्राप्ति एक साधारण धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण है।
- यह पहल भारत को न केवल बौद्ध धर्म के जन्म स्थान और संरक्षक के रूप में स्थापित करती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि संस्कृति और अध्यात्म अंतरराष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं।
- यह यात्रा 'एक्ट ईस्ट नीति' को सांस्कृतिक आधार देती है और भारत को शांति, सद्भाव और संवाद का वैश्विक अग्रदूत बनाती है।
- सारनाथ में अवशेषों की प्रतिष्ठा न केवल भारत की आध्यात्मिक परंपरा की निरंतरता है, बल्कि यह वैश्विक सहयोग के भविष्य को

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भी दिशा देती है, जहाँ संस्कृति ही कूटनीति की सबसे शक्तिशाली भाषा बन जाती है।

स्त्रोत - पी.आई.बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वियतनाम में हाल की तीर्थयात्रा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. वियतनाम सरकार के अनुरोध पर तीर्थयात्रा को उसके मूल कार्यक्रम से आगे बढ़ा दिया गया।

2. अवशेषों को ओडिशा के राज्यपाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा ले जाया गया।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) 1 व 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि हाल ही में वियतनाम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की यात्रा को भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और विदेश नीति के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है? यह आयोजन भारत को बौद्ध विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में किस प्रकार स्थापित करता है, और भारत-वियतनाम द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में इसकी क्या भूमिका है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

पवित्र यात्रा शुरू : कैलाश मानसरोवर पवित्र यात्रा 2025 का शुभारंभ

खबरों में क्यों?



- हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा, 2025 के पहले जत्थे को रवाना करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने इसकी अध्यक्षता किया है।

- विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने यात्रियों को उनके चयन पर शुभकामनाएँ दीं और सुरक्षित, सफल यात्रा की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली, उत्तराखंड और सिक्किम की राज्य सरकारों सहित विभिन्न विभागों के योगदान की सराहना की।

- उन्होंने यात्रा को फिर से शुरू करने में सहयोग के लिए चीनी पक्ष की सराहना की तथा इसके साथ - ही - साथ, इस पवित्र यात्रा के पुनः आयोजन में सहयोग देने के लिए चीनी पक्ष का भी आभार व्यक्त किया।

यात्रा क्या होता है?

- 'यात्रा' एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा, विशेष रूप से पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा। भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में, यात्रा का तात्पर्य है श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों, तीर्थस्थलों या प्राकृतिक धार्मिक स्थलों की ओर की जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा। ऐसी यात्राएँ प्रायः आस्था, आत्मशुद्धि, तपस्या या आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती हैं। ये यात्राएँ व्यक्तिगत भी हो सकती हैं और सामूहिक भी, जिनमें कभी-कभी कठोर भौगोलिक परिस्थितियाँ, लंबी दूरी और कठिन मार्ग शामिल होते हैं। कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ और चार धाम यात्रा इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्व :

1. **आध्यात्मिक महत्त्व :** हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है, जिससे यह यात्रा आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शांति के लिए एक पवित्र यात्रा बन जाती है।

2. **धार्मिक सद्भाव :** यह स्थल न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्धों, जैनियों और बॉन के अनुयायियों के लिए भी पवित्र है, जो धार्मिक एकता और अंतर-धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है।

3. **सांस्कृतिक विरासत :** यह यात्रा सदियों पुरानी परंपराओं और अनुष्ठानों को संरक्षित रखती है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है।

4. **भक्ति और धीरज का प्रतीक :** अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से होकर गुजरने वाली चुनौतीपूर्ण यात्रा श्रद्धालुओं की शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेती है, तथा उनकी आस्था को और मजबूत करती है।

5. **तीर्थयात्रा कूटनीति :** इस यात्रा में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग, राजनयिक संबंधों और शांतिपूर्ण सहभागिता को बढ़ावा देना शामिल है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **दर्शनीय एवं प्राकृतिक सौंदर्य :** ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में स्थित यह यात्रा बर्फ से ढके पहाड़ों, झीलों और शांत परिदृश्यों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है, जो अनुभव को समृद्ध बनाती है।

7. **आर्थिक अवसर:** यह यात्रा पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य सेवाओं के माध्यम से उत्तराखंड और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।

8. **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एकता :** भारत और विदेश से तीर्थयात्रियों को एक साथ लाकर यह यात्रा विविध समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है।

धर्म-संबंधी शब्द :

1. **तीर्थयात्रा (यात्रा) :** पूजा, तपस्या या आशीर्वाद के लिए किसी पवित्र स्थान की धार्मिक यात्रा (जैसे, कैलाश यात्रा, चार धाम यात्रा)।

2. **धर्म :** हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक मुख्य अवधारणा; नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक जीवन को संदर्भित करती है।

3. **मोक्ष :** जन्म और मृत्यु (संसार) के चक्र से मुक्ति; हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य।

4. **मंत्र :** आध्यात्मिक ध्यान और ऊर्जा के लिए प्रार्थना या ध्यान के दौरान दोहराई जाने वाली पवित्र ध्वनियाँ, शब्दांश या वाक्यांश।

5. **पूजा :** देवताओं को अर्पित की जाने वाली एक अनुष्ठानिक भेंट और पूजा, जिसमें आमतौर पर प्रार्थना, धूप, फूल और भोजन शामिल होता है।

6. **श्रद्धा :** पूर्वजों की याद में किया जाने वाला एक हिंदू अनुष्ठान, जिसमें उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की जाती है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।

7. **भक्ति :** किसी व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति भक्ति या प्रेमपूर्ण पूजा, कई भारतीय धार्मिक परंपराओं का एक प्रमुख पहलू है।

8. **कर्म :** कारण और प्रभाव का सिद्धांत, जहां किसी व्यक्ति के कार्य भविष्य के परिणामों या पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं।

9. **आरती :** एक भक्ति गीत और अनुष्ठान जिसमें किसी देवता या पवित्र वस्तु के सामने दीप जलाए जाते हैं।

10. **सत्संग :** सामूहिक प्रार्थना, चर्चा या गुरु की शिक्षाओं को सुनने के लिए आध्यात्मिक साधकों का एकत्र होना।

सरकार द्वारा इस तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल :

1. **विदेश मंत्रालय के माध्यम से संगठित तीर्थयात्राएँ :** विदेश मंत्रालय (एमईए) प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है तथा यात्रियों के लिए आधिकारिक सहायता, पंजीकरण, चिकित्सा देखभाल और रसद व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

2. **बेहतर बुनियादी ढांचा :** सुरक्षा, सुगमता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथू ला (सिक्किम) जैसे तीर्थयात्रा मार्गों पर सड़कों, आधार शिविरों और सुविधाओं का विकास।

3. **प्रौद्योगिकी-संचालित चयन :** यात्री चयन में निष्पक्षता, लिंग संतुलन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी, कंप्यूटर आधारित यादृच्छिक चयन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।

4. **अंतर-मंत्रालयी समन्वय :** रक्षा, गृह, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे मंत्रालय, आईटीबीपी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यात्रा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम करते हैं।

5. **राजनयिक जुड़ाव :** भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुविधाजनक बनाने, सांस्कृतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल है।

6. **प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना :** प्रसाद (तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) योजना आधुनिक सुविधाओं और आध्यात्मिक माहौल के साथ पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास का समर्थन करती है।

7. **चिकित्सा एवं सुरक्षा सुविधाएं :** सरकार प्रस्थान से पूर्व चिकित्सा जांच, चिकित्सा दलों की तैनाती तथा ऊंचाई वाले तीर्थ स्थलों पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

8. **वित्तीय एवं तार्किक सहायता :** सरकार चुनिंदा यात्राओं (राज्य प्रायोजित) में सब्सिडी या अनुदान प्रदान करती है, तथा तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन, आवास और भोजन की सुविधा प्रदान करती है।

9. **डिजिटल प्रमोशन और पंजीकरण :** आधिकारिक वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल और जागरूकता अभियान तीर्थयात्राओं को बढ़ावा देते हैं, सुचारू ई-पंजीकरण सुनिश्चित करते हैं और यात्रियों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करते हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ :

1. **उच्च ऊंचाई और कठिन इलाका :** यह यात्रा 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हिमालय के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है, जिससे ऊंचाई से होने वाली बीमारी,

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

थकान और सांस लेने संबंधी समस्याओं का खतरा बना रहता है।

2. **मौसम की चरम स्थितियां :** बर्फबारी, भूस्खलन और शून्य से नीचे के तापमान सहित मौसम में अचानक परिवर्तन से यात्रा बाधित हो सकती है तथा यात्रियों को खतरा हो सकता है।

3. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जोखिम :** इस यात्रा के लिए शारीरिक रूप से काफी तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। जलवायु अनुकूलन की कमी, खराब चिकित्सा तैयारी और सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं।

4. **सीमित कनेक्टिविटी :** दूरदराज के स्थानों पर मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क खराब है, जिससे संचार और समन्वय प्रभावित होता है, विशेषकर आपातकालीन स्थिति में।

5. **रसद संबंधी कठिनाइयाँ :** सुदूरवर्ती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिवहन, भोजन, आवास और स्वच्छता का प्रबंधन, मोटर मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है।

6. **सीमा संबंधी संवेदनशीलता :** इस यात्रा में भारत-चीन सीमा के करीब यात्रा शामिल है, जिससे यह भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील हो जाती है, जिसके कारण इसे 2020-2023 के बीच निलंबित कर दिया गया।

7. **राजनयिक निर्भरताएँ :** यात्रा की बहाली और निरंतरता चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर काफी हद तक निर्भर करती है, जो बदलते राजनयिक संबंधों से प्रभावित हो सकती है।

8. **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ :** पर्यटकों की बढ़ती संख्या से नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन और पारिस्थितिकी स्थिरता पर चिंताएं बढ़ सकती हैं।

9. **सीमित क्षमता और उच्च मांग :** यात्रा की भौतिक और राजनयिक बाधाओं के कारण, उच्च मांग के बावजूद, प्रतिवर्ष केवल सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों का चयन किया जाता है।

आगे की राह :

1. **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना :** आराम और सुरक्षा में सुधार के लिए लिपुलेख और नाथू ला मार्गों पर सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों, आश्रयों, चिकित्सा चौकियों और स्वच्छता सुविधाओं के विकास में तेजी लाना।

2. **चिकित्सा तैयारी और जांच :** प्रस्थान-पूर्व स्वास्थ्य जांच, ऊंचाई अनुकूलन शिविरों को बढ़ाना, तथा मार्ग पर ऑक्सीजन सहायता और आपातकालीन देखभाल के साथ मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों को तैनात करना।

3. **बेहतर संचार नेटवर्क :** समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दूरस्थ, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह-आधारित संचार प्रणालियों में निवेश करें।

4. **पर्यावरण अनुकूल उपाय :** नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सख्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल, पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशा-निर्देश, तथा यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाना।

5. **बढ़ी हुई कूटनीतिक सहभागिता :** यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए चीन के साथ लगातार बातचीत जारी रखें तथा अतिरिक्त मार्गों या प्रतिबंधों में ढील देने की संभावनाओं का पता लगाएं।

6. **प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग :** वास्तविक समय पर ट्रैकिंग, सूचना प्रसार और यात्री सुरक्षा के लिए जीआईएस, ड्रोन निगरानी, मौसम अलर्ट और मोबाइल ऐप के उपयोग का विस्तार करें।

7. **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण :** स्थानीय गाइडों, संपर्क अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को आपदा तैयारी, प्राथमिक चिकित्सा और उच्च ऊंचाई पर जीवित रहने के कौशल में प्रशिक्षित करना, ताकि तीर्थयात्रियों को कुशलतापूर्वक सहायता मिल सके।

8. **समावेशी भागीदारी :** यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि करने तथा उचित सहयोग के साथ वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग तीर्थयात्रियों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर विचार करें।

9. **वैकल्पिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना :** भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए, सरकार कैलाश यात्रा में शामिल होने में असमर्थ लोगों के लिए विकल्प के रूप में घरेलू आध्यात्मिक सर्किट (जैसे, चार धाम, अमरनाथ) को बढ़ावा दे सकती है।

निष्कर्ष :

- कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल गहरी आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सॉफ्ट पावर और धार्मिक कूटनीति को भी सशक्त बनाती है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बॉन परंपराओं से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा एक दिव्य अनुभव प्रदान करती है। यद्यपि यह यात्रा भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, फिर भी भारत सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के विकास और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से इसे अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुलभ बनाया गया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के समन्वय से आयोजित की जाती है।

2. कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र है।

3. यह यात्रा मार्ग लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) दोनों से होकर गुजरता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2, और 3

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का धार्मिक, कूटनीतिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है? इस यात्रा के संचालन में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और भारत सरकार इसके सतत एवं सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर सकती है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 : एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग

खबरों में क्यों?

- हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो हर वर्ष 21 जून को आयोजित होता है। यह वर्ष इस दिवस के वैश्विक स्वरूप और प्रभाव को रेखांकित करता है। योग, जो भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है, अब एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता आंदोलन का रूप ले चुका है।



- इस अवसर पर 190 से अधिक देशों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों लोग योगाभ्यास और विविध जागरूकता गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। यह दिन न केवल योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता का प्रतीक बन चुका है, बल्कि वैश्विक एकता और सामूहिक भलाई की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देता है।

2025 थीम / विषय : "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग"

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" हमें यह स्मरण कराती है कि व्यक्तिगत और ग्रह-स्तरीय स्वास्थ्य गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह विचार भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान प्रस्तुत दृष्टिकोण "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" तथा भारत के प्राचीन आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम — यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है — की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है।

इस विषयवस्तु के तीन केंद्रीय पहलू हैं -

- **समग्र स्वास्थ्य की दिशा में योग :** योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि तन, मन और आत्मा का संतुलन है, जो सम्पूर्ण स्वास्थ्य को पोषित करता है।

- **पृथ्वी के प्रति जागरूकता :** योग के अभ्यास से जागरूकता की जो भावना विकसित होती है, वह व्यक्ति को अधिक पर्यावरण-संवेदनशील और टिकाऊ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा देती है।

- **वैश्विक सहयोग की भावना :** योग एक ऐसा माध्यम बनता है, जो व्यक्तियों को न केवल आत्म-कल्याण के लिए, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को साझा करने के लिए भी प्रेरित करता है।

प्रमुख कार्यक्रम और भागीदारी :

- योग संगम : यह प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें पूरे भारत में 100,000 से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, तथा विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक प्रमुख

कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 500,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे।

- अंतर्राष्ट्रीय पहुंच : भारत विश्व भर के 191 देशों के 1,300 शहरों में विषयगत योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें योग को एक सांस्कृतिक परम्परा के साथ-साथ कूटनीति के एक साधन के रूप में भी प्रदर्शित किया जा रहा है।
- हस्ताक्षर कार्यक्रम : दस प्रमुख कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को लक्ष्य बनाकर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें "योग बंधन", "योग पार्क" और "योग कनेक्ट" शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा ऐतिहासिक संदर्भ में :

- **विचार की नींव :** अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने योग को मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार बताते हुए इसके वैश्विक महत्व पर बल दिया।
- **संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति :** यह प्रस्ताव अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन के साथ 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ, जिसे 175 देशों ने सह-प्रायोजित किया — यह UN इतिहास के सर्वाधिक व्यापक समर्थन वाले प्रस्तावों में से एक बना।
- **तिथि का चयन :** 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन (ग्रीष्म संक्रांति) होता है, को प्रतीकात्मक रूप से चुना गया। यह दिन योग दर्शन में संतुलन, ऊर्जा और आत्म-नवीनीकरण के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है।
- **आरंभिक आयोजन :** 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में 84 देशों के 36,000 से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योगाभ्यास किया, जिसने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और इस दिवस को एक वैश्विक जन-आंदोलन का रूप दिया।

योग भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है:

वर्ष 2016 में, योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय समाज पर इसके गहन प्रभाव और वैश्विक महत्व को मान्यता दी गई थी।

योग के पीछे का दर्शन मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत करने, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में निहित है। इसके मूल्य भारतीय समुदायों के लोकाचार में गहराई से जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और कला जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

योग में विविध प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. शारीरिक आसन
2. ध्यान
3. नियंत्रित श्वास (प्राणायाम)
4. जप और मंत्र पाठ
5. आत्म-साक्षात्कार और मुक्ति के लिए अन्य तकनीकें

योग का प्रसारण : परंपरागत रूप से, योग गुरु-शिष्य (मास्टर-शिष्य) मॉडल के माध्यम से सिखाया जाता था, जिसमें योग गुरु ज्ञान और कौशल के मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। आज, सीखने के अवसरों में योग आश्रम, स्कूल, विश्वविद्यालय, सामुदायिक केंद्र और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शामिल हो गए हैं। प्राचीन पांडुलिपियाँ और शास्त्र महत्वपूर्ण संसाधन बने हुए हैं, जिन्हें योग पर आधुनिक साहित्य के विशाल भंडार द्वारा पूरित किया जाता है।

योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक अभ्यास का उत्सव नहीं, बल्कि एक वैश्विक जागरूकता अभियान है जो व्यक्ति और समाज दोनों के व्यापक कल्याण को केंद्र में रखता है। इसे मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। जो निम्नलिखित है -
- **स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक चेतना :** योग के लाभ – जैसे शरीर की लचीलापन, मानसिक स्पष्टता, तनाव मुक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और आंतरिक संतुलन – अब दुनियाभर में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और व्यापक रूप से स्वीकार किए जा चुके हैं।
- **जीवनशैली में संतुलन :** योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि यह शारीरिक मुद्राओं, श्वास की गहराई और ध्यान की एकीकृत प्रणाली है, जो समग्र और संतुलित जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है।
- **व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संगम :** 2025 की थीम इस बात पर बल देती है कि स्वयं की देखभाल और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। योग इस सामंजस्य को सशक्त बनाता है।
- **संस्कृति के सेतु के रूप में योग :** योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होते हुए भी, आज विश्वभर में एक साझा आध्यात्मिक और स्वास्थ्य परंपरा बन चुका है, जो सांस्कृतिक एकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है।
- **प्राकृतिक लय से सामंजस्य :** ग्रीष्म संक्रांति — वर्ष का सबसे लंबा दिन — ऊर्जा, प्रकाश और नवचेतना का प्रतीक है। इसी दिन योग दिवस का आयोजन, प्रकृति और आत्मा के बीच की लयबद्धता को दर्शाता है।
- **सर्वसुलभ भागीदारी :** योग दिवस किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि यह सरकारी स्तर से लेकर स्थानीय समुदायों, स्कूलों, गैर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

समकालीन समय में योग की प्रासंगिकता :

स्तर	प्रमुख क्षेत्र	विवरण
व्यक्तिगत स्तर	• तनाव और चिंता को कम करता है। • शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार • मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। • बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। • स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है।	• श्वास तकनीक और ध्यान के माध्यम से योग तनाव हार्मोन को कम करता है। • नियमित अभ्यास से लचीलापन, शक्ति, संतुलन और मुद्रा में वृद्धि होती है। • चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करता है; भावनात्मक स्थिरता बढ़ाता है। • विश्राम को प्रोत्साहित करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और अनिद्रा का इलाज करता है। • शरीर के प्रति जागरूकता पैदा करता है, सचेत भोजन करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है।
सामाजिक स्तर	• सामुदायिक और सामाजिक संबंध बनाता है। • समावेशिता को बढ़ावा देता है। • कार्यस्थल स्वास्थ्य का समर्थन करता है। • शैक्षिक परिणामों में सुधार • मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।	• समूह सत्र साझा अनुभव और सामाजिक बंधन बनाते हैं। • सभी के लिए सुलभ, चाहे उनकी आयु, लिंग, पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। • कर्मचारियों की थकान कम होती है और उत्पादकता बढ़ती है। • स्कूलों में योग से छात्रों की एकाग्रता, अनुशासन और भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। • मानसिक स्वास्थ्य को कलंकमुक्त करने में मदद करता है और समग्र मुकाबला तंत्र प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर	• वैश्विक एकता को बढ़ावा • शांति और अहिंसा को बढ़ावा देता है। • पर्यावरण जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। • स्वास्थ्य कूटनीति को मजबूत करता है। • वैश्विक अनुसंधान और ज्ञान साझाकरण को प्रेरित करता है।	• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विविध संस्कृतियों को साझा प्रथाओं में एकजुट करता है। • योग के नैतिक सिद्धांत (अहिंसा, सत्य) सद्भाव और संवाद में योगदान देते हैं। • योग दर्शन प्रकृति और स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर जोर देता है। • योग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कल्याण मिशन का माध्यम बन गया है। • शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों पर अंतर-सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 अपनी रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी और वैश्विक पहुंच के लिए जाना जाता है। "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" यह उत्सव व्यक्तिगत कल्याण और ग्रहीय स्थिरता के बीच अंतर्निहित संबंध को उजागर करता है। योग स्वयं के भीतर और पर्यावरण के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देता है, संतुलन, लचीलापन और सचेत जीवन जीने को बढ़ावा देता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक एकीकृत शक्ति के रूप में भी कार्य करता है जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। समग्र कल्याण और वैश्विक एकजुटता को प्रोत्साहित करके, यह दिन समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में योग की प्रासंगिकता की पुष्टि करता है। यह आधुनिक जीवन के लिए प्राचीन ज्ञान को साझा करने में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की भूमिका को भी पुष्ट करता है।

स्त्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह महर्षि पतंजलि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 21 जून को मनाया जाता है।

2. यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में रिकार्ड संख्या में सह प्रायोजकों के साथ अपनाया गया था।

3. योग को 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "योग स्वास्थ्य, सद्भाव और स्थिरता के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।" भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर चर्चा करें। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers



AIR - 733
AKHILESH KUMAR VERMA
UPSC CSE-2024
PTDP-2024

AIR - 91
MANU GARG
UPSC CSE-2024
PTDP - 2024

AIR - 689
KHETDAN CHARAN
UPSC CSE-2024
PTDP - 2024

AIR - 181
HARDIK GARG
UPSC CSE-2024
PTDP - 2024

AIR - 520
ROMA BARNA
UPSC CSE-2024
PTDP - 2024

AIR - 132
RAJAT SINGH
UPSC CSE-2024
PTDP - 2024

AIR - 522
SHIVAM SINGH
UPSC CSE-2024
PTDP - 2024

Many more.....

Best UPSC Faculties in India



Dr. Hardeep Singh IAS
(Retd.)



Dr. Ghanshyam Singh
(HCS allied services)



Dr. Raju Narayana Swamy
(Principal Secretary | IAS | AIR | | honorary)



Dr. Huma Hassan
(Anthropology & Sociology optional)



Prateek Tripathi
(Economic & Physics Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com	www.onlinekhanmarket.com	www.examophobia.com	www.amazon.in
Flipkart	Onlinekhanmarket	Examophobia	Amazon

Corporate Office:

917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005
Basement - 8 Apsara Arcade, Karolbagh metro station
Gate no. 6, New Delhi 110005
C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301

https://www.instagram.com/_plutusias/ https://www.facebook.com/PlutusIAS/ https://www.youtube.com/@plutusias